महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 20 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, यूपी और कर्नाटक में आगजनी-पथराव

लखनऊ-मंगलुरु में हिंसा, तीन मरे

नए नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मंगलुरु, अमदाबाद, पटना समेत देश भर के तमाम बड़े शहरों में गुरुवार को प्रदर्शन हुआ। इस दौरान यूपी के लखनऊ और कर्नाटक के मंगलुरु में हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की लखनऊ और दो की मंगलुरु में जान गई।

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
नई दिल्ली/लखनऊ, 19 दिसंबर।

नए नागरिकता कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ में हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। हिंसा में लखनऊ में 16 और संभल में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लखनऊ में उपद्रव के दौरान पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से मोहम्मद वकील नामक युवक की मौत हो गई। दो अन्य लोग घायल हैं। दो पुलिस चौकियां जला दी गईं और वाहनों को फूंक दिया गया।

लखनऊ में 16 और संभल में दो पुलिसकर्मी घायल। *पुलिस* ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। *टीवी* चैनल की ओबी वैन आग के हवाले।

प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ के डालीगंज और हजरतगंज इलाके में जमकर उत्पात मचाया। कई इलाके में जमकर तोड़फोड़ और पथराव हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। लखनऊ में उपद्रवियों ने मीडिया के ओबी वैन को भी आग के हवाले कर दिया।

उधर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। मऊ, मेरठ, आजमगढ़ **बाकी पेज 8 पर**

मंगलुरु में पुलिस की गोली से दो की मौत

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
मंगलुरु, 19 दिसंबर।

कर्नाटक के मंगलुरु में गुरुवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को काबू करने लिए पुलिस की ओर से चलाई गई गोली में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि

हिरासत में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, बाद में रिहा

पुलिस के मुताबिक मंगलुरु उत्तर पुलिस थाने पर कब्जा करने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की जिसके बाद उन्हें तितर-बितर करने के लिए गोलीबारी की गई। पुलिस **बाकी पेज 8 पर**

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम। *फोटो : ताशी तोबग्याल*

दिल्ली में प्रदर्शन, येचुरी व माकन सहित 1200 लोग गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में गुरुवार को भी लाल किला, सुनहरी मस्जिद, जंतर-मंतर, मंडी हाउस, जामिया और शाहीन बाग के अलावा उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाके में विरोध-प्रदर्शन किया गया।

कई इलाकों में धारा 144 लागू, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील

दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर उतरे 1,200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अधिकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को नांगलोई स्थित सूरजमल स्टेडियम और बवाना के राजीव गांधी स्टेडियम में रखा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और विशेष आयुक्त स्तर के शीर्ष अधिकारी जमीनी हालात की निगरानी कर रहे हैं।

अपराध शाखा सहित पुलिस की विभिन्न विशेषज्ञ इकाइयां हालात की निगरानी कर रही हैं। अधिकारी के मुताबिक विपक्षी नेता डी राजा, सीताराम येचुरी, नीलोत्पल बसु, वृंदा करात, अजय माकन और संदीप दीक्षित, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और उमर खालिद उन लोगों **बाकी पेज 8 पर**

विपक्ष शासित राज्यों में प्रदर्शन

संरा की निगरानी में जनमत संग्रह कराए भाजपा : ममता

कोलकाता में सीएए के खिलाफ हुई रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

कोलकाता, 19 दिसंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए और यदि वह 'व्यापक मत' हासिल करने में विफल रहती है तो उसे सत्ता छोड़नी होगी।

बनर्जी ने यहां रानी रासमणि एवेन्यू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'भाजपा को बहुमत मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो वह **बाकी पेज 8 पर**

मुंबई में सड़क पर उतरे लोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिल्म कलाकार गुरुवार को सड़कों पर उतरे। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित रैली में फरहान अख्तर से लेकर जोया अख्तर, हुमा कुरैशी, स्वरा भास्कर, फिल्म निर्माता राकेश ओमप्रकाश मेहरा और सईद मिर्जा और सुशांत सिंह शामिल हुए।

इस रैली में शामिल होने के लिए फरहान ने ट्विटर के जरिए लोगों से अपील की थी। उन्होंने कहा **बाकी पेज 8 पर**

न्यूनतम तापमान तीन डिग्री गिरा

दिल्ली में रहा साल का सबसे सर्द दिन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली में गुरुवार इस मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। इस दिन न्यूनतम तापमान औसत से तीन डिग्री की गिरावट के साथ पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो औसत से सात डिग्री कम है। वहीं 3.5 डिग्री सेल्सियस के साथ हरियाणा का नारनौल मैदानों में सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। पूरे दिन घने कोहरे की परत छाई रही। इस बीच सर्द हवाएं भी चलीं। इसके साथ ही समूचा

उत्तर भारत कोहरे व कड़ाके की ठंड के बीच ठिठुर रहा है। कोहरे के कारण रेल व हवाई यातायात भी प्रभावित रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही करीब दो दर्जन ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। मौसम विभाग का आकलन है कि 21 दिसंबर को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में चली सर्द हवाओं व कोहरे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। इसके साथ ही रेल व हवाई यातायात भी प्रभावित रहा। दिल्ली के मौसम हवा में नमी का स्तर सौ फीसद रहा। इसमें मौसम की मार का आलम रहा कि लोग रैनबसेरों व फ्लाईओवरों के नीचे कड़कती ठंड से बचने की जुगत करते रहे।

हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश **बाकी पेज 8 पर**

अमदाबाद में पांच पुलिसकर्मी घायल

अमदाबाद, 19 दिसंबर (ब्यूरो/भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ शहर के मुसलिम बहुल शाह-ए-आलम इलाके में विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। पथराव की घटना में कम से **बाकी पेज 8 पर**

बिहार में रेल, सड़क सेवाएं प्रभावित

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (ब्यूरो)।

पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में गुरुवार को हालात शांतिपूर्ण रहे। हालांकि, बिहार में संशोधित **बाकी पेज 8 पर**

नाबालिग होने का दावा करने वाले दोषी की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में एक की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। याचिका में उसने दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अपराध के समय वह नाबालिग था।

हाई कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को दोषी की उम्र के संबंध में अदालत में जाली हलफनामा दाखिल करने के लिए वकील के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने अदालत की ओर से कई बार पत्र भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए दोषी के वकील एपी सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने दिल्ली बार काउंसिल को दोषी की उम्र के संबंध में अदालत में जाली हलफनामा दाखिल करने के लिए वकील के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। नाबालिग होने का दावा करते हुए याचिका दायर करने वाले पवन कुमार गुप्ता के अलावा मामले में तीन अन्य दोषियों में मुकेश, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल हैं। दिल्ली में सात **बाकी पेज 8 पर**

प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ मतदान कर दो अभियोग लगाए

वाशिंगटन, 19 दिसंबर (भाषा)।

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले तीसरे राष्ट्रपति होंगे। प्रतिनिधि सभा ने उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने और कांग्रेस की जांच में अवरोध डालने का आरोप औपचारिक रूप से लगा दिया है। अब सीनेट में अगले वर्ष सुनवाई होगी कि वह पद पर बने रहेंगे या नहीं।

प्रतिनिधि सभा ने बुधवार रात राष्ट्रपति ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस की जांच में अवरोध डालने के दो अभियोग लगाए। प्रतिनिधि सभा ने सत्ता के दुरुपयोग के आरोप के पक्ष में 230 मत व विपक्ष में 197 मत पड़े और कांग्रेस की जांच में अवरोध पैदा करने के दूसरे आरोप में 229 के मुकाबले 198 मत पड़े।

ट्रंप अब अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में शामिल हो गए हैं जिन पर बड़े अपराधों और गलत आचरण के लिए महाभियोग चलाया गया। एंड्र्यू जॉनसन पर 1868 में और बिल क्लिंटन पर 1998 में महाभियोग चलाया गया था। रिचर्ड निक्सन **बाकी पेज 8 पर**

दरअसल

नीलामी में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का रहा दबदबा

आइपीएल

10.75 करोड़ से पंजाब में शामिल हुए मैक्सवेल

कमिंस पर केकेआर ने लगाई 15.50 करोड़ की बोली

कोलकाता, 19 दिसंबर (भाषा)।

आइपीएल के 13वें सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने बाजी मारी। वे लीग के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राडडर्स ने उन पर 15.50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम से जोड़ा।

कमिंस ने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के मामले में बेन स्टोक्स का रेकार्ड तोड़ा जिन्हें राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स ने 2017 में 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के **बाकी पेज 8 पर**

पैट कमिंस — 15.50 करोड़

कमिंस ने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के मामले में बेन स्टोक्स का रेकार्ड तोड़ा जिन्हें राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स ने 2017 में 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा था।

मौरिस को भी 10 करोड़

इस नीलामी में बड़ी रकम पाने वालों में दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मौरिस भी शामिल रहे जिनके लिए आरसीबी ने 10 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इंग्लैंड के विश्व विजेता कप्तान इयोन मोर्गन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 .25 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई। तेज गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल को मुंबई ने आठ करोड़ रुपए में टीम से जोड़ा।

10 करोड़

ग्लेन मैक्सवेल — 10.75 करोड़

शेल्डन कोटरेल — 8.50 करोड़

नाथन कूल्टर-नाइल — 8.00 करोड़

संबंधित खबर पेज 14

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Sonu Singh S/o Avtar Singh R/o-G-9/204, Sangam Vihar,New Delhi-110080,have changed my name to Siddharth Singh for all future Purposes. 0040524815-2

I,Rooham Jalil w/o Mohammed Abdul Rashid R/o-Street.No.1/1,Greater Azad Enclave(w),Dhorrah Mafi, Aligarh,U.P.-202002,have changed my name to Rooham Rashid. 0040524815-4

I,Punita Mohan Patel W/o Ravinder Singh Ahluwalia R/o-D-31B,Sector-26, Noida,UP-201301,have changed my name,after marriage to PUNITA AHLUWALIA permanently. 0040524815-1

I,Monica Sharma W/O-Ravi Kant Kaushik R/O-698/43,Shambhu-Nagar, Onkar-Nagar, Trinagar, Delhi-110035. Changed My Nameto Monika Kaushik. 0040524826-5

I,Matluq Ahmed S/o Mohd. Yakub R/o.A-3/18B,DDA Flats,Inderlok, Delhi-110035,have changed my name,to Matloob Ahmed for all future purposes. 0040524815-3

I, hitherto Known as Ashish Dua S/O Sh.Satish Dua R/O-B-20, First Floor, Friends-Colony West, SriniwasPuri, New Delhi-110065, Have Changed The Name Of My Minor Son Aryaman Dua Aged 13-Years And He Shall Hereafter Be Known As Aryaman Aashish Dua. 0040524819-8

I, Yatan Lal Barkade alias Yetanlal Barkade S/o Tulsiram Barkade R/o Ward No. 10, Bichhua Chhindwara, Madhya Pradesh-480111 have changed my name and shall hereafter be known as Yetanlal Barkade 0070688956-1

I, Urvi Joseph Varghese D/o Joseph Varghese R/o 3097/4, Gali No.4, Ranjeet Nagar, South Patel Nagar, Delhi-110008 have changed my name and shall hereafter be known as Adi J 0070688947-1

I, Umesh Kumar S/o Vinod Kumar Nirbhay R/o B-3/192, Block-B-3, Yamuna Vihar, Delhi-110053, have changed my name to Umesh Kumar Nirbhay for all purposes. 0040524747-1

I, Sushila Kumari W/o Umesh Kumar Nirbhay R/o B-3/192, Block-B-3, Yamuna Vihar, Delhi-110053, have changed my name after marriage to Sushila Sharma W/o Umesh Kumar Nirbhay for all purposes. 0040524748-1

I, Sunita/Sunita Devi D/O, Kishan Sahay R/O H.No-216 Vill Jamalpur, Gurgaon-122503 have changed my name to Sunita Yadav for all purposes. 0040524786-3

I, Sunita W/o Rajinder Kumar Verma R/o G-109 Ashok Vihar Ph-I, Delhi-52. changed my name to Sunita Verma. 0040524789-7

I, Sukhwinder Kaur W/o Baldev Singh R/o Fattu Dhinga Kapurthala Punjab have changed my name to Ravneet Kaur. 0040524797-4

I, Sonam Ghai W/o Kapish Ghai R/o-Flat.No.404, Block-B6, CLEO-County, Plot.No.GH-05, Sector-121, Noida,UP.have changed my name to Sonam Sahni. 0040524826-1

I, Shivkumar Singh Raghuwanshi alias Shiv Kumar Singh Raghuwanshi alias Shiv Kumar Singh S/o Shankar Singh Raghuwanshi R/o Ward No.12, Narsingpur Road, Sankat Mochan Nagar, Chitnavis Ganj, Chhindwara, M.P.-480001 have changed my name and shall hereafter be known as Shivkumar Singh Raghuwanshi. 0070688941-1

I, Shakeel Ahmad S/o Mujeeb Ahmad R/o-H.No.B-44 Street.No-18, Main Singh, Nagar Old-Mustafabad, Delhi-110094, that mine and my father name has been wrongly written as Shakil and Mujib Ahmed in my Passport,the Actual name of mine and my father is Shakeel Ahmad, Mujeeb Ahmad 0040524738-1

I, Pratap Singh S/o Umed Singh R/o House No.143, Sector-5, Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name to Pratap Kataria for all future purposes. 0040524761-1

I, Pavani Chawla D/O Puneet Chawla R/O-Hno.9, Roadno.42, West Punjabi Bagh, Central Market, Delhi-110026. Changed My Name to Pavni Chawla. 0040524797-8

I, Patal Ann Nicholson W/o Robert Nicholson R/o-20/12, 2nd Floor, Pantnagar, Jangpura, Delhi-110014, have changed my name to Petal Nicholson. 0040524817-6

I, FAKHR UZ ZAMAN S/o Mumtaz Ali R/o A-392, Ground Floor, Khasra No.124, Gali No.9, Village Wazirabad, Delhi-84, inform that my father name having been mentioned in my Voter-ID Card, Driving License & Passport as Mumtaz Ahmed. But his correct name is Mumtaz Ali. 0040524768-1

I, Seema Kalra W/o-Rakesh Kalra R/o-X/1540, GaliNo.8, Rajgarh Colony, Gandhi Nagar, East Delhi-110031, have changed my name to Prem Kalra. 0040524826-11

I, Sat Paul S/o-Puran Chand Add House No 44 Devli Road, Khanpur Extension, Delhi 110062, Changed My Name To Satpal. 0040524787-2

I, Sarthik R/o-T-49,New T-Block, Third-Floor,Uttam Nagar,New Delhi-110059,have changed my daughter name from Avni Dumra to Avanii Dumra for all,future purpose. 0040524819-1

I, Sarika Sharma W/o Sukhwinder Kumar R/o H.No. 336, Majitha Road, Green Field Avenue, Lane No. 2, Amritsar-II, Amritsar, Punjab-143001 do hereby declare that name of my husband has been wrongly written as Sukhwinder Sharma in my Passport No. L4163261. The actual name of my husband is Sukhwinder Kumar, which may be amended accordingly. 0070688952-1

I, Sanjay Kumar S/o Bhupender Kumar R/o-613/2, Near Mini Stadium, Nehru-Enclave-Village, AliPur, Delhi-110036. have changed my name to Sanjay Gupta, for all purposes. 0040524797-2

I, Sandeep S/o Bhagwat Swaroop Nagar R/o-C-3/7A, Swarn-Park, Near Khateek Muhalla, Mundka, Delhi-110041 have changed my name to Sandeep Nagar. 0040524797-6

I, Salabuddin S/o Mr. Faiz Bukhash, R/O H. No. 141, Street No 5, Near Sunheri Masjid, Brij Puri Delhi 110094 Have Changed My Name To Salauddin As Per Affidavit Dated 17 December, 2019 For All Purpose. Both The Names Are Same Of One Person. 0070688859-1

I, SYED MOHAMMAD BILAL S/o-Mr.Syed Nazar Askari R/O-H.No.536/6, 2nd-Floor, Zakir Nagar, JamiaNagar, Okhla,New Delhi-110025,have changed my name from Mohammad Bilal to SYED MOHAMMAD BILAL,for all future purposes. 0040524797-1

I, Ruminder Monga W/o Sh. Kawaljit Singh R/O-H.No.J-9/48A, First-floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have changed my name to Ruminder Singh for all purposes. 0040524789-2

I, Ishita D/o Ajay Kumar R/O-69, Gali No-14, West Azad-Nagar Delhi-51, have changed my name to Ishita Thakur. 0040524787-3

I, Roopkishor S/o Chet Ram R/o-144, Third Floor, Pkt-12, Sector-20, Rohini, Delhi have changed my name to Rupkishor Singh for all purposes. 0040524789-10

I, Rohit Kumar Harshana S/o Omprakash R/o H.no-152, Near Govt. School, Baliyawas, Gwal Pahari, Gurgaon, Haryana-122003, have changed my name to Rohit Harshana for all purposes. 0040524752-1

I, Ratan Kumar Dokwewala S/o Sohan Lal Goyal R/o A-3, Prem Kutir Society Sector-9, Rohini, Delhi, have changed my name to Ratan Kumar Goyal for all purposes. 0040524787-1

I, Rajesh/Rajesh Kumar S/o Shiodan Singh Yadav R/o Vill Jamalpur,Gurgaon-122503 have changed my name to Rajesh Yadav for all purposes. 0040524786-2

I, Radhey Raman S/o Madan Lal Sharma R/o 208, Raison Armor Homes, Ahinsa Khand-2, indirapuram, Ghaziabad, U.P.-201010 have changed my name and shall hereafter be known as Radhey Raman Sharma. 0070688950-1

I, Prem Bansal S/o Chotu Ram R/o D-41, Sector-20, Noida(U.P.) have changed my name to Prem Chand Bansal for all future purposes. 0040524766-2

I, Mukesh Chand Meena, R/o B-20, B.K.Dutt Colony, New Delhi have changed my son's name from Chintu Kumar Meena to Navin Kumar Baiplawat for all purposes 0040524749-1

I, Chanchal W/o Deepak Garg R/o II-C-131, Nehru Nagar, Ghaziabad have changed my name to Chanchal Garg for all purposes. 0040524826-3

I, Champa Thawani W/o Harish Chander Thawani R/o J-42, 2nd-Floor, Lajpat Nagar-2, N.Delhi-24, have changed my name to Madhu Thawani 0040524746-1

I, Bibek Kumar Ojha S/o Prabhash Narayan R/o-C-334, Lajpat Nagar, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Vivek Kumar Ojha. 0040524819-10

I, Baby Shagun Sehgal D/O Dinesh Sehgal R/O-K-14 Bhagat Singh-Road Krishna Nagar Delhi-110051. Changed My Name To Shagun Sehgal. 0040524826-6

I, Manit S/o Sh.Naseeb Chand R/o 155/44, Mohalla Khatik, Guramandi, Delhi, Malka Ganj, Delhi-110007 inform that my name of my father has been wrongly written as Nashib Chand in my 10th class mark-sheet & certificate. The actual name of my father is Naseeb Chand, which may be amended accordingly. 0040524739-3

I, Mohd. Jalal Uddin S/o Wali Mohammad R/o-H.No. 3/4, S/F, Baghichi No.3, Harinagar, Ashram, New Delhi-110014, have changed my name to Mohd Jalal. 0040524817-2

I, Mohd Imran Khan S/O Mohd Isha R/O-L-IInd, H.No-1104, Gali No-24. Sangam Vihar, N.Delhi-110062. Changed My Name To Mohammad Imran. 0040524826-10

I, Manoj Sain S/O Raja Ram Sen R/O 39-D, Prem Kunj, Sangam Park, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007 have changed my name from Manoj Sain to Manoj Sen for all future purposes. 0040524784-1

I, Manoj Kumar S/O Balwant Rai Purthi Add-H-29, South Extension Part-1, New Delhi-110049., Changed My Name To Manoj Kumar Pruthi 0040524787-4

I, Manoj Gupta S/o Sh. Amar Nath Gupta R/o B-22, First Floor, Duggal Colony, Khanpur, New Delhi-110062, have changed my name to Manoj Kumar Gupta for all purposes. 0040524778-1

I, Madan Dewan S/O Manna Ram Dewan R/O H-110, Upper Ground Floor, Shivaji Park, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026, have changed my name to Madan Lal Dewan. 0040524751-1

I, Kulwant Singh Sondh S/O S.Jaswant Singh R/O-D-42, 3rd-Floor, Saraswati-Garden, N.Delhi-110015, have changed my minor son's name Sahibjeet Singh to Sahibjeet Singh Sondh. 0040524817-7

I, Km. Prajesh Agrawal W/O Rajendra Kumar R/O-125/9, G.F., KishanGarh, VasantKunj, New Delhi-110070 have changed my name to Priya. 0040524789-4

I, Khushi D/O Rajiv Mohan Goswami R/O-G-71, Naraina Vihar, N.Delhi-110028, have changed my name to Kashish Goswami. LIC Policy-No.330868935. 0040524817-5

I, Kanwaljit Kaur W/O Narinder Singh R/O Khasrano.7/23, C-Block, Galino.6, Kamalvihar, Kamalpur, Santnagar Burari, Delhi-110034. Changed my Name to Kawal Jeet Kaur. 0040524797-10

I, Kamrudin S/O Hussani R/O D-92, J.J Colony, Shakurpur, Delhi-110034. Have Changed My Name To Kamruddin. 0040524797-9

I, Jasica Singh D/O Satinder Singh R/O B-209.Ashok-Vihar Phase-1 Delhi-110052. Changed My Name To Jessica Madan. 0040524826-7

I, Hitherto Known As Ashish Dua S/O Sh.Satish Dua R/O-B-20, First Floor, Friends-Colony West, Sriniwas Puri, New Delhi-110065, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Aashish S Dua. 0040524819-7

I, Harvinder Kaur W/O Lt Col. Narender Singh Sahi R/O 595, Sector-29 Noida(U.P.) have changed my name to Harvinder Kaur Sahi for all future purposes and my DOB 26/01/1951. 0040524766-1

I, Gulshan Nasim W/O Nasim Ullah R/O-P-133. S.F.Gali.No-2. Pehalwan-Chawk Jamia-Nagar, Okhla Delhi-110025. Changed My Name To Gulshan Naseem. 0040524826-8

I, Dheeraj S/O Chander Mohan Bajaj, R/O 5A,U&V, Shalimar Bagh,Delhi, have changed my name to Dheeraj Bajaj for all purposes. 0040524618-1

I, Deepak S/O Ramesh Chand Garg R/O II-C-131, Nehru-Nagar, Ghaziabad. Have changed my name to Deepak Garg for all purposes. 0040524826-2

I Sheeba/Sheeba Sayeed Khan W/O Parwez Khan R/O-C-82, Radhey Shyam Park Extension Krishan-Nagar Delhi-110051. Have Changed My Name To Sheeba Sayeed. 0040524789-1

I Saranjit Kaur alias Geeta D/O Late Sardar Hardayal Singh W/O Capt. Ramesh Krishan Bhardwaj R/O F/41, Ground Floor, Naraina Vihar, New Delhi-110028 have changed my name to Geeta Bhardwaj for all purposes. 0040524739-2

I Sadaram S/O Sarjit Singh R/O-Vpo Khaira-Village, Najafgarh, South West Delhi, Delhi 110043, inform that Sadaram & Sadaram Yadav is One Person. 0040524789-6

I Radhika D/O Anil Kumar Singhal R/O D-14 Hakikat Rai Road Adarsh Nagar Delhi-110033. Changed My Name To Radhika Singhal. 0040524819-3

I Santosh Aggarwal Alias Barkha Gupta D/O Banwari Lal and W/O Harish Aggarwal R/O 20/325, Lal Chand Colony, 3/191, Gali No-3, Lal Chand Colony, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507, have changed my name to Barkha Gupta 0070688928-1

I Prabhat Bhatia S/O Sh. Ram Chand Bhatia R/O H. No.3064, Gali No.3, Block-A, SGM Nagar, NIT Faridabad Haryana have changed my name from Prabhat Kumar Bhatia to Prabhat Bhatia for all future purposes. 0040524786-1

I, Baboo Lal S/o Sampat Lal R/o-RZ-D-84, Nihal Vihar, Nangloi, New Delhi, have changed my name to Babu Lal permanently. 0040524817-4

I, Atul Kaushal S/o Kaushal Kishore R/o 2047, Gali No-10, Surya Colony, Sehatpur, Amarnagar, Faridabad, Haryana-121003, that the name of my father has been wrongly written as Kaushal Kishor in my Schooling Certificates. The actual name of my father is Kaushal Kishore 0070688935-1

I, Ashok Kumar Alias Ashok Kapil S/o-L.S. Kapil R/o-802, Gali No.7, Govindpuri, Kalkaji, N.D-19. Have changed my name to Ashok Kumar Kapil S/o Lotan Singh Kapil. 0040524817-1

I, Aquila Suleman W/O Khurshid Akhter R/O D-338, Tripathi Enclave, Prem Nagar-2, Kirari, Suleman Nagar, Delhi-86 Have Changed My Name to Akila Suleman. 0040524819-6

I, Anurag/Anurag Dineshwar Prasad S/o Dineshwar Prasad R/o 353, First Floor, IP Colony, Sec-30-33, Amarnagar, Faridabad Pin-121003, have changed my name to Anurag Sinha for all purposes. 0040524822-1

I, Anil Kumar S/O Khazana Ram R/O-A-26.Sai Complex. Khasra No-629.Chhattarpur-Enclave Phase-1. South/Delhi-110074. Changed My Name To Anil Sharma. 0040524826-9

I, Amra Nath S/o Krishna Prasad R/o E-24/3, Flat No.406, 3rd-Floor, B/P, Easternside, Siddharth Nagar, N.D.-14, have changed my name to Amar Nath. 0040524817-3

I, Amit Pal S/o Jagdish Singh Chawla R/o-430 Bhera-Enclave, Outer Ring Road, Paschim-Vihar, New Delhi-110087, have changed my name to Amit Chawla. 0040524789-3

I, Amit Kumar Joshi S/o Surinder Kumar Joshi R/o 2103, Tower A-6, Cleo County, Sector-121, Noida-201301, have changed my name to Amit Joshi for all purposes. 0040524745-1

I hitherto known as Narendra Kumar son of Ram Karan Verma residing at B-121/A, Flat No.2, Upper Ground Floor, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi-110030 have changed my name and shall hereafter be known as Narinder Verma. 0040524789-9

I Yogendra Kumar Gujar S/o Mangilal Kumar Gujar R/o.233, 2nd-floor, Block-B, Sector-56, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name to Yogendra Gujar. 0040524826-4

I Simer Kaur D/o Narinder Singh R/o C-139, Uday-Vihar, Chander-Vihar, Nilothi-Extention, West/Delhi-110041, have changed my name to Simar Kaur for all purposes. 0040524797-3

I, Shirish Gangadhar Deshpande S/o Late Gangadhar Bhagwant Deshpande R/o C-2, Awanti Vihar, Ram Nagar, Rampur, Polopahar, Vidyut Nagar, Jabalpur, M.P.-482008 declare that the name of mine has been wrongly written as Deshpande Shirish gangadhar in my service record. The actual name of mine is Shirish gangadhar Dehpande, which may be amended accordingly. 0070688945-1

I Nitin Sherawat S/o Satpal R/o H.No-52 Village Bakkarwala Mundka Delhi-110041, Changed My Name to Nitin Sehrawat. 0040524819-5

I, is for general information that I Sarita Rani W/o Kapil Kumar D/o Balbir Singh residing at-C-63, Gali No-3, North Chhajjupur, Delhi-110094 inform that the name of my father has been wrongly written as Balvir Dhama in my all documents. The actual name of my father is Balbir Singh respectively which may be amended accordingly. 0040524789-8

I Jamaludin Alias Jamalu Deen Sheikh Alias Jumaludeen Alias Jamaludeen Fazal Hussain Sheikh Alias Jamaludeen Sheikh S/o Fajal Husain R/o 101, Bheti Vithan Gaon, Post Office-Binak Khal, Ghansali, Tehri Garhwal, Uttrakhand-249181, have changed my name to Jamaludeen Sheikh. 0070688930-1

I, Rajiv Sharma alias Rajeev Sharma alias Rajeev Kumar S/o Late Suraj Bhan Sharma R/o 52, Bharat Nagar, New Friends Colony, New Delhi-110025 have changed my name and shall hereafter be known as Rajeev Sharma. 0070688949-1

I Baldev Singh S/o Satnam Singh R/o Saray Khader Tarapur Meerut. have changed my name to Gurmeet Singh. 0040524797-5

I, Himani Soni D/o Joginder Singh Soni W/o Bharat Bhushan R/o H.No. 136/1A, Bhudatt Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana-121004 have changed my name and shall hereafter be known as Himani Sonh Sharma. 0070688938-1

I, Amit S/o Sh. Om Prakash R/o 456/10, Chander Qtr., RamPura, Delhi-110035 have changed my name to Amit Tanwar. 0040524789-5

I, Kiran W/o Anil Kumar Singhal R/o D-14 Hakikat Rai Road Adarsh Nagar Delhi-110033, Changed My Name To Kiran Singhal. 0040524819-2

I Gurinder Kaur W/O Anmol Singh Kochhar Add.-B10 First-Floor Rana Partap Bagh Delhi-110007, Changed My Name To Gurinder Kaur Kochhar. 0040524819-4

I Chhotey Lal S/o Sh.Srinath Patel R/o H-23 B/3, Upper Second Floor, Garhwal, Mohalla, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Chhotey Lal Patel for all purposes. 0040524739-1

I, Kaustav S/O Narendra Kumar R/o 181, Sector-4, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad, U.P.-201002 have changed my name and shall hereafter be known as Nishant Kumar. 0070688954-1

I Meenakshi Handa D/O Ramesh Handa R/O 9/2 Geeta Colony Delhi 110031, Have Changed My Name To Ekta Bhatia. 0040524797-7

I, Jatinder Suri S/o Vidya Parkash R/o F-21 C,Mukhram Garden,Tilak Nagar,New Delhi-110018 have changed my name from Jatinder Suri to Jitender Kumar for all future purposes. 0040523909

खोया+पाया

I, Shashi Bhushan Sharma S/o Durga Dass and Nutan W/o Brij Bhushan R/o A-816, Shastri Nagar, Delhi-110052, have lost our original document payment proof and Possession letter etc. of Bhawana Plot No. 70, vide application no 36352, if find by anybody please contact above 8800092108. 0040524663-1

Lost original Lease Deed for property No.W-139, Rewari Line Industrial area, Phase-2,Delhi belonging to Surender Kumar S/o Hari Singh. FIR lodged vide LR No.2008221/2019 dated:18-12-2019. Founder inform at above address. 0040524743-1

मेरी प्रापर्टी नं. एच–130 सी, ब्लॉक–बी पॉकेट यू एंड वी शालीमार बाग दिल्ली–88, के अलॉटमेंट लैटर, पजेशन लैटर और NOC के कागजात खो गए हैं। जिसकी FIR तिथि 18.12.2019 LR No: 2009336/2019 है। कृपया कागजात मिलने पर सम्पर्क करें– प्रदीप ओबरॉय मोबाइल नं. 9911108500.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Smt. KAMLESH W/O RAJENDER KUMAR AND RAJENDER KUMAR R/O H. No. K-90, MANGOLPURI, Delhi-110083, has severed all their relations with their son "SONU AND HIS WIFE SAVITA" and their children" Who are quarrelsome and disobedient to my client and is leading their life as per their wishes and against the wishes of my client. Henceforth, neither my client nor any of their other family members has/have any relation or connection with their son SONU AND HIS WIFE SAVITA and thus my clients hereby debar them from all their movable and immovable properties.

Sd/-
SUBHASH BAGHEL (ADVOCATE)
CH. NO. 715, LAWYERS CHAMBER BLOCK, ROHINI COURTS DELHI- 110085

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that my client SH. BHUSHAN NAGPAL W/O SARVJEET NAGPAL, and D/o LATE SH. NIHAL CHAND R/o E-164, Ashok Vihar Phase-I Delhi-110052, has misplaced/lost the Original Demand Letter, Allotment Letter, DDA Possession & Site Possession, NOC. etc. in respect of Property Shop No. C-123 New Sabji Mandi Azadpur Delhi-110033 said Property & have Lodged a complaint/FIR LR NO. 783938/2019 dated 06.03.2019, with Police Station crime branch Delhi, if any body finds the said document, please inform her at the abovesaid Address or Ph. No. 9999438015, if any other claiment has any right in the aforesaid property, he/she should file an FIR & give intimation to Dy/Asst. Director (CL) A-block Vikas Sadan, INA New Delhi with in 15 days from the date of publication of this Notice.

KAMAL SINGH (Advocate)
Enrl. No D-748/14

PUBLIC NOTICE

Through this public notice it is be known to the general public at large that my clients Mr. Charan Singh, S/o Ram Nath & Smt. Sneh Lata W/o Charan Singh both R/o H.No.313, Kh. No.38/15, 25 Ft. Road, A-Block, Gali No.8, Amrit Vihar, Burari, Delhi-84 have debarred their son Ajit Kumar S/o Charan Singh R/o H.No.313, Kh. No.38/15, 25 Ft. Road, A-Block, Gali No.8, Amrit Vihar, Burari, Delhi-84 & their daughter-in-law Priya Sharma W/o Ajit Kumar presently residing at Chowki No.2, Saraswati Vihar, Loni Ghaziabad, U.P. From all of my client's movable & immovable assets, due to their misbehavior, disobedient & have also ceased all their relations in every respect with them. It is further declare that any person whosoever deals with them shall do that entirely at his/her/their own risk, costs and responsibility and my clients shall not be responsible for dealing with them if any person do so. Harendra Singh (Advocate) 1,A-1-Block, Amrit Vihar, Burari, Delhi-84.

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमती परछिम्मा पत्नी स्व. गोविन्द राज पता–बी–1074, ट्रॉजिट कैम्प राजीव गांधी कालोनी, गोविन्द पुरी आली, नई दिल्ली–19 ने अपने पुत्र कुमार स्वामी एवं उसकी पत्नी महेश्वरी के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल करके उनसे अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में उनके किसी भी लेन–देन या व्यवहार के लिए मेरी मुवक्किला व परिवारजन उत्तरदायी नहीं होंगे।

संजीव वशिष्ठ (अधिवक्ता)
चै. नं. 203–204, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली–01

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that our client Mr. Hemant Kumar Verma S/o Mr.S.L Verma R/o 61-C, IInd Floor, DDA LIG Flat, Prasad Nagar, New Delhi-5 is the owner of the property bearing address 61-C, IInd Floor, DDA LIG Flat, Prasad Nagar, New Delhi-5 with terrace/roof rights & above, on the basis of Gift deed dated 12-07-2018 executed by Mr. S.L. Verma in favor of Mr. Hemant Kumar Verma, registered as document no 6556, book no. 1, volume no. 17494, page no. 15 to 22 on 16-07-2018 with the Sub-Registrar III, New Delhi.

We hereby inform the general public that our client holds a valid & legal title in the abovementioned property and has not executed any document qua his ownership of the property in anybody's favor. The general public is cautioned to refrain from dealing with any person qua the abovementioned property which is owned solely by our client. Any person dealing with any third party claiming to be the owner of the abovementioned property shall do so on his/her own risk. It shall not be binding on our client in any manner whatsoever.

Kapil Kumar (Advocate)
Flat No C-2, 2nd Floor, Khasra No 677, Extended Lal Dora, Sant Nagar Burari Delhi-110084

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client Smt. Jyoti wife of Late Shri Deepak Kumar resident of House No.211, Om Vihar, Phase-1A, Shiv Shanker Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned her son namely Mr. Yogesh Kumar Batra and his wife Smt. Ruchi Batra and their daughter Harshita Batra from her all movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and she has severed her relations with them for all intents and purposes with immediate effect, My client and her family members will not be liable for their acts,whatsoever done by them to anybody in future.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री पूरण पुत्र श्री नौबत व इनकी पत्नि श्रीमती कश्मीरी निवासीः- ख०नं० 1086, गली नं०-9, डी-ब्लॉक, स्वरूप नगर, कादीपुर, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली-110036 ने अपने पुत्र सोनू को इसकी पत्नि कविता को इनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में इनके किसी भी गलत कार्य के लिए मेरे मुविक्कल जिम्मेदार नहीं होंगे।

Ashish Kumar Upadhyay (Advocate)
Off.:-E-223, Main Road, Khajuri Khas, Delhi-110094

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Nawal Kumar Singh S/o Shiv Mangal Singh residing at House No-A-14, Street No. 1, New Sabhapur, Gujaran, Sherpur, Karawal Nagar, Delhi- 110094 declare that name of mine and my father has been wrongly written as Naval Kumar Singh and Sumangal Singh in my Pan Card No. GXYPS8580N. That actual name of mine has been mine and my father are Nawal Kumar Singh and Shiv Mangal Singh respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Sh. Manjit Singh S/o Late Mohinder Singh R/o FA-128, Mansarver Garden, New Delhi-15 earlier because of attitude and conduct of their son Ajit Singh had severed all their relations with him and disowned him from inheriting any of their movable & immovable assets vide public notice dated 29.01.14 published in daily news paper Jansatta, how ever because of his subsequent acts, my client have decided to revoke the said publication and hereby revoke the said publication, from the day of publication of this public notice, son of my client Ajit Singh Arora will be entitled to all the rights as provided to him under Hindu succession act & after the death of my client, he will be entitled to all the rights in the properties to be left by my client according to law.

Mohinder Dhawan (Advocate)
D-643/97 (R.) Tis Hazari Courts

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Shri Yad Ram Son of Late Shri Kishori Lal (Aadhar No. 433184159509) and his Wife Smt. Sharda Diwakar D/o Shri Daya Ram Diwakar both Resident of B-889/C, Sangam Vihar, Pushpa Bhawan, South Delhi, Delhi-110062, presently both residing at House No. L-703, Gali No.8, Sangam Vihar, New Delhi-110080 have disowned/debarred his son and his daughter in law namely Aashish Kumar along with hs wife Smt. Deepshikha@ Jyoti from his all immovable and movable assets and severed all relations with them due to their disobedience and bad behaviour and shall not be responsible for their any kind of acts and deeds in future.

Sd/-
RAVINDRA SINGH & BHISHAM SINGH
(Advocates)
Office: Chamber No. 874-75, 945-A, Patiala House Courts, New Delhi-110001.

PUBLIC NOTICE

To be known to all that We, Ajay Muttreja S/o. I.D. Muttreja & Mrs. Monica Muttreja W/o. Ajay Muttreja R/o. DDA, MIG Flat No. 48, Blk-I, GF, Naraina Vihar,ND-28, Cont. 011-25598045, Email: amuttreja@vsnl.com, Allottee/purchaser of DDA, MIG Flat No. 48, Blk-I, GF, Naraina Vihar, ND-28 has applied for the conversion of aforesaid property from leasehold to free hold in DDA the original demand cum allotment letter, Possession Letter, Site Possession Slip, NOC for Water & Electricity, other related papers & documents etc. of the aforesaid property have been lost. An FIR to this effect has been lodged in police station date 29.11.2019. Any person(s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original document may write/contact with above named person at above address with in 15 days from the date of publication of this notice and can personally contact Deputy Director (LAB) housing or director(H), D block 3rd floor, Vikas Sadan INA, New Delhi.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री अशोक कुमार, स्वर्गीय पुत्र श्री लाल चंद, निवासी– हाउस नंबर 432, मदनपुरी, गली नंबर 7, गुरुग्राम हरियाणा, जो कि प्लॉट नंबर सी–12, 535 एसक्यू. यार्डस, न्यू मार्केट स्कीम, ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, गुरुग्राम, तहसील और जिला गुरुग्राम (राजस्व) में स्थित है जिसका कानूनी मालिक श्रीमती मीरा मेहता पत्नी श्री सुनील कुमार मेहता और पुत्री स्वर्गीय रमेश चंदर सभरवाल, निवासी एन–132 ग्रेटर कैलाश भाग–I, नई दिल्ली से सम्पत्ति के एवज में खरीदने के इच्छुक हैं।

यदि किसी व्यक्ति का कथित सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कोई अधिकार, हित, हक, दावा, अधिभार, किसी भी प्रकार का प्रभार है तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नीचे दिये गये पते पर भेज सकता है और ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि कथित सम्पत्ति किसी भी दावे, हित, प्रभार, अधिभार आदि से मुक्त है।

यह सूचना दिनांक 20 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित।

रवि सचदेवा (अधिवक्ता)
केआरएस एसोसिएट्स, बी–88, सैक्टर–40, नोएडा–201301, जिला–गौतम बुद्ध नगर (यूपी)

PUBLIC NOTICE

Sale of Residential Property Bearing First Floor of Property No.WZ-234-A, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi.

Notice is hereby given for information to the General Public by my client i.e. LIC Housing Finance Ltd that Sh. Krishan Chand & Sh. Lalit Alok acquired the above said property through Sale Deed dated 07.03.2014 registered vide no. 2420. The original Registered Agreement to sell dated 27.01.2011 registered vide no.836 & Sale Deed dated 20.06.2011 registered vide no.6581 executed by Sh. Satpal Singh in favour of Sh. Inderjit Singh Gulati & Smt. Rajinder Kaur in respect of above referred property has been lost. Now the said Sh. Krishan Chand & Sh. Lalit Alok intends to sell the above referred property to the customer (Sh. Nitin Pandia) of my client LICHFL. The customer is availing the financial facility to purchase the above referred property and against the security of above referred property. If any person including banks, financial institutions or any other person, relative, organization, company, firm or government authority having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the above-referred property, is hereby called upon to make the same known, in writing with documentary evidence by registered AD Post to the undersigned at the address mentioned herein below within 15 (Fifteen) days of publication of this notice to the undersigned on the below mentioned address, failing which the same shall be deemed to have been waived and/or abandoned. In the event of no response being received to this notice, the purchase/ mortgage of this property shall be completed by our client without any reference to and without in any manner being affected by any such right title, interest or claim whatsoever.

MANISHA CHAUDHARY, ADVOCATE (JUS LEGALIS)
210, VARDHMAN STAR CITY MALL (NEAR RAMPHAL CHOWK), SECT-7 DWARKA, NEW DELHI-110075
011-45606363, 9899006723

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Vivek Singh S/o Sh. Shiv Pal Singh R/o 1/2251-E, Gali No. 13, Tilak Marg, East Ram Nagar, Shahdara, Delhi- 110032 declare that name of mine and my wife has been wrongly written as Vivek, Vivek Chauhan, Vandana Chauhan and Vandana in my minor son Shreyansh Chauhan aged 13 years birth certificate and school record and name of mine has been wrongly written as Vivek Chauhan in my minor son Shreyansh Chauhan aged 13 years Aadhar Card. The actual name of mine and my wife is Vivek Singh and Vandna Singh, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public at large that we, Hari Parvat Financial Advisors & Consultants Pvt. Ltd. have let out our premises at Unit No. 724, Tower-B, Jasola Distt Centre, Jasola, New Delhi presently to Sulzer Pumps India Pvt. Ltd. w.e.f. from 15th October, 2018. Further it is declared that only Sulzer Pumps India Pvt Ltd. is the authorized lessee on the said premises w.e.f. 15th October, 2018. The above stated premises were offices/places of operations of other companies in past on tenancy arrangement, which association has ceased w.e.f. 30th October, 2017 and neither us nor the premises mentioned herein before has anything to do with their respective acts, omissions and commissions.

Anybody dealing with the same shall be doing it on their sole risk and costs for which neither us nor the premises or the present tenant shall be responsible or answerable in any manner whatsoever.

Mr. Noor Alam, Advocate
Chamber No. 702, Lawyers' Chamber Block, Saket Court Complex, New Delhi – 110017

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किला श्रीमती बबली यादव पत्नी स्वर्गीय श्री सत्यवीर यादव निवासी–बी–146, मैदान गढ़ी एक्सटेंशन मैदान गढ़ी रोड छतरपुर, नई दिल्ली में रहते हैं। यह कि मेरे मुवक्किल ने अपनी बेटी अंचना यादव को उनके गलत चाल–चलन एवं गलत आदतों के कारण अपनी तमाम चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है। भविष्य में अंचना यादव से मेरे मुवक्किला का कोई संबंध नहीं है। यदि भविष्य में इनके साथ कोई भी व्यक्ति लेन देन या किसी भी तरह का संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उनके किसी भी कृत्य के लिए मेरे मुवक्किला व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

SURAT SINGH YADAV
ADVOCATE
CH. NO. 703
LAWYERS BLOCK SAKET COURT COMPLEX NEW DELHI-110017

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री जगदीश कुमार बत्रा पुत्र स्व श्री कन्हैया लाल बत्रा निवासी , FF-3, प्लाट नं.–35, ज्ञान खंड–2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ने अपने पुत्र यशपाल बत्रा एवं पुत्रवधु दिव्या बत्रा को उनके गलत आचरण, लडाई–झगडे तथा अवांछनीय व्यवहार से त्रस्त होकर अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है भविष्य में उनके किसी भी कृत्य का मेरे मुव्वकिल से कोई सरोकार नहीं होगा।

हस्ता./–
राजेश खन्ना (अधिवक्ता)
चैम्बर नं.–९४४, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

संपत्ति

Residential Plot for Sale

Residential Plot 1500 sqft at Mehta Vihar, Baraura Road (Near Mari Mata Mandir), Lucknow. Genuine buyers contact directly. Brokers please excuse.

Call : 7503322751
dycom.nr@gmail.com

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

IAS GS World PCS
Committed To Excellence

हमारा प्रयास, आपकी सफलता...

IAS Pre. 2020

सफलता के लिए 122 दिन हमारे साथ...

खुली परिचर्चा
जानिए हमारी रणनीति...

22nd Dec. 11:30 AM

CSAT 26th Dec. 8:00 AM

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
011- 27658013, 7042772062/63

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT IAS & HOW TO CRACK IT

FREE SEMINAR

ROHINI
Sun. 22nd Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.

TILAK NAGAR
Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.

NIRVANA IAS ACADEMY
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com

ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005

LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

आइटीओ बस पड़ाव से मुफ्त वाईफाई की शुरुआत

२जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

अब दिल्ली वाले मुफ्त वाईफाई सेवा का प्रयोग कर सकेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आइटीओ बस स्टॉप से मुफ्त वाईफाई सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस सेवा के जरिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। आइटीओ से दिल्ली सरकार ने 109 हॉटस्पॉट की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को मार्डन वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में मदद मिलेगी। देर शाम तक सभी 109 हॉटस्पॉट चालू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 500 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। सरकार की योजना के मुताबिक आने वाले छह माह में 11 हजार हॉटस्पॉट लगाने का कार्य खत्म किया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक आम जनता को हर 500 मीटर दूरी पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। एक अनुमान के मुताबिक 11 हजार हॉटस्पॉट लग जाने के बाद एक समय में 22 लाख लोग एक साथ मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली सरकार एक उपभोक्ता को प्रतिमाह 15 जीबी डाटा मुफ्त देगी।

सरकार की योजना के मुताबिक दिल्ली के चार हजार बस स्टॉप पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सात हजार अन्य जगहों को भी इस सेवा के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें स्थानीय नागरिक संगठन, बाजार व अन्य स्थान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि शायद भारत के इतिहास में यह पहली सरकार होगी, जिसने चुनाव में जितने वादे किए थे, उन सभी को पूरा किया है। यह आखिरी वादा था, इसे भी दिल्ली सरकार ने पूरा किया है।

- दिल्ली में एक साथ शुरू हुए 109 हॉटस्पॉट
- हर सप्ताह 500 हॉटस्पॉट लगाने की तैयारी
- 6 माह में लगेंगे 11 हजार हॉटस्पॉट

रेंज बदलने पर भी नहीं टूटेगा वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन

एक हॉटस्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम औसतन 200 यूजर माने और 11 हजार हॉटस्पॉट्स माने तो 22 लाख उपभोक्ता एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे।

हॉटस्पॉट्स को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप को जारी कर दिया जाएगा। उस ऐप के जरिए उपभोक्ता को अपनी केवाइसी का विवरण भरना होगा। केवाइसी भरने के बाद उपभोक्ता के फोन में ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट का कनेक्शन चालू हो जाएगा।

एक सप्ताह तक अपने हॉटस्पॉट्स के जोन से निकल कर दूसरे के जोन में जाते हैं, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि दूसरे हॉटस्पॉट्स में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। पहले फेज में 11 हजार हॉट स्पॉट्स लगाए जा रहे हैं।

यहां से होगी मुफ्त वाईफाई सुविधा की शुरुआत

- कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
- कश्मीरी गेट आइएसबीटी
- आइटीओ बस स्टैंड
- मंडी हाउस बस स्टैंड
- दिल्ली सचिवालय
- इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
- दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
- सराय काले खां बस स्टैंड

भविष्य में सीसीटीवी कैमरों से भी जोड़े जाएंगे हॉटस्पॉट

दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी भविष्य में मुफ्त वाईफाई सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली को और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों व वाईफाई का रखरखाव दिल्ली सरकार ही करेगी। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा

रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेंद्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली –110008, फोन न. 011–25758124, ई मेल : iob1997@iob.in

शुद्धि पत्र

यह 10.12.2019 को फाइनेंसियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में है, जिसमें दो सुधार निम्नानुसार है:
1. खाता महावीर मेडीवेज सीरियल नंबर: 6 के खाते में बिक्री के समापन के लिए अस्थायी दिनांक और समय 12.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे के बजाय 26.12.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे का समय निर्धारित है।
2. अचल संपत्ति का विवरण: प्रथम तल, बी–77, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर– IV, नई दिल्ली –110024 के बजाय, प्रथम तल, बी –77 एम, दयानंद कॉलोनी, लाजपत नगर–IV, नई दिल्ली –110024 पढ़ा जाये।

अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10.12.2019
प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF ASSOCIATED TRADE LOGISTICS PRIVATE LIMITED – IN LIQUIDATION

Pursuant to Regulation 31 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 ("Regulations"), Public Announcement is hereby made to all the Stakeholders of the Company that the List of Stakeholders of the Company has been filed with Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III, on December 19, 2019.

As there is no functional website of the Corporate Debtor, hence the List of Stakeholders showing complete details of the amount of claims admitted by the Liquidator, including modified amount from time to time, extent up to which the claims are secured/unsecured, details of Stakeholders and proofs admitted/rejected in part and those wholly rejected, if any, can be viewed on the website of the Liquidator, on the following link:
https://www.ilcairp.com/associated-trade-logistics-pvt-ltd/

The Stakeholders are further notified that any modification of entry in the List of Stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III can be made only by filing an application with the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench III and in the manner directed by the Bench.

Sd/-
Shalu Khanna (Liquidator)
M/s. Associated Trade Logistics Pvt. Ltd. – In Liquidation
IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523
Address: Luthra & Luthra Restructuring and Insolvency Advisors LLP
A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi-110 057, India.
Email: atl.rp@ilca.net

Date: 19th December, 2019
Place: New Delhi

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाष: 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	श्री फहीम अली एवं श्रीमती हसन फातिमा (कर्जदार) ऋण खाता सं. 622635250	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 27,78,170/–, (केवल सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार एक सौ सत्तर रुपए)	03 सितम्बर, 2019	17 दिसम्बर 2019 (भौतिक)	गांव नूरनगर, राज नगर परगना लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के खसरा नं. 1010, 1011 और 1012 पर स्थित फ्लैट नं. ई–501, ब्लॉक–ई, चौथी मंजिल, एससीसी सैफायर निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	श्रीमती पूनम प्रियदर्शनी सिंह एवं श्री संजय जोशी (कर्जदार) ऋण खाता सं. 617077920	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 53,88,465/–, (केवल तिरपन लाख अठासी हजार चार सौ पैंसठ रुपए)	03 सितम्बर, 2019	18 दिसम्बर 2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. बी1/1459, 14वीं मंजिल, टॉवर 12 ए, पूर्वांचल रायल सिटी, प्लॉट नं. जीएच–05, सैक्टर सीएचआई–ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार (कर्जदार) ऋण खाता सं. 604865988	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 29,50,706/–, (केवल उनतीस लाख पचास हजार सात सौ छह रुपए)	03 सितम्बर, 2019	17 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	फ्लैट नं. 1203, 12वीं मंजिल, टॉवर एसके–3, देविका स्किपर्स, खसरा नं. 1148, नूर नगर, परगना लोनी, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच–58, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।
4.	श्री दीपक चौधरी एवं सुश्री कमलेश देवी (कर्जदार) ऋण खाता सं. 626788476 और 625397155	30 जून, 2019* को बकाया रु. 8,16,910/–, (केवल आठ लाख सोलह हजार नौ सौ दस रुपए)	22 जुलाई, 2019	17 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	फ्लैट नं. ए–3252, तीसरी मंजिल, टॉवर नं.–35, ब्लाक नं. 35, दिनेश नगर, एनएच–24, पबलामोदी नगर रोड, पिखुवा, गाजियाबाद निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
5.	श्री पंकज कुमार पाण्डे एवं श्रीमती प्रियंका पाण्डे (कर्जदार) श्री रविन्द्र कुमार (गारंटर) ऋण खाता सं. 601663729	30 जून, 2018* को बकाया रु. 13,36,021/–, (केवल तेरह लाख छत्तीस हजार इक्कीस रुपए)	13 अगस्त, 2018	18 दिसम्बर 2019 (प्रतीकात्मक)	यूजीएफ–डी, एलआईजी, भारिन अपार्टमेंट–2, प्लॉट नं. 1/433, निति खण्ड–1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के रूप में आगे ब्याज के साथ।

तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार/गारंटर बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें। विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13(4) के पठित कथित अधिनियम के नियम 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 1 और 2 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **भौतिक कब्जा** तथा उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 3, 4 और 5 की अचल परिसम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।

विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियो का किसी भी तरह से लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के अधीन होगा।

प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियां) वापस लेने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तैयार पंचनामा और बनाई गई इन्वेंट्री की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। कथित कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों से आग्रह है कि संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से किसी कार्य दिवस में सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर लें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 19.12.2019

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/–
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई–400 020

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

राठी इस्पात लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	राठी इस्पात लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03/06/1970
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L27109DL1970PLC005306
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** सी–220, सावित्री नगर, मालवीय नगर नई दिल्ली –110017 भारत **कॉर्पोरेट कार्यालय:** ए –2, जीटी रोड के दक्षिण की ओर, इस्पात नगर, गाजियाबाद –201009 यूपी
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भन तिथि	17 दिसंबर 2019 (माननीय एनसीएलटी से आदेश की प्रमाणित प्रति आईआरपी की नियुक्ति के लिए 19 दिसंबर, 2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14/06/2020 (दिवाला सकल प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**राज कुमार गुप्ता** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00064/2017-18/10142
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	**पता:** एस –203, दूसरी मंजिल, अजनारा टॉवर–1, सविता विहार, नियर योजना विहार, दिल्ली –110092 **ईमेल:** rkgassocial@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	**पता:** एस –203, दूसरी मंजिल, अजनारा टॉवर–1, सविता विहार, नियर योजना विहार, दिल्ली –110092 **ईमेल:** cirp.rathiispat@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02/01/2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पता: लागू नहीं

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **17 दिसम्बर 2019** को **राठी इस्पात लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। (प्रमाणित प्रति **19 दिसम्बर 2019** को माननीय एनसीएलटी से प्राप्त हुई)

राठी इस्पात लिमिटेड के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण **02 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए (श्रेणी का उल्लेख) में निर्दिष्ट करेगा– लागू नहीं

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
राज कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00064/2017-18/10142

दिनांक : 19 दिसम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06.01.2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70101DL2011PTC212252
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय :** सी –23 ग्रेटर कैलाश एनक्लेव, भाग–I, नई दिल्ली –110048 **आर / ओ के अलावा अन्य पते जहां खाता या कागजात की सभी पुस्तकें रखी गई हैं:** टेक बुलेवार्ड, सेंट्रल ब्लॉक, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर –127, नोएडा– 201301 यूपी
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भन तिथि	06.09.2019, माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश की तिथि (आईआरपी को आदेश 19.12.2019 को प्राप्त हुए)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	04.03.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**गौरव कटियार** IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	डी –32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 **ईमेल:** cagauravkatiyar@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	डी –32, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 **ईमेल:** 3chomes.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02.01.2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आबंटी
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**1. श्री श्याम अरोड़ा** **आईपी रजि. नंबर:** IBBI/IPA-002/IP-N00646/2017-2018/11703 **पता:** 96, अरावली अपार्टमेंट, अलकनंदा, नई दिल्ली –110019 **ई–मेल:** arora.shyaam@yahoo.com **2. श्री मनोज कुमार सिंह** **आईपी रजि. नंबर:** IBBI/IPA-003/IP-N00050/2017-18/10443 **पता:** 203, दूसरी मंजिल, 10 सिक्का कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार, दिल्ली–110092 **ई–मेल:** cma.msingh@gmail.com **3. श्री विजय किशोर सक्सेना** **आईपी रजि. नंबर:** IBBI/IPA-001/IP-P01186/2019-2020/12708 **पता:** तीसरी मंजिल, 100 कैलाश हिल्स, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110065 **ई–मेल:** vksaxena2159@gmail.com
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads https://ibbi.gov.in/ips-register/registered-ips इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI), 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली –110001

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **06 सितम्बर 2019** को **मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है। (आईआरपी को आदेश 19.12.2019 को प्राप्त हुए)

मैसर्स थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण **02 जनवरी 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए (रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आबंटी) में निर्दिष्ट करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर : **गौरव कटियार**
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409

दिनांक : 19 दिसम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली

संविधान का पाठ और गुलाब से प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के विरोध में गुरुवार को दिल्ली में जगह-जगह प्रदर्शन हुए। लाल किला, मंडी हाउस, जंतर मंतर जैसे स्थानों पर आम नागरिक, विद्यार्थी, बुजुर्ग व महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार कुछ घंटों के लिए इंटरनेट और संदेश सेवा भी बंद की गई। पुलिस की ओर से लाल किले और मंडी हाउस पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने के बाद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे और शाम तक गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करते रहे। पुलिस को गुलाब दिए गए। तो धरना स्थल से हटाने के उपक्रम में संविधान का पाठ और राष्ट्रगान गाया। नारे लगाने से ज्यादा पोस्टर पर लिखे शब्दों का जलवा रहा। कई मेट्रो स्टेशन बंद होने से आम लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा।

लाल किले के पास हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी।

साझी विरासत को समझने की अपील।

हिरासत में लिए गए योगेंद्र यादव। सभी फोटो : अरुष चोपड़ा

जंतर मंतर पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज हुई बुलंद

सुशील राघव
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के विरोध में गुरुवार को दिल्ली पुलिस की ओर से लाल किले और मंडी हाउस पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने के बाद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचने लगे। दोपहर दो बजे तक जंतर मंतर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे।

प्रदर्शनकारियों ने यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जंतर मंतर पर अधिकतर विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थी मौजूद थे। स्थिति पर काबू पाने के लिए यहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे। देर रात जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी पहुंचे। जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष साकेत ने बताया कि लाल किले और मंडी हाउस पर हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया और हमारे बहुत सारे साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी को देखते हुए हमने यहां जंतर मंतर पर आकर अपना विरोध दर्ज कराने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस सांप्रदायिक कानून को लाने के बाद केंद्र सरकार डरी हुई।

20 मेट्रो स्टेशन रहे बंद, यात्री हुए परेशान

विरोध में प्रदर्शनों के मद्देनजर गुरुवार को दिल्ली के 20 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए थे। इससे पहले डीएमआरसी ने सात मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहने की जानकारी दी थी। अचानक होने वाले इस बंद के कारण यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठंड व कोहरे के कारण सड़क यातायात पहले ही प्रभावित चल रहा है। मेट्रो के गेट बंद होने से अनजान यात्रियों को काफी घूम कर बैटरी रिक्शा, ऑटो या बस से भटकते हुए अपने गंतव्य तक जाना पड़ा।

भाजपा के खिलाफ सपा का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 19 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, किसानों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ छेड़खानी व बलात्कार व चौपट कानून व्यवस्था आदि मुद्दों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने सूरजपुर स्थित जिला मुख्यालय प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा जिलाध्यक्ष बीर सिंह यादव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नेता इसमें शरीक हुए। इस दौरान कई बार नेताओं की पुलिस से झड़प भी हुई।

सपा जिला प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे ने बताया कि नोएडा से भी भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता सूरजपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई बार पुलिस से सपा नेताओं की झड़प भी हुई। जब पुलिस ने कलेक्ट्रेट में घुसने से रोक और गेट बंद कर दिया। इसके बाद सपा नेता गिरफ्तारी पर अड़ गए। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने हस्तक्षेप कर सभी को अंदर प्रदर्शन की अनुमति दी, तब जाकर सपा कार्यकर्ता शांत हुए।

जिलाध्यक्ष ने डीएम को राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित पत्र सौंपा। बीर सिंह यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेटियों का बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के कार्यकाल में किसान, नौजवान, महिलाओं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। जिसका समाजवादी पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता राजकुमार भाटी, भरत प्रधान, भीष्म यादव, चिंटू त्यागी, बबलू चौहान, ओमपाल राणा, बिलाल बरनी, मोहम्मद तस्लीम, सूबे यादव, मनोज चौहान, रामवीर यादव, मुकेश प्रधान, संजय त्यागी सहित सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खबरों में शहर

बंद के आदेश के बावजूद खुले 13 स्कूल

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 19 दिसंबर।

ठंड के चलते गुरुवार और शुक्रवार को सभी बोर्डों से संबद्ध 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को बंद रखने के आदेश की अवहेलना करने पर 13 स्कूलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए थे। उधर, गौतम बुद्ध नगर में भी आदेशों की अनदेखी कर कई स्कूल खुले रहे। कुछ स्कूलों ने परीक्षा के चलते खोले जाने का दावा किया है। जिला प्रशासन ने बीएसए को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सभी महाविद्यालय, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं।

जामिया की वेबसाइट हैक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट गुरुवार को हैक कर ली गई। विश्वविद्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमारी वेबसाइट का संचालन एक निजी कंपनी करती है और उस कंपनी का सर्वर हैक किया गया है। इस संबंध में कंपनी को जानकारी दे दी गई है। वेबसाइट को हैक करने वाले समूह का नाम 'डार्क नाइट' बताया गया है।

सभी को अपनी बात रखने का अधिकार : मेधा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि जनतांत्रिक देश में अपनी बातें रखने का अधिकार सब को है। दलीय राजनीती से ऊपर उठकर जन सरोकार के मुद्दे पर अगर कोई आंदोलन इस समय सामने आ रहा है तो वह सरकार को नागवार लग रहा है। जामिया से लेकर अलीगढ़, पटना, लखनऊ, कोलकत्ता, हैदराबाद और पूर्वोत्तर के राज्यों में मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का सड़क पर आना यह दिखा रहा है कि जनता अभी भी संवैधानिक चौखट पर अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। नागरिक मंच इस काम को अपने हाथ में लेकर पूरे देश में फैलाए तो कम से कम आज का दिन इतिहास में दर्ज होने से कोई रोक नहीं सकता है। पाटकर गुरुवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान में नागरिक मंच के 2019 के सम्मान समारोह के अवसर पर नागरिक समाज एवं बदलते समय में एक नागरिक का सवाल विषय पर बतौर मुख्य वक्ता बोल रही थीं।

प्रपत्र – 'जी'
अभिरुची की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क(1)के अधीन]
प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	आईवीआर प्राईम आईटी-सेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	15/10/2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज– दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान / संख्या सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72300DL2007PTC169453
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 580 जी.टी. रोड, प्रथम तल, शाहदरा, यूको बैंक के सामने, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, 110032, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	19.09.2019
7.	अभिरुची की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	20.12.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता	www.insolvencyandbankruptcy.in यह RP के IPE की वेबसाइट है क्योंकि कॉरपोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है
9.	धारा 29क के अधीन अग्राह्यता के मानदंड	www.insolvencyandbankruptcy.in यह RP के IPE की वेबसाइट है क्योंकि कॉरपोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है
10.	अभिरुची की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	10.01.2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	20.01.2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	25.01.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	04.02.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	25.01.2020
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल केवाईसी के सत्यापन के बाद निवेश करने की क्षमता, प्रबंधन की क्षमता और आईबीसी 2016 की धारा 29 ए के तहत योग्यता और पूर्व-योग्यता सीओसी द्वारा अनुमोदित, यदि कोई है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिज़ॉल्यूशन प्लान / मूल्यांकन मैट्रिक्स / सूचना ज्ञापन के लिए अनुरोध साझा करेंगे।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	24.02.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना की विधि	क्रम संख्या 21 में उल्लेखित ईमेल आईडी के इलेक्ट्रानिक रूप में।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	लेनदार समिति के सदस्यों (सीओसी) द्वारा जैसे ही अनुमोदित किया जाएगा।
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	श्री काशी विश्वानाथन शिवारमन रजिस्ट्रेशन नंबर: IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-2018/11497
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	श्री काशी विश्वानाथन शिवारमन फ्लेट सं. 204, ब्लॉक-मेनका, वीएएस इन्द्रलोक, प्लॉट सं. जीएच-1, न्यायखण्ड-1, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201014
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	पता: ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली – 110048 ivrprime@aaainsolvency.com sivaraman@aaainsolvency.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	20.12.2019

हस्ता.
श्री काशी विश्वनाथन शिवारमन
एएए इन्सोल्वेन्सी प्रोफेशनल एलएलपी,
आईवीआर प्राईम आईटी-सेज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल
पंजीकृत संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-18/11497
Email id: sivaraman@aaainsolvency.com
पता: ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन नं. 011-46664600

अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई : पुलिस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

जामिया और सीलमपुर में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस आरएएफ और सीआरपीएफ की 52 कंपनियों को तैनात किया था। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि कई संगठनों ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह लाल किला से आइटीओ स्थित शहीदी पार्क तक एक मार्च निकालना चाहते हैं। पर पुलिस ने उन्हें कहा कि उस इलाके में कई अस्पताल और स्कूल हैं। इस कारण अनुमति नहीं दी जा सकती। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग लाल किला के पास पहुंचे और मार्च निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस बसों से कुछ लोगों को सूरजमल स्टेडियम और बाकी बचे प्रदर्शनकारियों को बवाना में सुरक्षित स्थान पर लेकर गई। बाद में सभी को छोड़ दिया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाह ना फैलाएं और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की खासी नजर है। अगर अफवाह फैलाते पाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि गुरुवार को किए गए प्रदर्शन को लेकर लोग अफवाह ना फैलाई जाए इसके लिए कुछ समय के लिए उन इलाकों में इंटरनेट सेवा और मोबाइल सेवा बाधित कर गई। हालांकि, कुछ ही समय बाद सेवा बहाल कर दी गई।

सीलमपुर : ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले की हुई पहचान

मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीलमपुर में बवाल के दौरान पुलिसकर्मियों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले शख्स की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है। उन्होंने कहा कि फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के बाद उसके भी हाथ जख्मी हो गए। उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

'इस कानून की देश को आवश्यकता नहीं'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में देशभर समेत दिल्ली में हो रहे हंगामें पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर इंतजाम करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार मिले और मेरे हिसाब से इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस समय केवल दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। यह हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वे बहुत ज्यादा चिंचित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में एक किस्म का डर है। केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदूओं, सिक्खों, इसाइयों और देश के सभी नागरिकों के अंदर डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि कागज दिखा कर साबित करो कि आप देश के नागरिक हो। तब 70 फीसद से ज्यादा लोगों के पास कुछ कागज दिखाने को नहीं होगा।

भ्रम फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल : गुप्ता

विजेंद्र गुप्ता गुरुवार को राजघाट पर सभी धर्मों के शरणार्थियों के साथ पहुंचे और धरना भी दिया। यह धरना हिंदू शरणार्थी अधिकार मंच की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के समर्थन में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि वे आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सौहार्द का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। वे वातावरण खराब कर रहे हैं। लेकिन लोग उनके साथ नहीं हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

प्रदर्शनस्थल पर स्थानीय लोग हुए परेशान

पुलिस ने सभी दुकानें कराईं बंद

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लाल किला के आसपास सुबह से ही नेता, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे। धारा 144 लागू होने और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और उनमें से कुछ को हिरासत में लिया तो प्रदर्शनकारी सुनहरी मस्जिद के पास निषादराज मार्ग पर धरने पर बैठ गए। इस कारण आसपास में रहने वाले स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों को खासी दिक्कतें हुईं।इन इलाकों में व्यावसायिक

पर्यटकों को भी हुई परेशानी।

गतिविधियों का संचालन किया जाता है। लाल किला के सामने भागीरथ प्लेस और चांदनी चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर कई दुकानें और दफ्तर हैं। निषादराज मार्ग पर भी ट्रांसपोर्टर्स और वाहनों की मरम्मत की करीब 50 दुकानें हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सभी दुकानें और दफ्तर बंद करवा दिए गए थे। इससे जहां एक ओर यहां काम करने वाले कर्मचारियों और मालिकों को परेशानी हुई। वहीं, लाल किला और चांदनी चौक घूमने आने वाले पर्यटक भी पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से इधर-उधर भटकते हुए दिखे।

ओड़ीशा से आए रमेश पात्रा ने बताया कि इन दिनों सर्दी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमने आए हैं। उन्होंने गुरुवार को चांदनी चौक घूमने की योजना बनाई थी। पर रिंग रोड पर उनकी कैब पुलिस ने रोक दी और बताया कि इससे आगे वह नहीं जा सकते। आगे प्रदर्शन किया जा रहा है।

www.readwhere.com

पंजाब नैशनल बैंक
.......भरोसे का प्रतीक
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

punjab national bank
...the name you can BANK upon!

वसूली विभाग, सर्कल कार्यालय : उत्तरी दिल्ली
तीसरा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110125
फोन : 011-25744163, ई–मेल : condelrd@pnb.co.in

आम जनता के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक कर्जदार के विरुद्ध नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर्जदारों / गारंटीकर्ताओं / बंधककर्ताओं (इसके बाद कर्जदारों कहा जायेगा) से राशि की वसूली हेतु मांग सूचना जारी किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों जो कि नीचे दिए कर्जदारों को प्रदत्त ऋण / क्रेडिट सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभूतियों के रूप में वारित हैं, का कब्जा ले लिया है। जैसा कि, प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री मांग सूचना के अनुसार कर्जदारों से पंजाब नैशनल बैंक की देय सुरक्षित ऋणों + भविष्य का ब्याज, बैंक द्वारा उस पर उठायी गयी लागत एवं प्रभार उसके बाद वसूली, यदि कोई हो, को पटाकर की वसूली के लिए **सार्वजनिक ई–नीलामी** के माध्यम से की जानी है। सर्वसाधारण को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। **बैंक सुयोग्य सम्पत्तियों के लिए बोली करने के लिए स्वतंत्र होगा।**

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदार एवं बैंक शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं उसमें वर्णित बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण — बंधककर्ता के नाम (सम्पत्ति के स्वामी) सहित	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (ईएमडी)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	उस खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से जमा की जानी है	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नम्बर	बकाया सरकारी देय, यदि कोई हो
1	मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. शाखा – मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली-110091	12.07.2017 रु. 539.15 लाख	फ्री होल्ड दुकान नं. 17, भूतल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 और 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित; क्षेत्रफल 10.03 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 4.60 लाख	रु. 0.46 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408003171160, PNB Mayur Vihar Phase-II, Delhi, IFSC कोड: PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री चितरंजन चौधरी, मो. नं. 9425501156, शाखा: मयूर विहार फेज–II, दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
2	मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. शाखा – मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली-110091	12.07.2017 रु. 539.15 लाख	फ्री होल्ड दुकान नं. 1 से 9, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 और 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, यू.पी.– 201005 में स्थित; क्षेत्रफल 1008 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति कम्पनी के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 22.50 लाख	रु. 2.25 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408003171160, PNB Mayur Vihar Phase-II, Delhi, IFSC कोड: PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री चितरंजन चौधरी, मो. नं. 9425501156, शाखा: मयूर विहार फेज–II, दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
3	मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. शाखा – मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली-110091	12.07.2017 रु. 539.15 लाख	फ्री होल्ड दुकान नं. 10, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 और 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, यू.पी.–201005 में स्थित; क्षेत्रफल 10.03 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति कम्पनी के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 2.70 लाख	रु. 0.27 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408003171160, PNB Mayur Vihar Phase-II, Delhi, IFSC कोड: PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री चितरंजन चौधरी, मो. नं. 9425501156, शाखा: मयूर विहार फेज–II, दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
4	मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. शाखा – मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली-110091	12.07.2017 रु. 539.15 लाख	फ्री होल्ड दुकान नं. 11 से 17, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, यू.पी. – 201005 में स्थित; क्षेत्रफल 756 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति कम्पनी के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 16.20 लाख	रु. 1.62 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408003171160, PNB Mayur Vihar Phase-II, Delhi, IFSC कोड: PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री चितरंजन चौधरी, मो. नं. 9425501156, शाखा: मयूर विहार फेज–II, दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
5	मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. शाखा – मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली-110091	12.07.2017 रु. 539.15 लाख	फ्री होल्ड दुकान नं. 10, द्वितीय तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 और 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, यू.पी. – 201005 में स्थित, क्षेत्रफल 10.03 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति कम्पनी के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 2.70 लाख	रु. 0.27 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408003171160, PNB Mayur Vihar Phase-II, Delhi, IFSC कोड: PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री चितरंजन चौधरी, मो. नं. 9425501156, शाखा: मयूर विहार फेज–II, दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
6	मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. शाखा – मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली-110091	12.07.2017 रु. 539.15 लाख	फ्री होल्ड दुकान नं. 3 और 8, भूतल, 86, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद (गाजि) यू.पी. – 201005 में स्थित, क्षेत्रफल 10.03 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 10.00 लाख	रु. 1.00 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408003171160, PNB Mayur Vihar Phase-II, Delhi, IFSC कोड: PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री चितरंजन चौधरी, मो. नं. 9425501156, शाखा: मयूर विहार फेज–II, दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
7	मैसर्स श्री पारस सेनेट्री एण्ड पाईप्स (प्रा.) लि. शाखा – मयूर विहार, फेज–II, दिल्ली-110091	12.07.2017 रु. 539.15 लाख	लीज होल्ड निर्मित सम्पत्ति जी–55, सेक्टर–39, नोएडा, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रिम्पी चमोला और श्री राहुल चमोला के नाम पर है। क्षेत्रफल 2672.37 वर्ग फीट / 248.27 वर्ग मी.	सांकेतिक	रु. 219.00 लाख	रु. 21.90 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408003171160, PNB Mayur Vihar Phase-II, Delhi, IFSC कोड: PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री चितरंजन चौधरी, मो. नं. 9425501156, शाखा: मयूर विहार फेज–II, दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
8	मैसर्स सॉफ्टमैक्स ट्रेडिंग प्रा. लि., शाखा: सिविल लाईन्स दिल्ली – 110054	20.05.16 रु. 1118.25 लाख	301, तृतीय तल, सम्पत्ति नं. 783ए का शेष भाग, वार्ड नं. XVI प्लॉट नं. 161, खसरा नं. 579/384/35,36,39 खतौनी नं. 271 जोकि देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली में स्थित, सेल डीड 7425 दिनांकित 28.09.2015, यह सम्पत्ति सॉफ्टमैक्स ट्रेडिंग प्रा. लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 42.00 लाख	रु. 4.20 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 0115003171160, A/c Name: "PNB Civil Lines " IFSC कोड: PUNB0011500	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 8588837770/9453045241, शाखा: सिविल लाईन, दिल्ली नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
9	मैसर्स सॉफ्टमैक्स ट्रेडिंग प्रा. लि., शाखा: सिविल लाईन्स दिल्ली – 110054	20.05.16 रु. 1118.25 लाख	302, तृतीय तल, सम्पत्ति नं. 783ए का शेष भाग, वार्ड नं. XVI प्लॉट नं. 161, खसरा नं. 579/384/35,36,39 खतौनी नं. 271 जोकि देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली में स्थित, सेल डीड 7426 दिनांकित 28.09.2015, यह सम्पत्ति सॉफ्टमैक्स ट्रेडिंग प्रा. लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 42.00 लाख	रु. 4.20 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 0115003171160, A/c Name: "PNB Civil Lines " IFSC कोड: PUNB0011500	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 8588837770/9453045241, शाखा: सिविल लाईन, दिल्ली नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
10	मैसर्स सनवाली इम्पैक्स (प्रा.) लि. शाखा: सिविल लाईन्स, दिल्ली	18.07.16 रु. 950.06 लाख	रिहायशी सूचिट नं. 2, द्वितीय तल, परिसर नं. 109, राजा राम मोहन रोड, पी.एस बेहाला 700008 वाईड सेल डीड नं. 04823 दिनांकित 16.05.2013 यह सम्पत्ति दीपक गुप्ता के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 40.00 लाख	रु. 4.00 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 0115003171160, A/c Name: "PNB Civil Lines" IFSC कोड: PUNB0011500	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 8588837770/9453045241, शाखा: सिविल लाईन, दिल्ली नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
11	मैसर्स डी.जी. फुटवेयर प्रा. लि. शाखा: सिविल लाईन्स दिल्ली–110054	20.05.16 रु. 1067.63 लाख	201, द्वितीय तल, सम्पत्ति नं. 783ए का शेष भाग, वार्ड नं. XVI प्लॉट नं. 161, खसरा नं. 579/384/35,36,39 खतौनी नं. 271 जोकि देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली में स्थित सेल डीड 7829 दिनांकित 12.10.2015, क्षेत्रफल 50.73 वर्ग मी. यह सम्पत्ति डी जी फुटवेयर प्रा. लि. के नाम पर है।	भौतिक	रु. 54.00 लाख	रु. 5.40 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 0115003171160, A/c Name: "PNB Civil Lines" IFSC कोड:- PUNB0011500	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 8588837770/9453045241, शाखा: सिविल लाईन, दिल्ली नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
12	मैसर्स डी.जी. फुटवेयर प्रा. लि. शाखा: सिविल लाईन्स दिल्ली–110054	20.05.16 रु. 1067.63 लाख	202, द्वितीय तल, सम्पत्ति नं. 783ए का शेष भाग, वार्ड नं. XVI प्लॉट नं. 161, खसरा नं. 579/384/35,36,39 खतौनी नं. 271 जोकि देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, दिल्ली में स्थित, सेल डीड 7914 दिनांकित 16.10.2015, क्षेत्रफल 50.73 वर्ग मी., यह सम्पत्ति डी जी फुटवेयर प्रा. लि. के नाम पर है।	भौतिक	रु. 54.00 लाख	रु. 5.40 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 0115003171160, A/c Name: "PNB Civil Lines " IFSC कोड:- PUNB0011500	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 8588837770/9453045241, शाखा: सिविल लाईन, दिल्ली नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
13	श्रीमती पल्लवी गुप्ता और श्री दीपक गुप्ता शाखा: सिविल लाईन्स दिल्ली	11.01.2017; रु. 281.53 लाख	बी–242, प्रथम तल, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में स्थित, यह सम्पत्ति पल्लवी के नाम पर है। प्लॉट क्षेत्रफल 156.07 वर्ग मी. और निर्मित क्षेत्रफल 95 वर्ग मी.	भौतिक	रु. 195.00 लाख	रु. 19.50 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 0115003171160, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0011500	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी : श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 8588837770/9453045241, शाखा: सिविल लाईन, दिल्ली नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
14	मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	03.05.17 रु. 955.17 लाख	फ्री होल्ड रिहायशी फ्लैट एलआईजी-VF-04, प्रथम तल, विनायक एवेन्यू, गाँव करारिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल एमपी में स्थित, क्षेत्रफल 31.50 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 8.50 लाख	रु. 0.85 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
15	मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	03.05.17 रु. 955.17 लाख	फ्री होल्ड रिहायशी फ्लैट बी–308, चौथा तल कॉमन सिटी प्लाजा, सर्वे नं. 18–22 का हिस्सा, रेवा बाजार बस स्टैण्ड के पास, हमिदिया रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल एमपी में स्थित, क्षेत्रफल 750.00 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 18.00 लाख	रु. 1.80 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
16	मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	03.05.17 रु. 955.17 लाख	फ्री होल्ड रिहायशी फ्लैट बी–201, द्वितीय तल लेक व्यू अपार्टमेंट्स सेक्ट 1, रेखा खंड, शारदा नगर स्कीम, रॉय बरेली रोड, लखनऊ में स्थित, क्षेत्रफल 112.26 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 45.00 लाख	रु. 4.50 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
17	मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	03.05.17 रु. 955.17 लाख	फ्री होल्ड मकान नं. 1901, सेक्टर – 28, अरबन इस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा–121008 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती शीतल मदाई पत्नी श्री कृष्ण कुमार मदाई के नाम पर है। क्षेत्रफल 520 वर्ग गज	सांकेतिक	रु. 244.30 लाख	रु. 24.43 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
18	मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	03.05.17 रु. 955.17 लाख	फ्री होल्ड मकान नं. सी–24, एमआईजी, ब्लॉक–सी, स्कीम नं. 3, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती राम रती देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल 186.98 वर्ग मी.	सांकेतिक	रु. 81.00 लाख	रु. 8.10 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
19	मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स और डेवलपर्स शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	01.12.2014 रु. 1921.82 लाख	प्रथम तल बिना छत के अधिकार के फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 25 (प्लॉट क्षेत्रफल 120 वर्ग मी.) जोकि रिहायशी कॉलोनी, गोल्डन रेसीडेन्सी एनक्लेव, खसरा नं. 21, गाँव छजारसी, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी.–201010 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, प्रोपराईटर श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	भौतिक	रु. 47.69 लाख	रु. 4.77 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
20	मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स और डेवलपर्स शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	01.12.2014 रु. 1921.82 लाख	रिहायशी फ्लैट भूतल, जोकि खाता नं. 165, खसरा नं. 6, का भाग, प्लॉट नं. 5 (कुल क्षेत्रफल 140 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्रफल 101.76 वर्ग मी. लगभग) गोल्डन रेसीडेन्सी एनक्लेव (अहिंसा खंड–II) गाँव छजारसी, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी.–201010 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स परफेक्ट होम्स, प्रोपराईटर श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	भौतिक	रु. 61.20 लाख	रु. 6.12 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
21	मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स और डेवलपर्स शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	01.12.2014 रु. 1921.82 लाख	रिहायशी फ्लैट द्वितीय तल सामने का हिस्सा जोकि खाता नं. 165, खसरा नं. 6 का भाग, प्लॉट नं. 5, कुल क्षेत्रफल 140.00 वर्ग मी., गोल्डन रेसीडेन्सी एनक्लेव (अहिंसा खंड–II), गाँव छजारसी, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी.–201010 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स परफेक्ट होम्स, प्रोपराईटर श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	भौतिक	रु. 23.40 लाख	रु. 2.34 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
22	मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स और डेवलपर्स शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	01.12.2014 रु. 1921.82 लाख	द्वितीय तल बिना छत के अधिकार के फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 25 (प्लॉट क्षेत्रफल 120 वर्ग मी.) जोकि रिहायशी कॉलोनी, गोल्डन रेसीडेन्सी एनक्लेव, खसरा नं. 21, गाँव छजारसी, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी.-201010 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, प्रोपराईटर श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	भौतिक	रु. 47.54 लाख	रु. 4.76 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
23	मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स और डेवलपर्स शाखा: एआरएमबी मयूर विहार फेज–II, दिल्ली	01.12.2014 रु. 1921.82 लाख	रिहायशी एल.आई.जी. फ्लैट नं. 16ए/201, भूतल, जोकि सेक्टर – 16–ए, रिहायशी कॉलोनियर वसुंधरा गाजियाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी.–201012 में स्थित, क्षेत्रफल 316.213 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती अर्चना किशजी एण्ड विकास शर्मा के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 137.25 लाख	रु. 13.73 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
24	मैसर्स इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार, फेज– II, दिल्ली	18.11.14; रु. 2958.18 लाख	फ्रीहोल्ड रिहायशी आईपी फ्लैट नं. बी–102, प्रथम तल, जनसत्ता अपार्टमेंट, सेक्टर–9, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी.–201012 में स्थित, क्षेत्रफल 148.64 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल गुप्ता के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 72.00 लाख	रु. 7.20 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
25	मैसर्स इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार, फेज– II, दिल्ली	18.11.14; रु. 2958.18 लाख	फ्रीहोल्ड रिहायशी फ्लैट नं. 1/1873 ए, सम्पूर्ण ऊपरी भूतल, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, निर्मित प्लॉट नं. 29, खसरा नं. 128 मिन में से, जोकि गाँव चन्द्रावल में स्थित, क्षेत्रफल 102.84 मी., यह सम्पत्ति मैसर्स इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लि. के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 43.20 लाख	रु. 4.32 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
26	मैसर्स इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड शाखा: एआरएमबी मयूर विहार, फेज– II, दिल्ली	18.11.14; रु. 2958.18 लाख	फ्रीहोल्ड रिहायशी फ्लैट नं. 1/1873ए, सम्पूर्ण द्वितीय भूतल (बिना छत के अधिकार के), मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, निर्मित प्लॉट नं. 29, खसरा नं. 128 मिन में से, जोकि गाँव चन्द्रावल में स्थित, क्षेत्रफल 102.84 मी., यह सम्पत्ति राजीव गुप्ता के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 40.50 लाख	रु. 4.05 लाख	07-01-2020	पीएनबी, खाता नं. 4408002100515419, A/c Name: "PNB ARMB Sarfaesi Recovery Account" IFSC कोड:- PUNB0440800	06.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	10.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री सीबानंदा भांजा, सहायक महाप्रबंधक मो. नं. 7044070801, शाखा: ए आर एम बी मयूर विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
27	मैसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्रा. लि. शाखा वजीर पुर, अशोक विहार, नई दिल्ली – 110052	30.08.2019 रु. 3378.47 लाख	प्लॉट नं. 174, ब्लॉक ई, क्षेत्रफल 418.05 वर्ग मी., स्थायी लेन के ले–आउट प्लान के अंतर्गत, औद्योगिक क्षेत्र (भागापुरी औद्योगिक क्षेत्र) फेज I जोकि गाँव बसई दारापुर के रेवेन्यू ईस्टेट में, नई दिल्ली में स्थित (perpetual lease dated 10.09.97 registered on 12.09.97) यह सम्पत्ति श्रीमती कमला खुराना के नाम पर है। और कन्वेयंस डीड दिनांकित 09.03.17 रजी नं. 3165, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 6260 पेज 77 से 80, दिनांकित 16.03.2017, सब रजिस्ट्रार–VII दिल्ली में पंजीकृत	सांकेतिक	रु. 580.00 लाख	रु. 58.00 लाख	22.01.2020	पीएनबी, खाता नं. 0637003171160, A/c Name: "PNB WAZIR PUR" IFSC कोड:- PUNB0063700	21.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	24.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री राजेश कुमार, मो. नं. 8451880664, शाखा: वजीरपुर अशोक विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
28	मैसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्रा. लि. शाखा वजीर पुर, अशोक विहार, नई दिल्ली – 110052	30.08.2019 रु. 3378.47 लाख	सम्पत्ति नं. 7/19, रूप नगर, दिल्ली में स्थित, (relinquishment डीड हेतु ¼ हिस्सा पंजीकृत डीड दस्तावेज 8518 बुक नं. I, वाल्यूम 1693 पेज 88 से 92 और relinquishment डीड पंजीकृत डीड दस्तावेज नं. 8519 बुक नं. I, वाल्यूम 1693, पेज 93 से 96 दिनांकित 05.12.2005, सब रजिस्ट्रार– I दिल्ली में पंजीकृत और relinquishment डीड पंजीकृत डीड दस्तावेज नं. 8517 बुक नं. I, वाल्यूम 1693, पेज 83 से 87 दिनांकित 05.12.2005, सब रजिस्ट्रार– I दिल्ली में पंजीकृत, यह सम्पत्ति नीरू खुराना और कमला खुराना के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 1300.00 लाख	रु. 130.00 लाख	22.01.2020	पीएनबी, खाता नं. 0637003171160, A/c Name: "PNB WAZIR PUR" IFSC कोड:- PUNB0063700	21.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	24.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री राजेश कुमार, मो. नं. 8451880664, शाखा: वजीरपुर अशोक विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
29	मैसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्रा. लि. शाखा वजीर पुर, अशोक विहार, नई दिल्ली – 110052	30.08.2019 रु. 3378.47 लाख	ए–91, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान–302017 में स्थित, लीज डीड नं. 201503015109494 दिनांकित 02.09.2015 रिकॉर्ड बुक नं. I, जिल्द नं. 914, पेज नं. 165 और अतिरिक्त बुक नं. 1, जिल्द नं. 3653, पेज नं. 1 से 13 सब रजिस्ट्रार जयपुर में पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्रीमती कौशल्या देवी के नाम पर है।	सांकेतिक	रु. 828.00 लाख	रु. 82.80 लाख	22.01.2020	पीएनबी, खाता नं. 0637003171160, A/c Name: "PNB WAZIR PUR" IFSC कोड:- PUNB0063700	21.01.2020 अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे	24.01.2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे	रु. 25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी: श्री राजेश कुमार, मो. नं. 8451880664, शाखा: वजीरपुर अशोक विहार दिल्ली, नोडल ऑफिसर: श्री आर के बंसल (मो. नं. 8289026427) उप सर्कल हेड/पीएनबी, सर्कल ऑफिस, उत्तरी दिल्ली, तृतीय तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसा है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) नीलामी बिक्री "ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" पोर्टल **https://etender.pnbnet.in** पर होगी। (3) इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वर्णित प्रत्येक सम्पत्तियों के समक्ष अंकित नोडल अधिकारी से संपर्क करके एसएमएस/ई–मेल के माध्यम से अग्रिम तौर पर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो कि ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। (4) अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा स्वीकार्य न पाए जाने की स्थिति में सभी बोलियों को निरस्त करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस सम्बंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। (5) नीलामी के अंतिम समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाए जाने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा। (6) बोलीदाता को अपने पैन कार्ड तथा आवासीय पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। ऐसे बोलीदाता भी, जोकि व्यक्ति नहीं हैं, ई–बिडिंग हेतु उपयुक्त मैनडेट अपलोड करें। (7) सफल बोलीदाता को पहले जमा कराई गई धरोहर राशि सहित बोली राशि की 25% राशि तुरंत जमा करानी होगी। (8) सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर बोली राशि की शेष 75% राशि जमा करानी होगी। (9) बोली राशि की 25% राशि तुरंत तथा निर्धारित अवधि के भीतर शेष 75% राशि जमा करने में चूक की स्थिति में पहले जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। (10) समस्त वैधानिक देयताएं/अटेंडेन्ट चार्जेज/अन्य देय राशि, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि क्रेता को ही वहन करने होंगे। (11) यह प्रकाशन क्र.सं. 1 से 15 में वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए 15 दिन और क्र.सं. 27 से 29 में वर्णित कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए 30 दिन का नोटिस भी है। और अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स देखें तथा/अथवा उपरोक्त प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकित नोडल अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें : **https://etender.pnbnet.in ; www.pnbindia.in ; www.eprocure.gov.in/epublish/app.**

दिनांक : 20.12.2019 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

जनसत्ता

आशंका के सामने

हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक के संसद में पारित हो जाने के बाद उठा विवाद अब जिस तरह देश भर में फैल गया लगता है, उससे साफ है कि इस मसले से निपटने में सरकार के स्तर पर शायद जल्दबाजी की गई। यों भी, आजादी के बाद से भारत जिस परंपरा का वाहक रहा है, उसमें सरकार के किसी फैसले से असहमति और उस पर होने वाले विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की खूबसूरती रहे हैं। मगर नागरिकता संबंधी बने नए कानून को लेकर लोगों के बीच जो आशंकाएं उभरीं, उसका समाधान निकालने के बजाय उसकी अनदेखी की गई। खासतौर पर दिल्ली में जामिया मिल्लिया के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद परिसर में घुस कर पुलिस ने जैसा बर्बर रवैया अख्तियार किया था, उस पर गंभीर सवाल उठे। सही है कि उस प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले तत्त्वों से निपटना पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और हॉस्टल तक में जाकर विद्यार्थियों के साथ जिस तरह मारपीट की गई, उसका औचित्य साबित करना संभव नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि विवाद के जो केंद्र पहले कुछ विश्वविद्यालयों के परिसर तक सीमित थे, वे देश के बड़े हिस्से में फैल गए। हालत यह हुई कि गुरुवार को इस मुद्दे पर कई नागरिक समूहों की ओर से देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन सामने आए।

असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस मुद्दे पर उठा तूफान पहले ही सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार की ओर से तमाम आश्वासनों के बावजूद वहां के लोगों का विरोध नहीं थम रहा है। बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। अब जब हालात गंभीर होने लगे तब गृहमंत्री ने ताजा हालात पर विचार के लिए बैठक बुलाई, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं था कि पिछले कुछ दिनों से देश में जैसी स्थिति बन रही थी, उसके मद्देनजर समय पर कदम उठाए जाते! कायदे से यह विषय जितने महत्त्व का है, उसमें इसके व्यापक असर के मद्देनजर हर पहलू पर गौर करके इस पर आने वाली आपत्तियां और संशोधनों पर विचार किया जाना चाहिए था। इसका फायदा यह होता कि आज अलग-अलग नागरिक समूह और राजनीतिक दल धर्म आधारित नागरिकता की व्यवस्था पर जैसे सवाल उठा रहे हैं और लोगों के बीच जैसी आशंकाएं खड़ी हो गई हैं, उसे दूर करने में मदद मिलती।

विडंबना यह है कि इस पर किसी भी तरह के विरोध या सवाल को स्वीकार करना जरूरी नहीं समझा गया। बल्कि सरकार की जिद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि न केवल संशोधनों और आशंकाओं को कोई तरजीह नहीं दिया गया, बल्कि इस बात की भी घोषणा होती रही कि नागरिता संशोधन कानून को लागू करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की व्यवस्था लागू होगी। इस मामले में असम का उदाहरण सामने है, जहां अनिवार्य घोषित किए गए दस्तावेजों के अभाव में करीब उन्नीस लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए। यानी उनकी नागरिकता कठघरे में है। इसके अलावा, काम के पूरा होने की प्रक्रिया में एक लंबा वक्त और भारी राशि खर्च हुई। सवाल है कि अगर देश भर में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई तो उसका प्रारूप क्या होगा? चिंता या आशंका की मुख्य वजह यही है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अगर एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक बड़ी जटिलता खड़ी हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि इस मसले पर सरकार लोगों की बात सुने और उनकी आशंकाओं का निराकरण करे।

लॉटरी की दर

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए करीब ढाई साल हो गए। इस बीच कई बार व्यापारियों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के मद्देनजर करों में बदलाव के लिए जीएसटी परिषद की बैठकें हो चुकी हैं। हर बार सर्वसम्मति से फैसले किए गए। पर यह पहली बार है, जब किसी कर के निर्धारण को लेकर परिषद के सदस्यों के बीच मतदान का सहारा लेना पड़ा। यह मौका था लॉटरी पर एक समान कर निर्धारण का। लॉटरी की बिक्री पर संबंधित राज्य में बारह प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान था, जबकि दूसरे राज्यों में उन्हें बेचने पर जीएसटी अठाईस फीसद रखा गया था। कुछ लोगों की मांग थी कि इस पर दो तरह के कर न रखे जाएं। मगर जीएसटी परिषद के कुछ सदस्य इसके पक्ष में नहीं थे। आखिर मतविभाजन का सहारा लेना पड़ा। इसमें इक्कीस राज्यों ने लॉटरी पर जीएसटी की दर अठाईस फीसद करने के पक्ष में मतदान किया। इस तरह अब सभी जगह लॉटरी की बिक्री पर एक समान दर अठाईस फीसद कर दी गई है।

वस्तुओं पर कर का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाता है कि उसके उपभोक्ता किस आय वर्ग के हैं, उस वस्तु की खपत और समाज में उसकी उपादेयता कितनी है। अगर उस वस्तु से समाज के कमजोर आर्थिक तबके पर बोझ बढ़ता है, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए शुरू में जब जीएसटी दरों का निर्धारण किया गया, तो बहुत सारी वस्तुओं पर कराधान अधिक होने से आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ पड़ने वाला था। उसका विरोध हुआ तो सरकार ने उनके करों में बदलाव किया। लॉटरी एक तरह का जुआ है। इससे नागरिकों के जीवन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। बल्कि बहुत सारे लोगों में लॉटरी खेलने का नशा इस कदर हावी देखा जाता है कि वे परिवार के भरण-पोषण की परवाह किए बगैर अपनी कमाई लॉटरी पर लुटा बैठते हैं। कई लोग लॉटरी के चक्कर में भारी कर्ज में फंस जाते हैं। उन्हें सिर्फ यह उम्मीद होती है कि कभी न कभी किस्मत खुलेगी और वे भारी रकम जीत लेंगे, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह उम्मीद जब नशे का रूप ले लेती है, तो कई लोगों के घर-परिवार भी बर्बाद करती देखी गई है। फिर लोगों में लॉटरी के नशे को देखते हुए बहुत सारे फर्जी लॉटरी बनाने वाले इस खेल में शामिल हो जाते हैं। इस तरह लॉटरी का बहुत सारा पैसा न तो लॉटरी कंपनियों को जा पाता है और न सरकार को उस पर राजस्व मिल पाता है। लॉटरी के इन्हीं दुष्प्रभावों को देखते हुए अधिकतर राज्यों में लॉटरी का कारोबार बंद कर दिया गया। मगर कुछ राज्यों में अब भी यह चलता है। वहां की लॉटरी दूसरे राज्यों में भी बेची जाती है।

जिन राज्यों में लॉटरी के कारोबार की अनुमति है, उन्हें इससे राजस्व की खासी कमाई होती है। कुछ राज्य सरकारें खुद लॉटरी चलाती हैं। सो, समझना मुश्किल नहीं कि उन्हें अंदेशा रहा होगा कि इस पर कर की दर ऊंची रखने से बहुत सारे खरीदारों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए स्वाभाविक ही वे इसका विरोध कर रही थीं। मगर लॉटरी न तो आवश्यक वस्तुओं की सूची में आती है और न सेवा क्षेत्र में, इसलिए इस पर बारह प्रतिशत कर की दर रखने का कोई औचित्य नहीं था। अगर कर की दर ऊंची होने से कुछ गरीब लोग इसकी लत से मुक्त हो सकें, तो अच्छा ही है।

कल्पमेधा

जो मनुष्य अपने क्रोध को झेल लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच सकता है और जीवन को सुखी बना सकता है।

- सुकरात

आसमान में बढ़ती ताकत

अभिषेक कुमार सिंह

भारत अपने इन निगरानी उपग्रहों के जरिए पाकिस्तान के सत्तासी फीसद क्षेत्र यानी कुल 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर पैनी नजर रखने में सक्षम हो गया है। इससे भारत जब चाहे, पाकिस्तान के महत्त्वपूर्ण सामरिक इलाकों की गतिविधियों को देख सकता है और महत्त्वपूर्ण नक्शे और तस्वीरें हासिल कर सकता है।

आज दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह के तनाव बढ़ रहे हैं, उनसे युद्ध की एक आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अब कोई भी देश अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकता और इस काम में आसमान से निगरानी के इंतजाम किए बगैर खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। इस नजरिये से देखें तो हाल में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित ताकतवर राडार इमेजिंग उपग्रह रीसैट-2बीआर-1 को भारत के लिए एक उपलब्धि कहा जाएगा। रीसैट के समान एक अन्य उपग्रह शृंखला कार्टोसैट की अंतरिक्ष में तैनाती के बल पर हमारा देश बादलों के पार से भी सरहदों पर हो रही हलचलों पर नजर रख पा रहा है और आतंकी व देश-विरोधी गतिविधियों पर निगाह रख उनसे निपटने के प्रबंध कर रहा है।

कार्टोसैट और रीसैट जैसे उपग्रहों की तैनाती की जरूरत 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद ज्यादा महसूस की गई थी, ताकि दुश्मन इलाकों से होने वाली आतंकी घुसपैठ और संदिग्ध हलचलों की जानकारी हमारे सुरक्षा तंत्र को पहले से मिल सके। यही नहीं, इसके लिए शुरुआती रीसैट उपग्रह की तकनीक में बदलाव भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाले ज्यादातर उपग्रहों की भूमिका मौसम की जानकारी देना और कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन विभागों को संबंधित सूचनाएं प्रदान करने तक सीमित हुआ करती थी। लेकिन मुंबई हमले और उसके बाद उरी सेक्टर और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर घुसपैठ पर नजर रखने और आतंक विरोधी उपायों पर अमल करने के लिए इस शृंखला के उपग्रहों में सीमाओं की निगरानी के प्रबंध भी किए जाने लगे। इन उपग्रहों से सीमाओं की निगरानी इसलिए ज्यादा पुख्ता ढंग से हो पा रही है, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले रीसैट श्रेणी के उफग्रह रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी काम कर सकते हैं। धरती पर कितना भी मौसम खराब हो, कितने भी बादल छाए हों, इसके कैमरे घने बादलों को चीर कर सीमाओं की साफ तस्वीरें ले सकते हैं। इस मामले में सिर्फ रीसैट ही नहीं, बल्कि कार्टोसैट शृंखला के उपग्रह भी बड़े काम के हैं। इसरो कार्टोसैट शृंखला में भी कई उपग्रह छोड़ चुका है और हाल में इस कड़ी में सबसे नया उपग्रह 27 नवंबर, 2019 को कार्टोसैट-3 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, जो कार्टोसैट शृंखला का नौवा उपग्रह है। कार्टोसैट शृंखला की शुरुआत वर्ष 2005 में हो ही गई थी, लेकिन सैन्य महत्व के उपग्रहों के सिलसिले की बात करें तो इसका आरंभ मुंबई हमले से साल भर पहले 2007 में कार्टोसैट-2ए के प्रक्षेपण से हुआ था। यह दोहरे उपयोग वाला उपग्रह था जो मौसम की जानकारियां बटोरने के साथ भारत के अड़ोस-पड़ोस में मिसाइल कार्यक्रम पर नजर रख सकता था। इसके बाद जून 2012 में छोड़े गए कार्टोसैट-2सी से पड़ोसी देशों के संवेदनशील ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण कर उन्हें वापस धरती पर भेजने की सुविधा देश को मिल गई। इसी शृंखला में अगला उपग्रह कार्टोसैट-2 ई था, जो जून 2017 में छोड़ा गया।

आसमान से सरहदों की निगरानी का मामला असल में इलेक्ट्रॉनिक खुफियागीरी की वह व्यवस्था बनाने का है जिसमें जमीनी हलचलों पर सुदूर अंतरिक्ष से नजर रखी जा सकती है। इस बारे में दावा किया जाता है कि जब देश रीसैट और कार्टोसैट जैसे निगरानी उपग्रहों की शृंखला अंतरिक्ष में तैनात कर देगा, तब पड़ोसी दुश्मन मुल्कों से कोई परिंदा भी नहीं आ सकेगा। छद्म युद्ध की नीति के तहत आतंक फैलाने वाले पड़ोसी मुल्कों की हरकतों पर लगाम लगाने में रीसैट और कार्टोसैट जैसे उपग्रहों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तकनीकी पहलुओं को देखें, तो रीसैट और कार्टोसैट उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक खुफिया तकनीक से युक्त होते हैं, जिससे धरती के किसी भी इलाके का इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नापा जा सकता है। इस तकनीकी खूबी के आधार पर ये उपग्रह सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए जमीन पर संचार प्रणाली, राडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सिग्नल पकड़ सकते हैं। इससे दुश्मन देश के राडार ढूंढ़ने में मदद मिलती है, साथ में ये उपग्रह भारत के जंगी विमानों को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली की निगाह में आने से बचा सकते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते रीसैट-2बीआर1 और कार्टोसैट-3 को भारत की आंख भी कहा जा रहा है।

सवाल है कि आसमान में तैनात ये तकनीकी आंखें हमारे देश की सुरक्षा में कैसे मददगार साबित हो रही हैं। इसकी एक मिसाल उरी हमले के प्रतिकार में सितंबर, 2016 में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में मिलती है। इस कार्रवाई में एक अहम भूमिका कार्टोसैट शृंखला के उपग्रहों ने निभाई थी। इन उपग्रहों से हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को स्टैंडर्ड और बेहद सूक्ष्म ब्योरे के साथ उपग्रहों से जमीन के लिए गए फोटो उपलब्ध कराए गए थे। इनके विश्लेषण के बाद सेना को जमीनी हालात का आकलन करने, हमले की सर्वाधिक उपयुक्त जगह और समय का चुनाव करने में मदद मिली थी। निगरानी उपग्रह कहलाने वाले इन उपग्रहों में एक विशेष किस्म का राडार लगा होता है। यह राडार असल में इजरायली सिस्टम टेकसार-1 का संशोधित और देसी विकल्प है, जिससे एक बार में धरती के पांच से दस किलोमीटर के इलाके में करीब आधे मीटर से भी कम दायरे में मौजूद दो वस्तुओं में अंतर पकड़ा जा सकता है और उनकी पहचान की जा सकती है। इतनी सूक्ष्मता से मिलने वाली जानकारी का अर्थ यह है कि दुश्मन देश की सैन्य हलचलों से लेकर आतंकियों की हर गतिविधि का समय रहते पता लग सकता है।

एक तथ्य यह है कि भारत अपने इन निगरानी उपग्रहों के जरिए पाकिस्तान के सत्तासी फीसद क्षेत्र यानी कुल 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर पैनी नजर रखने में सक्षम हो गया है। इससे भारत जब चाहे, पाकिस्तान के महत्त्वपूर्ण सामरिक इलाकों की गतिविधियों को देख सकता है और महत्त्वपूर्ण नक्शे और तस्वीरें हासिल कर सकता है।

सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पिछले पांच-छह वर्षों में इसरो ने कई ऐसे उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, जिनकी मदद से भारत की क्षमता आस-पड़ोस के चौदह देशों के करीब साढ़े पांच करोड़ वर्ग किलोमीटर दायरे वाले भूभाग पर सूक्ष्म नजर रखने की बन चुकी है। सेना यह स्वीकार करती है कि देश की सरहदों से लेकर पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर हो रही गतिविधियों पर करीबी नजर रखने संबंधी जरूरतों का सत्तर फीसद हिस्सा इसरो के उपग्रह पूरा कर देते हैं। इस वक्त इसरो के कम से कम दस उपग्रह ऐसे हैं जो देश की सैन्य और खुफिया जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह यानी हाइसिस को 28 नवंबर 2018 को छोड़ा गया था और इससे रात के अंधेरे में भी तस्वीरें खींचकर जमीन के कुछ सेंटीमीटर जितने हिस्से की सूक्ष्म निगरानी की जाती है। यहां तक कि जमीन में बारूदी सुरंगों और आइईडी का भी इससे पता चल जाता है। इसी साल 23 जनवरी को प्रक्षेपित उपग्रह माइक्रोसैट-आर को इस मायने में खास कहा जा सकता है कि इसका निर्माण विशुद्ध रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए डीआरडीओ ने किया है।

यह सही है कि अक्सर दो देशों के बीच सैन्य संतुलन का आकलन करते समय सैनिकों की तादाद, जंगी जहाजों, विमानों, मिसाइलों और टैंकों आदि की गणना ही होती है, उनमें अंतरिक्ष में तैनात निगरानी उपग्रहों की गिनती नहीं होती। लेकिन भारत के अगल-बगल शत्रु इरादों वाले पड़ोसियों की मौजूदगी के मद्देनजर ऐसे निगरानी उपग्रहों की कीमत किसी भी सैन्य साजोसामान से ज्यादा ही ठहरेगी।

पर्यटन की सीमा

संतोष उत्सुक

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश की आर्थिकी में पर्यटकों का अहम योगदान है। भारतीय पर्यटक धरती पर चल रही पर्यटकीय दौड़ का हिस्सा हो चुके हैं। घुमक्कड़ी, आजकल आनंद के लिए कम, देखा-देखी और दिखाने के लिए ज्यादा होने लगी है। माउंट एवरेस्ट को पर्यटक स्थल बना दिया गया है। इधर वहां मरने वालों की खबर आती रहती है, उधर पहाड़ पर चढ़ने वालों की लाइन लंबी होती रहती है। पर्यावरण प्रेम के नारों के शोर में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता जाता है। डिजिटल युग में बाजार के शातिर प्रतिनिधियों ने हाथ मिला रखे हैं, लेकिन जगहों का विज्ञापन वस्तुस्थिति से परिचित नहीं करवाता। कुछ महीने पहले प्रशासन के पंजीकरण के बिना मणिमहेश जैसी रोमांचक, लेकिन खतरनाक यात्रा पर निकले पर्यटक बर्फीले मौसम में बुरी तरह से फंस गए थे। प्रशासन के सघन प्रयासों के कारण कुछ को ही बचाया जा सका था। यह ठीक है कि प्रशासन को काफी पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना चाहि, लेकिन पर्यटकों ने भी जिम्मेदारी नहीं समझी।

बहुत लोकप्रिय हो चुके हिमाचली स्थल चूड़धार आने वाले पर्यटकों को उनके अतिउत्साह ने परेशान कर रखा है। प्रशासन और स्थल प्रबंधन ने कब से मना किया है कि अभी चूड़धार यात्रा न करें, लेकिन नासमझ पर्यटक मानते नहीं, वहां जाते हैं और परेशान होते हैं। इस स्थल पर बहुत हिमपात होता है। पिछले दिनों बहुत मुश्किल के बावजूद मंदिर प्रबंधकों और समाज सेवियों ने परेशानी उठा कर अपनी मर्जी से वहां पहुंचे, गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण उन्नीस वर्षीय पर्यटक को पीठ पर उठा कर दूसरी जगह पहुंचाया। इस युवा पर्यटक ने जानबूझ कर अपनी जान को जोखिम में डाला। इसके अलावा भी ऐसी की घटनाएं हो चुकी हैं।

कुछ महीने पहले एक नवविवाहित जोड़ा रास्ता भटका, चिप्स खाकर और पानी पीकर रात गुजारी। प्रशासन ने हेलिकॉप्टर से उन्हें ढूंढ़ा। हाल ही में दो युवा चिकित्सक इस जगह के लिए निकले। रास्ते में युवक की तबीयत खराब हुई और ढाबे में रुकना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि साथ गई डॉक्टर युवती बीमार साथी के साथ लौटने की बजाय अकेली चूड़धार चली गई। इधर युवक की हालत ज्यादा बिगड़ गई और अंतत उसकी मृत्यु हो गई। यह पर्यटकों की घोर लापरवाही है कि बिना सोचे-समझे, अल्पज्ञान होते हुए भी चल पड़ते हैं। इन नासमझ और बेकरार पर्यटकों को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मानते नहीं। अपनी उच्छृंखल प्रवृति के कारण अनेक पर्यटक जीवन से हाथ धो बैठते हैं।

भेड़चाल का शिकार हो रहे पर्यटकों को समझना चाहिए कि जिन पर्यटक स्थलों पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, सरकारी प्रशासन या स्थानीय प्रबंधन, बर्फबारी या अन्य कारणों से मना कर रहा है तो सुरक्षा अपना कर लौटना ही बेहतर है। कुछ जगहों पर अब पर्यटकों को वाकई कम संख्या में आना चाहिए। विदेशों से सीखने की आदतें समृद्ध करनी चाहिए। पर्यटन आधारित आर्थिकी से जीवित कई छोटे देशों ने अपना प्रबंधन सुधारा है। उदाहरण के तौर पर वेनिस ने क्रूज जहाज सीमित करने शुरू किए हैं। आइसलैंड नई जगहों को बढ़ावा दे रहा है। कोपेनहेगन पर्यटकों को अलग-अलग जगह भेज रहा है। क्रोएशिया पर्यटकों की सीमा निश्चित कर रहा है।

एक घटना उल्लेखनीय है। पेरिस में एक संग्रहालय में पर्यटकों की भीड़ ज्यादा हो जाने कारण वहां के कर्मचारी बाहर निकल गए। हमारे देश में अनेक जगहों पर भीड़ बहुत परेशान होती है और करती भी है। यों भी विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के तौर-तरीकों में गरम और ठंडे का फर्क है। हम विदेश यात्राओं के दौरान सुधरे रहते हैं, लेकिन देश में वापस आते ही पुराने बिगड़े हुए माहौल में घुस जाते हैं। हमें अतिउत्साही, अनुशासनहीन चालक, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा से बेपरवाह मेहमानों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनकी यात्रा को निरुत्साहित नहीं, स्थानीय प्रशासन द्वारा सीधे निरस्त कर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो, स्थानीय यात्रा, अनुशासन तोड़ने, हुड़दंग मचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पर्यटक अगर पैरा-ग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, जलक्रीड़ा, साहसिक खेल किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेना चाहते हों, तो हर क्षेत्र में एक प्रवेश बिंदु होना चाहिए, जहां से प्रशासन की अनुमति के बिना कोई आगे नहीं जा सके। प्रशासन द्वारा समय रहते स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम करना भी लाजिमी है।

हादसा होने के बाद कुछ समय के लिए जागरूक रहने की आदत बदलना जरूरी है। दुर्घटना के बाद भी आखिर प्रशासन को अपने बहुमूल्य संसाधन प्रयोग करने ही पड़ते हैं। तो उनका खर्च बचाया जा सकता है। पुरातत्त्व या अन्य कोण से महत्त्वपूर्ण जगहों पर कम लोग आएं तो जगह की महत्ता कम नहीं हो जाएगी। इस संदर्भ में हम अमेरिका के लाजवाब एरिजोना से सीख सकते हैं, जहां, 'द वेव' को देखने के लिए एक दिन में सिर्फ बीस लोग लॉटरी के माध्यम से अधिकृत होते हैं। हमारी अनेक दिलकश जगहों को भी बेहतर पर्यटक चुनने का हक है।

लोकतंत्र बनाम भरोसा

'दमन और रास्ता' (संपादकीय, 17 दिसंबर) पढ़ा। पिछले दिनों पारित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। सरकारी संपत्ति की बर्बादी हो रही है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, कम है। लेकिन इसी के साथ इस देश में कई और भी अनुत्तरित प्रश्न हैं, जैसे वर्तमान सरकार की कानों पर अहिंसक और शांतिपूर्ण आदोलनों से जूं भी नहीं रेंगती। उदाहरण के लिए पिछले दिनों रेलवे के निजीकरण करने के फैसले के विरोध में रेलवे के लाखों कर्मचारियों और आत्महत्या करते भारत के लाखों किसानों द्वारा अपनी फसलों के उचित मूल्य निर्धारण के लिए बार-बार किए गए शांतिपूर्ण और अहिंसक हड़तालों, प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद भी इस कथित लोकतांत्रिक सरकार के कर्णधारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यादातर टीवी चैनल दिन-रात सत्तारूढ़ पार्टी के किए हर गलत-सही कृत्य का एकतरफा प्रचार करने के सिवा कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों को लेकर किए गए अहिंसक प्रदर्शनों को दिखाना तक भी जरूरी नहीं समझा।

समाचार पत्रों के अनुसार इस लोकतांत्रिक शासन के कर्ताधर्ताओं द्वारा दिल्ली पुलिस के अपने प्यादों के माध्यम से दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट के सुरक्षा गार्डों को धकियाते हुए, बगैर उसके प्रॉक्टर या कुलपति की इजाजत के विश्वविद्यालय में घुसकर जो तांडव मचाया, उसे देख कर तानाशाही शासन का खौफ उभरता है। खबरों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को शौचालय तक से खींच-खींच कर उन्हें किसी संगीन अपराधी की तरह मारा-पीटा। यही नहीं, वहां के कृत्य को कवरेज करती एक महिला पत्रकार से अमर्यादित और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया।

सवाल है कि सरकार के कर्णधारों से इस देश के आमजन का भरोसा क्यों टूट रहा है! ये इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। पिछले छह सालों से जनता बहुत ध्यान और सूक्ष्मता से यह आकलन कर रही है कि ये कहते कुछ और हैं और इनका एजेंडा कुछ और ही होता है। इनकी नीयत में खोट है। आखिर दिल्ली पुलिस द्वारा अमार्यादित, हिंसक व्यवहार करने का आदेश किसने दिया? इनकी बातों और इनके कामों में इतना फासला क्यों है? प्रजातंत्र में प्रजा का विश्वास खोना किसी भी शासक के लिए गंभीर संदेश है।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

सुरक्षा नियंत्रण व्यवस्था के नाम पर राज्य सरकारें फूली नहीं समाती है। हर साल राज्य सरकारें बजट में करोड़ों रुपए सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आबंटित करती हैं। फिर वह पैसा जाता कहां हैं? क्या बजट में मेटल डिटेक्टर लगाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती? हर आगंतुक की तलाशी नहीं ली जा सकती? निगरानी के लिए कैमरे नहीं लगाया जा सकता? लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और भरी अदालतों में वारदात करने से भी वे झिझकते नहीं! बिजनौर की घटना से राज्य सरकारों को सबक लेना चाहिए और आईंदा इस तरह की घटना न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम भी करना चाहिए।

● *गौतम एसआर, एमसीयू, खंड्वा परिसर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

असुरक्षित अदालतें

उत्तर प्रदेश के बिजनौर सत्र अदालत में मंगलवार को भरी अदालत में एक अभियुक्त की हत्या कर दी गई। हालांकि कोर्ट परिसर में हत्या का यह पहला मामला नहीं है। ऐसे और भी मामले सामने आते रहे हैं। इसी साल जून में आगरा के बार काउंसिल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भी कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि जब देश की न्यायपालिकाएं ही सुरक्षित नहीं है, तो सरकारें आम आदमी को सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकती है? हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में यह कहते हुए अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की अपील की गई थी कि अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था रामभरोसे है।

भेदभाव का विकास

आज देश की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपेक्षा की शिकार हो रही हैं और दूसरी तरफ बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन सवालों की पुष्टि विश्व आर्थिक मंच की ताजा रिपोर्ट ने भी कर दी है। इस रिपोर्ट में भारत पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सूची में 108 वें स्थान पर था, लेकिन इस बार फिसल कर वह 112वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट ने देश और समाज के लिए चिंता और बढ़ा दी है। इससे साबित होता है कि महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी नीतियां नाकाफी हैं और नीतियों का क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है।

सरकारें नीतियों को बदलें और नीतियों को लागू करते समय निगरानी रखें, ताकि महिलाओं की स्थिति सुधारी जा सके। देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि जागरूकता के द्वारा महिलाओं के स्तर को सुधारने के प्रयास करें और देश में बढ़ रहे हैवानियत के तांडव की पुरजोर मुखालफत करें, ताकि महिलाओं में छिपी प्रतिभा का देश के उत्थान में योगदान सुनिश्चित किया जा सके। सवाल है कि जब तक पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ व्यापक सोच विकसित करने की ओर समाज नहीं बढ़ता है, तब तक पुरुष और स्त्री के बीच गहराते फासले को कैसे दूर किया जा सकेगा!

● *हरेंद्र सिंह कीलका, सरवड़ी*

नाकाम चीन

अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत के विरुद्ध चीन लगातार वीटो का प्रयोग कर परेशान करता रहा है। लेकिन इस बार उसने कश्मीर संबंधी एक प्रस्ताव रखा तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस- चारों महाशक्तियों ने उसे वीटो कर दिया। नतीजतन, वह खारिज हो गया। किसी प्रश्न पर ऐसी महाशक्तियों की एकजुटता बहुत कम देखने को मिलती है। इसने चीन को अलग-थलग कर दिया। एक दौर था जब जरूरत पड़ने पर केवल रूस हमें अपने वीटो द्वारा बार-बार बचाता था। अब चार महाशक्तियां हमारा साथ दे रही हैं। जहां तक चीन का सवाल है तो चीन की असली चिंता इस समय अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दुर्गति को प्राप्त हो गई है। इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है।

● *आस्था गर्ग, बागपत रोड, मेरठ*

नई दिल्ली

www.readwhere.com

जनसत्ता
सबरंग
20 दिसंबर, 2019 7

नई फिल्म
- दबंग 3

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
मर्दानी 2	25.65 करोड़
जुमांजी 2	29.85 करोड़
पति पत्नी और वो	65.75 करोड़
पानीपत	28.9 करोड़

19 दिसंबर तक की कमाई

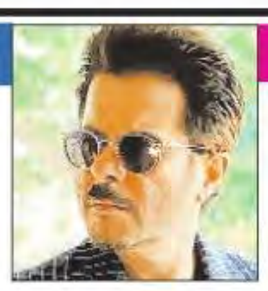

जन्मदिन

सोहेल खान	20 दिसंबर
गोविंदा	21 दिसंबर
अनिल कपूर	24 दिसंबर
नगमा	25 दिसंबर

निभा सकते हैं तो ही शादी करें : सलमान

आरती सक्सेना

दबंग खान एक बार फिर से रुपहले पर्दे पर दबंगई करने को तैयार हैं। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 आज रिलीज हो रही है। पर्दे पर सलमान तीसरी बार चुलबुल पांडे बनकर आने वाले हैं। फिल्म में वह पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे।

सवाल : दर्शकों को आपकी फिल्म का इंतजार रहता है। दबंग 3 में दर्शक क्या नया देखेंगे और यह लोगों का कितना मनोरंजन करेगी?

● काफी कुछ नया है इस बार। सबसे पहले फिल्म की कहानी अलग है। दंबग की हमारी रज्जो अर्थात सोनाक्षी सिन्हा भी हैं, महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर भी इस फिल्म से अपने अभिनय करिअर की शुरुआत कर रही है। यह फिल्म तमिल, तेलगु और कन्नड़ भाषा में भी बन रही है। फिल्म में एक्शन और इमोशन दोनों है, उम्मीद है दर्शकों को फिल्म पसंद आएगी।

सवाल : दंबग और दबंग 2 की कहानी काफी दमदार थी। और अब दंबग 3 की कहानी आपने खुद लिखी है और फिल्म में निर्देशन से लेकर संगीत तक में आपका योगदान रहा है। ऐसे मे दबंग 3 कितना दमखम दिखा पाएगी?

● हां फिल्म की कहानी मैंने लिखी है। मेरी एक कोशिश है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दंबग 3 हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी रिलीज हो रही है। अगर कहानी सबको पसंद आई तो हर जगह से तारीफ मिलेगी। और कहानी नही पंसद आई तो सब जगह से गालियां मिलेंगी।

सवाल : क्या तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में भी आपने ही संवाद डब किए हैं ?

● मैंने कोशिश की थी, तमिल में संवाद बोलने की। लेकिन दक्षिण के लोगों को वो समझ ही नहीं आया सो हमने किसी और से डब करवाया है। काफी अच्छे से मेरी आवाज को कॉपी किया गया है।

सवाल : दंबग 3 का आइटम सांग 'मुन्ना बदनाम हुआ',

फिल्म के रिलीज से पहले ही हिट हो चुका है। यह गाना आपको कैसे सूझा?

● दरअसल हम लोग 'मुन्नी बदनाम' गाने का तोड़ ढूंढ रहे थे। तभी मेरे दिमाग में रात के डेढ़ बजे एक आइडिया आया कि क्यों न इस बार मुन्नी बदनाम की जगह मुन्ना बदनाम बनाया जाए। लिहाजा मैंने रात को डेढ़ बजे अरबाज को कॉल किया और बोला जल्दी से मेरे पास आ जाए, मुझे 'मुन्नी बदनाम' का तोड़ मिल गया है। अरबाज जब मेरे पास आया तो मैंने उसे बताया कि मुन्नी बदनाम के बजाय 'मुन्ना बदनाम' बनाते हैं। रात को डेढ़ बजे मेरे मुंह से यह आइडिया सुन कर वह गुस्से में लौट गया। बाद में मैंने उसे किसी तरह तैयार कर लिया और इस तरह 'मुन्ना बदनाम हुआ' बन गया।

सवाल : टाइगर जिंदा है में भी आप पुलिस इंस्पेक्टर बने थे और दबंग वन टू और थ्री में भी पुलिस ऑफिसर बने हैं। इनमें से किस फिल्म में आपको अभिनय करने में परेशानी हुई?

● दोनों ही फिल्मों में मेरे किरदार कठिन थे। एक्शन सीन के दौरान मुझे कितनी तकलीफ हुई है यह मैं ही जानता हूं। मेरा दर्द मेरी पसली, मेरी हड्डी और मेरे घुटने ही बता सकते हैं, जो इन फिल्मों के दौरान घायल हुए हैं।

सवाल : आप शादी को कैसे परिभाषित करेंगे। शादी कितनी जरूरी है?

● शादी जरूरी है लेकिन आज के समय में इसक महत्व कम होता जा रहा है। आज लोग शादी अपने कंफर्ट के हिसाब से करना चाहते हैं। कोई किसी के लिए त्याग नहीं करना चाहता। इसी वजह से शादी से ज्यादा तलाक हो रहे हैं। आज लोगों को शादी का बंधन बोझ लगता है। सो मेरा मानना है कि अगर आप सही ढंग से इस रिश्ते को निभा सकते हैं तो ही शादी करें। वरना मत करें।

सवाल : दंबग 3 के साथ ही आपने राधे फिल्म की भी घोषणा कर दी है। क्या यह फिल्म वांटेड की सीक्वेल है?

● तेरे नाम और वांटेड में मेरा नाम राधे जरूर था, लेकिन मेरी आने वाली फिल्म राधे का इन दोनों ही फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं है। इस फिल्म की कहानी काफी अलग है। और इसपर अभी काम चल रहा है।

सवाल : आजकल फिल्मों में इंटीमेट सीन की भरमार है लेकिन आप इन सब के सख्त खिलाफ हैं फिर भी आपकी फिल्में सफल होती है। इसकी क्या वजह है?

● सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरी फिल्में ऐसी होती है जो पूरे परिवार के साथ बैठकर देखी जा सके। हमारा खुद का परिवार इतना बड़ा है कि मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे माता-पिता मुझे इंटीमेट सीन करते देखें। इसी तरह जब और लोग अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाते हैं तो उन्हे खास तौर पर मेरी फिल्मों को लेकर ये तनाव नहीं होता है कि क्या मेरी फिल्म परिवार के साथ देखने लायक होगी या नहीं। मेरी फिल्म को सभी देख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी फिल्में मनोरंजन से भरपूर और साफ-सुथरी हो जिसे हर पीढ़ी के लोग देख सकें।

जानी मानी अभिनेत्री गीता सिद्धार्थ का जाना

जयनारायण प्रसाद

एक सामान्य सी अभिनेत्री कैसे एक फिल्म को अमर कर देती हैं, अभिनेत्री गीता सिद्धार्थ इसका उदाहरण हैं। हाल में गीता सिद्धार्थ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 'गर्म हवा' 1973 में बनीं और कानूनी पचड़ों को झेलते हुए 1974 में रिलीज हुईं। गीता ने इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने फिल्म में सलीम (बलराज साहनी) की पुत्री अमीना का किरदार निभाया था। गीता सिद्धार्थ ने गुलजार की फिल्म 'परिचय' में भी अभिनय किया था जिसमें जितेंद्र, जया भादुरी, प्राण और संजीव कुमार भी थे।

गीता सिद्धार्थ ने फिल्मों में बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन 'गर्म हवा' में उनका होना यह दर्शाता है कि वे कितनी ऊंचे कद की अभिनेत्री थीं। परिचय, गमन, शोले, मंडी, एक चादर मैली, दूसरा आदमी, नूरी, अलग-अलग और राम तेरी गंगा मैली उनकी चंद फिल्में हैं। पर, ये फिल्में 'गर्म हवा' के आसपास भी नहीं हैं। हर कोण और हर दृष्टि से इस फिल्म को देखना अपने दौर के इतिहास को देखने जैसा है।

'गर्म हवा' दरअसल, भारत-पाकिस्तान विभाजन की फिल्म नहीं है, बल्कि विभाजन के केंद्र में सदियों से बसे एक मुसलिम परिवार पर क्या कुछ बीतता है, उसे दर्शाया गया है। फिल्म में सभी किरदारों ने दमदार अभिनय किया है। विदेशों में इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म और फिल्म के निर्देशक एमएस सथ्यू को एक बेहतरीन निर्देशक के तौर पर देखा जाता है। इस फिल्म की कहानी इस्मत चुगताई की है, इसकी कहानी बहुत छोटी थी, जिसे कैफी आजमी और शमा जैदी ने अपनी लेखनी से विस्तार दिया था। इस फिल्म में उस्ताद बहादुर खां का संगीत इतना चाक्षुष और कर्णप्रिय है कि इस फिल्म को कई बार देखने का दिल करता है।

बहरहाल, गीता सिद्धार्थ का जाना एक अभिनेत्री का जाना भर नहीं हैं। वह जहां भी जातीं 'गर्म हवा' उनके साथ-साथ और आसपास ही रहतीं, किसी हमसाए की तरह। एमएस सथ्यू के निर्देशन वाली इस एतिहासिक फिल्म को बलराज साहनी, फारुख शेख और गीता सिद्धार्थ के बगैर जानना अधूरापन होगा। आज के संदर्भ में यह फिल्म और भी ज्यादा प्रासंगिक है।

'गर्म हवा' को उस दौर में कुछ सिरफिरों ने गलत बताया था। लेकिन सत्यजित राय, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, तपन सिन्हा जैसे फिल्मकारों ने 'गर्म हवा' के निर्देशक एमएस सथ्यू का साथ दिया था। इसलिए, 'गर्म हवा' को देखना एक लाजवाब फिल्म को देखना भर नहीं है, हिंदुस्तान के अतीत और 1947 के भारत विभाजन को भी देखना है! आज के समय से इस फिल्म को मिला कर देखा जा सकता है। यह उर्दू फिल्म आपको 1947 के हिंदुस्तान से रूबरू कराएगी।

पंडित बिरजू महाराज की नृत्य प्रस्तुति

शशिप्रभा तिवारी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेंद्र का प्रांगण दीक्षा समारोह में जीवंत हो गया। केंद्र की ओर से गुरु शिष्य परंपरा का विशेष आयोजन दीक्षा समारोह में पेश किया जाता है। कुछ महीने से इस समारोह में संगीत के कार्यक्रम पेश होते रहे हैं। पर इस बार पहली बार शास्त्रीय नृत्य कथक को इस बार शामिल किया गया। इस समारोह में पंडित बिरजू महाराज और उनके शिष्य-शिष्याओं ने कथक नृत्य पेश किया। इस तीन दिवसीय समारोह की पहली संध्या में परिवार परंपरा की झलक दिखी, जिसमें पंडित दीपक महाराज की पुत्रियां रागिनी महाराज व यशस्विनी महाराज ने कथक नृत्य पेश किया।

पंडित बिरजू महराज की शिष्या जयश्री महाराज ने भी नृत्य पेश किया। महाराज जी की नृत्य रचनाएं नाद गुंजन और दरबारी भी पेश की गई। नृत्य रचना दरबारी को पंडित कृष्ण मोहन महाराज के शिष्य-शिष्याओं ने पेश किया। इस नृत्य रचना को साठ के दशक में पंडित बिरजू महाराज ने परिकल्पित किया था। इसमें कथक नृत्य की तकनीकी पक्ष को प्रमुखता से पेश किया गया। नृत्य रचना नाद गुंजन का नेतृत्व राघव शाह ने किया। इसमें डफ, नाल, नगाड़ा, तबला, पखावज व मंजीरे के ताल ध्वनि को हस्तकों और पद संचालन के जरिए कलाकारों ने पेश किया। समारोह की अगली शाम में दीपक महाराज, रानी खानम, नीलिमा अजीम, रेणू शर्मा, विजयश्री चैधरी, पूर्णिमा खड़गा, नवीना जफा और वास्वती मिश्र ने कथक नृत्य पेश किया। जबकि, समारोह की अंतिम संध्या में पंडित बिरजू महाराज की नृत्य रचना घुंघरू संगीत और विरासत पेश की गई। नृत्य रचना विरासत का निर्देशन पंडित जय किशन महाराज ने किया था। समारोह की मुख्य आकर्षण पंडित बिरजू महाराज का गायन और भाव अभिनय था। उन्होंने रचना 'राधेरानी कृष्ण रूप धरि' और 'धाए गहो-धाए गहो श्याम' को सुर में गाया। रचना 'राधेरानी कृष्ण' पर उनकी वरिष्ठ शिष्या शाश्वती सेन ने भाव-अभिनय पेश किया।

कथक नृत्यांगना मालती श्याम ने ख्वाजा गुलाम फरीद की रचना को मोहक अंदाज में पेश किया। उन्होंने सूफी रचना 'ए हुस्न ए हकीकी नूर' में भक्ति श्रृंगार के साथ संचारी भाव को रूपायित किया। उनकी शिष्याओं यामिका महेश, आंचल और गौरी ने नृत्य पेश किया। पंडित बिरजू महाराज की ठुमरी-'आज मोरी कलाई मुरक गई' पर उन्होंने नृत्य किया। कथक नृत्यांगना ममता महाराज ने महाराज की परिवार की प्रतिनिधि कलाकार हैं। उन्होंने परंपरागत कथक नृत्य को चैदह मात्रा की धमार ताल में पिरोया।

खबर कोना

दूसरे की ईमानदारी का ठेका नहीं ले सकते : करीना

करीना कपूर खान का कहना है कि फिल्म उद्योग में किसी के लिए दूसरे की ईमानदारी का ठेका लेना असंभव है क्योंकि लोग आलोचना का स्वागत नहीं करते। क्या फिल्म उद्योग में किसी के काम के बारे में कोई कुछ कह सकता है, इस सवाल के जवाब में करीना ने कहा, 'मैं ऐसा नहीं सोचती। यदि आप सच कहना चाहते हैं तो लोग उसका स्वागत नहीं करते। मैं चाहती हूं कि यदि लोगों को मेरी कोई फिल्म पसंद नहीं है तो मुझे बताएं। मैं कम से कम अपने करीबी लोगों से ईमानदारी से सच सुनने की अपेक्षा रखती हूं।' करीना ने कहा कि वे इतने साल तक प्रासंगिक इसलिए रहीं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास 'हां में हां मिलाने वाले' लोगों को नहीं रखा। उन्होंने कहा, 'यह आवश्यक है कि कलाकारों और सितारों के नजदीक वास्तविकता से अवगत कराने वाले लोग रहें। ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत व्यावहारिक रहती हूं। मैंने कभी 'हां में हां मिलाने वाले' लोगों को अपने नजदीक रखना पसंद नहीं किया।

'गुलाबो सिताबो' नई तारीख पर होगी रिलीज

अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' अब निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले यानि 17 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। शूजीत सरकार द्वारा निर्देशित यह फिल्म अगले साल 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। लखनऊ की पृष्ठभूमि पर बनी 'गुलाबो सिताबो' एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म की पटकथा सरकार की पुरानी सहयोगी जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। आपको बता दें कि सरकार और जूही ने 'विकी डोनर', 'पिकू' और 'अक्टूबर' फिल्मों के लिए साथ काम किया था। आयुष्मान खुराना 2012 में आई अपनी पहली फिल्म 'विकी डोनर' के बाद अब सरकार के साथ काम कर रहे हैं। 'विकी डोनर' बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। वहीं सरकार ने 'पिकू' में बच्चन के साथ काम किया है। राइजिंग सन फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही 'गुलाबो सिताबो' के निर्माता रोनी लाहिड़ी और शील कुमार हैं।

प्रगतिशील फिल्में कोई नहीं देखेगा : नीना गुप्ता

बॉलीवुड की संजीदा अभिनेत्री नीना गुप्ता मानती हैं कि भारतीय दर्शक सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने वाले प्रगतिशील मुद्दों पर बनी फिल्मों को देखना नहीं चाहते हैं। एक मौके पर नीना ने कहा, 'हमारा सिनेमा कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता। अगर हम सिनेमा को प्रगतिशील बनाएंगे तो उस फिल्म को कोई नहीं देखेगा क्योंकि भारतीय दर्शक इसके लिए तैयार नही हैं। मैंने एक 'सिसकी' नाम का शो किया था जिसमें मेरी शादी एक फौजी से हुई थी। फौजी अच्छा था लेकिन उबाऊ था। मेरा किरदार फौजी के जिंदादिल दोस्त की तरफ आकर्षित हो जाता है। यह शो बिल्कुल नहीं चला।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि पुरुषों ने महिलाओं को वह शो देखने ही नहीं दिया होगा। जैसा हमारा समाज है वैसी ही फिल्में और शो बनेंगे। हमारे समाज को बदलने में सदियां लगेंगी।'

मर्डर मिस्ट्री में तापसी पन्नू के साथ होंगे विक्रांत मेसी

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू एक के बाद एक फिल्म कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म साइन की है। इस फिल्म में उनके साथ विक्रांत मेसी भी होंगे। फिलहाल तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी अपनी अगली फिल्म 'हसीन दिलरुबा' की तैयारी कर रहे हैं। 'हसीन दिलरुबा' एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जिसका निर्देशन विनिल मैथ्यू करेंगे। मैथ्यू को 2014 में आई रोमांटिक कॉमेडी 'हंसी तो फंसी' के लिए जाना जाता है। 'मनमर्जियां' और 'जजमेंटल है क्या' जैसी फिल्मों की पटकथा लिख चुकीं कनिका ढिल्लों ने 'हसीन दिलरुबा' की पटकथा लिखी है। हालांकि फिल्म के प्लॉट का खुलासा अभी नहीं किया गया है। खबरों की मानें तो फिल्मकार आनंद एल राय कलर येलो प्रोडक्शन के बैनर तले इरोज इंटरनेशनल और हिमांशु शर्मा के सहयोग से का निर्माण कर रहे हैं।

डॉ श्रीराम लागू (16 नवंबर, 1927-17 दिसंबर, 2019)

आज भी रंगमंच पर दबदबा है 'नटसम्राट' का

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

अगर पांच हजार सालों में हमें ईश्वर के होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, तो हमें ईश्वर की कल्पना पर पुनर्विचार करना चाहिए। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में ईश्वर की कल्पना ठीक थी, मगर अब समय आ गया है, जब हमें ईश्वर को रिटायर कर देना चाहिए... आधुनिक इनसानी समाज पर इतनी बेलाग, सख्त और विवादास्पद टिप्पणी करने वाले डॉ श्रीराम लागू का 17 दिसंबर, मंगलवार, को निधन हो गया। कई हिंदी-मराठी फिल्मों और नाटकों के अलावा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे लागू को मराठी नाटकों की दुनिया में 'नटसम्राट' माना जाता है। लागू का जाना हिंदी सिनेमा के अभिनेता का जाना भर नहीं, मराठी रंगकर्म की दुनिया के 'नटसम्राट' का जाना भी है। 'नटसम्राट' मशहूर मराठी लेखक कुसुमाग्रज (विष्णु वामन शिरवाडकर) का लिखा ऐसा नाटक है, जिसमें अप्पा साहेब की भूमिका करना किसी अभिनेता को प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिलने जैसी खुशी देता है।

महाराष्ट्र में नाटकों की लंबी परंपरा रही है, जिसे मराठी समाज ने आज भी जतन से संभल कर रखा है। मराठी मानुस आज भी टिकट खरीदकर नाटक देखना पसंद करता है। वाकया 1970 के जाड़ों का है। 23 दिसंबर को द गोवा हिंदू एसोसिएशन के कला विभाग ने विष्णु वामन शिरवाडकर के नाटक 'नटसम्राट' का मंचन मुंबई के बिड़ला मातोश्री सभागार में रखा। यह एक उम्रदराज अभिनेता गणपतराव उर्फ अप्पासाहेब बेलवकर की कहानी है, जो अपने बच्चों के नाम अपनी संपत्ति और घर कर देता है और नए सिरे से शुरुआत करता है। उसके सामने क्या स्थितियां बनती है, इसे नाटक में दिखाया गया है। नाटक में अप्पासाहेब की भूमिका कर रहे थे डॉ श्रीराम लागू। अप्पासाहेब की पत्नी कावेरी की भूमिका में थी शांता जोग, जिन्होंने अभिनय के लिए अपना सब कुछ झोंक देने वाले अप्पासाहेब के साथ जिंदगी बिताना, संयम रखना, तनाव झेलना, घर चलाना, समझौते करना जैसी स्थितियों को बखूबी मंच पर उतारा। अप्पासाहेब के रूप में लागू का मशहूर संवाद 'कोई घर देता है क्या...' दर्शकों के दिलों को आज भी छू लेता है। 1970 के 'नटसम्राट' को अपार कामयाबी मिली। लागू की खूब वाहवाही हुई।

1970 का नटसम्राट मराठी मानुष की धमनियों में ऐसा रचा-बसा कि वह बार बार इसे मंचित होते देखना चाहता है। लिहाजा हुआ यह कि अब तक इसका मंचन कई बार हुआ। अप्पासाहेब की भूमिका नौ कलाकार (सतीष दुभाषी, उपेंद्र दाते, यशवंत दत्त, दत्ता भट्ट, मधुसूदन कोल्हटकर, चद्रकांत गोखले, राजा गोसावी, गिरीश देशपांडे और नाना पाटेकर) कर चुके हैं। बावजूद इसके आज भी 'नटसम्राट' अगर याद किया जाता है तो डॉ श्रीराम लागू के निभाए अप्पासाहेब के कारण। दिल तो छू लेने वाली होने के कारण अभिनेताओं को जब अप्पासाहेब की भूमिका मिलती है, तो उसे पूरी मराठी रंगकर्म बिरादरी सम्मान की नजरों से देखती है।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स में दर्ज होने के लिए 27 अगस्त 2013 को मुंबई के बालगंधर्व रंगमंदिर में 'नटसम्राट' के लगातार आठ शो चलाए गए। तीन नाटक कंपनियों ने यह जिम्मा संभाला। सुबह छह बजे से नाटक की शुरुआत हुई तो यह काम खत्म हुआ अगले दिन 28 अगस्त दोपहर डेढ़ बजे। गिरीश देशपांडे ने निर्देशन किया और नटसम्राट की भूमिका भी निभाई। इससे पहले 15 जुलाई 2010 को पांच शो लगातार चलाने का रिकॉर्ड बनाया जा चुका था।

दरअसल आठ शो करके अमेरिकी कंपनी सेवन ओ क्लॉक का 23 घंटों तक लगातार एक ही नाटक के शो करने का रिकॉर्ड तोड़ना था। 'नटसम्राट' ने 27 घंटे 32 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाया। बीच में नियमों के मुताबिक 10 मिनट का इंटरवल और नाटक का एक शो खत्म होने के बाद 15 मिनट का ब्रेक रखा गया था। 'नटसम्राट' को लेकर ऐसे कई प्रयोग समय-समय पर हुए। मगर आज भी लागू के निभाए 'नटसम्राट' को बेजोड़ माना जाता है।

प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों को दिए गुलाब के फूल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने जंतर मंतर पर गुरुवार को सुरक्षा बलों को गुलाब के फूल देकर सहयोग की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने घृणा के बदले प्रेम के संदेश का इजहार किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ वकीलों ने दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को विधिक सहायता प्रदान करने की भी पेशकश की। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, समाजिक कार्यकर्ता और नेता विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों को फूल दिए। एक प्रदर्शनकारी, मोहित कुमार, ने कहा कि यह है नया इंडिया देश की राजधानी में इंटरनेट ठप्प है और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने छात्र-छात्राओं और सामाजिक कार्यकताओं पर आरोप लगाया था कि बिना अनुमति के वे जंतर मंतर पर एकत्रित हुए थे। इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान जंतर मंतर पर कई पोस्टर लगाए गए थे, जिन पर लिखा था कि बिना इंटरनेट का डिजिटल इंडिया, जनता मांगे रोजी-रोटी, मिलती हमको लाठी गोली और संविधान बचाओ, देश बचाओ।

एक प्रदर्शनकारी, मोहन कुमार, ने बताया कि वे जितना चाहे हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर सकते हैं, हम उन्हें गुलाब के फूल देंगे। घृणा के बदले प्रेम। हम उनके आंसू गैस और पानी की बौछार झेलने को तैयार हैं। प्रदर्शन स्थल पर खाने के पैकेट भी बांटे गए। विभिन्न महाविद्यालयों के कानून के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। एक अन्य प्रदर्शनकारी, ज्योति साहा, ने कहा कि वह अपने पांच साल के जुड़वां बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आई हैं।

भाजपा ने मनमोहन सिंह का 2003 का वीडियो जारी किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी दलों के तीखे हमलों के बीच भाजपा ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के 2003 में राज्यसभा में दिए भाषण की क्लिप जारी की जिसमें उन्होंने बांग्लादेश जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में 'उदारवादी' रुख अपनाने की वकालत की थी।

वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारे देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा

● वीडियो में उन्होंने बांग्लादेश जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में 'उदारवादी' रुख अपनाने की वकालत की थी।

है। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर परिस्थिति इन लोगों को मजबूर करती है व इन दुर्भाग्यशाली लोगों को हमारे देश में शरण लेनी पड़े, तब ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों को नागरिकता प्रदान करने में हमारा रुख उदार होना चाहिए। उन्होंने भाषण में कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि उप प्रधानमंत्री इस संबंध में नागरिकता कानून को लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान देंगे। मनमोहन सिंह कांग्रेस की अगुआई वाली संप्रग सरकार के दौरान 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री थे। सिंह जब 2003 में भाषण दे रहे थे तब उच्च सदन में आसन पर उपसभापति नजमा हेपतुल्ला बैठी थीं। हेपतुल्ला को यह कहते सुना गया कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक परेशान हैं और उनका भी ध्यान रखा जाए। तब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि विपक्ष के नेता (सिंह) ने जो कहा, उसका वह पूरा समर्थन करते हैं। हाल ही में संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कुछ भाजपा नेताओं ने सिंह के 2003 में दिए गए भाषण को रेखांकित किया था। कानून में संशोधन का कांग्रेस अभी जबर्दस्त विरोध कर रही है।

नागरिकता कानून लागू होगा और भविष्य में एनआरसी भी : नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

देश में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा ने गुरुवार को साफ किया कि देश में संशोधित नागरिकता कानून लागू किया जाएगा और भविष्य में एनआरसी भी लागू होगा।

भाजपा मुख्यालय में अफगानिस्तान के शरणार्थियों से भेंट के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो फैसले लेता है वो मानवतावादी और देश हित में होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो वोटबैंक की राजनीति छोड़ दें। वोटबैंक की खातिर मानवीय पक्ष का निरादर न करें। वह इस कानून का विरोध करने वाले नेताओं से कहना चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्ताए से धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहां आए हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई व सिख समुदाय के लोगों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे किस हालात में रह रहे हैं। विरोध करने वाले देखें कि किस तरह से ये लोग 30 साल से रह रहे हैं, जहां न तो प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं, न ही बच्चों का दाखिला करवा सकते, न मकान खरीद सकते थे और अधर में लटके हुए थे।

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री मिले मोदी से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन समिति की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आए हैं। यहां आने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया । कोस्टा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कुमार ने अपने ट्वीट में कहा, 'पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कोस्टा की, चुनाव में पुनः निर्वाचित होने के बाद भारत की यह पहली यात्रा है।' उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कारोबार सहित संबंधों के विविध आयामों को मजबूत बनाने के व्यापक पक्षों पर चर्चा की।

घुसपैठ के लिए नेपाल से लगी सीमा का भी उपयोग : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत में शांति नहीं देखना चाहते और वे देश में प्रवेश के लिए खुली सीमाओं, खासकर नेपाल से लगने वाली हमारी सीमा का इस्तेमाल करते हैं। शाह ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के 56वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीते एक साल में दो पाकिस्तानियों समेत 54 घुसपैठियों को सीमा पर पकड़ा गया। ये घुसपैठिए पाकिस्तान समेत 24 देशों के हैं।

सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान से लगी 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करता है। शाह ने कहा कि नेपाल और भूटान के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। बल ने सुनिश्चित किया है कि इन मोर्चों पर इन देशों के लोगों के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव हो। उन्होंने कहा, 'लेकिन जब दुनिया में यात्रा करना आसान हो गया है, तो उन देशों के वो तत्व जो भारत में शांति देखना नहीं चाहते वे देश में घुसपैठ के लिए नेपाल सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि एसएसबी दोनों हिमालयी देशों में इस मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है कि किसे प्रवेश की अनुमति दी जाए और किसे सीमाओं पर रोका जाए।

शाह ने कहा कि बल ने बीते एक साल में इन सीमाओं पर 380 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है। इसमें 166 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ शामिल हैं। गृह मंत्री ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोग शांति से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सीमा की सुरक्षा करने वाले जवान शून्य से 46 डिग्री सेल्सियस कम तापमान से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान तक प्रतिकूल माहौल में भी देश की सेवा करते हुए सीमा की रक्षा कर रहे होते हैं।

शाह ने जवानों से वादा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार एक-डेढ़ साल में यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान कम से कम 100 दिन का समय अपने बच्चों और परिवार के साथ व्यतीत कर सकें। उन्होंने दक्षिणी दिल्ली में एसएसबी के एक शिविर में कहा, यह मुश्किल काम है, लेकिन जैसा कि मोदी सरकार ने अन्य मुश्किल लक्ष्यों को हासिल किया है, इसे भी पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एसएसबी को अगले साल के अंत तक 12,055 अतिरिक्त कर्मी मिलेंगे। गृह मंत्री ने भाषण देने से पहले परेड की समीक्षा की और लगभग 80 हजार जवानों के इस बल के अधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में भारत में नेपाल और भूटान के राजदूतों, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। एसएसबी का गठन 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद किया गया था।

अमदाबाद में पांच पुलिसकर्मी घायल

पेज 1 का बाकी

कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने करीब 2000 लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव किया। पथराव में सहायक पुलिस आयुक्त आरबी राणा सहित कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। सहायक पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा, 'हम आरोपियों की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेंगे। शाह-ए-आलम इलाके में पथराव को छोड़कर शहर के किसी भी हिस्से में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।' दोपहर में, अमदाबाद के सरदार बाग इलाके में जुटे कुछ लोगों पर पुलिस ने गुरुवार को लाठीचार्ज किया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इकट्ठा करीब 200 प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया गया क्योंकि एकत्र हुए लोगों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने बताया कि 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। निरीक्षक एमएम नायब ने बताया, 'हमने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने उन्हें हटाया। हमने 20 लोगों को हिरासत में भी लिया।' माकपा, भाकपा सहित वाम दलों और उनसे जुड़े संगठनों ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (डीएसओ) और एसयूसीआइ (कम्युनिस्ट) ने प्रदर्शन का आयोजन किया।

ऑल इंडिया डीएसओ के सदस्य भविक राजा ने कहा, 'हालांकि, हमने आधिकारिक तौर पर इस प्रदर्शन की अनुमति ली थी लेकिन अंतिम समय में इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि हमने घोषणा की थी कि हम आज अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ सरदार बाग में 200 से 300 लोग जुटे थे।'

प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ मतदान कर दो अभियोग लगाए

पेज 1 का बाकी

ने 1974 में महाभियोग की कार्यवाही से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद पहले दिन से ही उन पर महाभियोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप ने मिशिगन के बैटल क्रीक में रैली में कहा, 'तीन साल तक बुरी तरह परेशान किए जाने, अफवाहबाजी और घोटाले के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद करोड़ों देशभक्त अमेरिकियों के जनादेश को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं।'

उधर वाइट हाउस ने महाभियोग को अमेरिका के इतिहास के बेहद शर्मनाक राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक बताया। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी चार भारतीय अमेरिकी सदस्यों ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया। अब यह प्रक्रिया सीनेट में पहुंच गई है जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह मामला चलेगा। अमेरिका के 243 साल के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिये पद से हटाया नहीं गया है। इसके लिए 100 सदस्यीय सीनेट में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के कम से कम 20 सदस्य ट्रंप के खिलाफ मतदान करेंगे तब जाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। सीनेट में रिपलब्लिक पार्टी बहुमत में है ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाभियोग के विफल होने की संभावना है और ट्रंप को पद से हटाने का डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रयास नाकाम रहेगा

बिहार में रेल, सड़क सेवाएं प्रभावित

पेज 1 का बाकी

नागरिकता कानून के विरोध में वामदल से जुड़े छात्र संगठनों के बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात को बाधित किया। बंद का समर्थन छोटे दलों ने भी किया।पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनस में ट्रेनें रोकी गईं। आरपीएफ के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। सुबह दस बजे स्टेशन के सामने वाली सड़क पर टायर जलाए गए। इस दौरान एक आवासीय क्षेत्र की तरफ जा रही एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई। दरभंगा के लहरिया सराए में ट्रेनें रोकी गईं।

दिल्ली में रहा साल का सबसे सर्द दिन

पेज 1 का बाकी

सहित बिहार व अन्य इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। इन सभी जगहों पर तापमान औसत से काफी नीचे दर्ज किया गया। पहाड़ों में कहीं-कहीं हल्की बर्फबारी व दक्षिण भारत में कही-कहीं बारिश भी दर्ज की गई है। यह बर्फबारी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हुई है जिसके असर से 21 दिसंबर को दिल्ली व आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। अब से अगले 22 दिसंबर तक तमाम इलाके घने कोहरे की चपेट में रहने वाले हैं। इस बीच, घने कोहरे के चलते गंगानगर में दृश्यता घट कर 25 मीटर रह गई। इसके अलावा दिल्ली, हिसार, कटरा सहित देश के कई हिस्सों में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। इसके चलते करीब दर्जन भर हवाई सेवाएं व कई दर्जन ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं।

लखनऊ-मंगलुरु में हिंसा, तीन मरे

पेज 1 का बाकी

और लखनऊ में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। संभल में दो सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, इन्हीं उपद्रवियों से इसकी वसूली करेंगे। इनकी संपत्ति को नीलाम करके वसूली करेंगे।' उन्होंने कहा, 'उपद्रवियों से सख्ती से निपटेंगे। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। संभल और लखनऊ में हिंसा हुई। एक दर्जन वाहनों में आग लगायी गई।'

उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ओपी सिंह ने हजरतगंज का दौरा किया और उस जगह का निरीक्षण किया जहां प्रदर्शन के दौरान लोग हिंसक हो गए थे। लखनऊ के डालीगंज इलाके में पथराव और तोड़फोड़ हुआ। ठाकुरगंज में पुलिस ने गोलियां चलाईं। हालांकि, इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। प्रदर्शन के दौरान मदेयगंज और ठाकुरगंज स्थित सतखंडा पुलिस चौकी फूंकी गई। चौकियों के बाहर खड़े वाहनों को भी फूंक दिया गया। खदरा इलाके में भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई और यहां उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी।

इससे पहले सपा और कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के मुख्य गेट पर चढ़ गए। पुलिस को उन्हें वहां से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हंगामे के कारण लखनऊ में जगह-जगह जाम लगा। लखनऊ के हुसैनाबाद में भीड़ हिंसक हो गई थी। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी के मुताबिक, बल प्रयोग के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। 50 लोगों के जिले भर में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के मुताबिक, 'पुलिस को राजधानी के मदेयगंज क्षेत्र में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है।' हसनगंज क्षेत्र में पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। परिवर्तन चौक पर भीड़ ने एक टीवी चैनल की ओ बी वैन में तोड़फोड़ की और उसे कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया।

विपक्षी सपा व कांग्रेस विधायकों ने विधान भवन में नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। सपा विधायक सुबह ही विधान भवन में एकत्र हो गए। सपा नेता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के निकट एकत्र हुए और वहां नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक भी निकट की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे थे। सपा का एक विधायक विरोध प्रकट करने के लिए मुख्य द्वार पर ही चढ़ गया। कांग्रेस के कुछ विधायक सड़क पर आए।

संभल में हिंसा के बाद जिलाधिकारी अविनाश के सिंह ने कहा, 'जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यहां भीड़ ने एक बस को आग लगा दी जबकि एक अन्य को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक थाने पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। इंटरनेट सेवाएं एहतियात के तौर पर बंद की गई हैं।' मऊ में भीड़ ने पथराव किया, जिसके बाद आरएएफ और पीएसी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यहां भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में कई शिक्षकों ने मौन जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। कानून का विरोध कर रहे छात्रों का रविवार को पुलिस से संघर्ष हुआ था, जिसमें 60 लोग घायल हो गए थे। प्रशासन ने विश्वविद्यालय को पांच जनवरी तक बंद कर दिया है।

कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, 'सपा, बसपा और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। मुसलमानों के कंधों को साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है।' इस बीच लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कहा, 'वीडियोग्राफी के जरिए जो लोग चिह्नित होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने नुकसान किया है, उसकी भरपायी उनसे कराई जाएगी।

मुंबई में सड़क पर उतरे लोग

पेज 1 का बाकी

था कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

इस दौरान फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ मौजूद थीं। वहां वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले 94 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिख भी मैदान में मौजूद थे। राजनीतिक नेताओं में राज बब्बर, हुसैन दलवई और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग भी रैली में शामिल थे।

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से ही 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 'भारत छोड़ो आंदोलन' का आह्वान किया था। भारी संख्या में लोग अगस्त क्रांति मैदान में पहुंचे। प्रदर्शनकारी मैदान की ओर बढ़ते हुए 'मोदी-शाह से आजादी' जैसे नारे लगा रहे थे। वहां भारी संख्या में लोग भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों में राजनीतिक कार्यकर्ता और छात्र भी पहुंचे। इसी तरह के प्रदर्शन महाराष्ट्र के अन्य कई शहरों में भी हुए।

वहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सांप्रदायिक है और यह मुसलमानों से भेदभाव करता है। मुंबई में प्रदर्शन का आयोजन भाकपा जैसे राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने किया, लेकिन इसमें लगभग सभी तबके के लोग शमिल हुए। शाम चार बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में असम, मिजोरम के छात्र और अन्य भी स्थानीय लोगों के साथ शामिल हुए।

लोगों को संबोधित करते हुए सईद मिर्जा ने कहा कि अब समय आ गया है जब देखना है कि भारतीय आरएसएस के दूसरे प्रमुख गोलवलकर के विचारों को चुनते हैं या आंबेडकर के विचारों को। वे महात्मा गांधी के विचारों को चुनते हैं या उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचारों को। मैदान में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 'तानाशाही नहीं चलेगी' जैसी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर ले रखे थे। कुछ तख्तियों पर 'हिंदू-मुसलिम एक हैं, मोदी-शाह फेक हैं, जब तख्त गिराए जाएंगे जब ताज उछाले जाएंगे, भारत को बांटना बंद करो' जैसे नारे लिखे हुए थे। इसी तरह के प्रदर्शन पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में देखने को मिले।

नाबालिग होने का दावा करने वाले दोषी की याचिका खारिज

पेज 1 का बाकी

साल पहले 16 दिसंबर की रात को एक नाबालिग समेत छह लोगों ने चलती बस में 23 वर्षीय छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया था और उसे बस से बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया था। सिंगापुर में 29 दिसंबर 2012 को एक अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी।

कमिंस पर केकेआर ने लगाई 15.50 करोड़ की बोली

पेज 1 का बाकी

लिए मशहूर ग्लेन मैक्सवेल के लिए पंजाब की टीम ने 10.75 करोड़ रुपए की बोली लगाई और उन्हें टीम में शामिल करने में सफल रही।

उनादकट को सिर्फ तीन करोड़

2018 में 11.5 करोड़ और 2019 में 8.5 करोड़ रुपए की बोली पाने वाले इस खिलाड़ी को एक बार फिर राजस्थान रॉयल्य ने खरीदा लेकिन लेकिन सिर्फ तीन करोड़ रुपए में। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके पीयूष चावला को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा। 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में शामिल रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने तीन करोड़ में खरीदा।

संरा की निगरानी में जनमत संग्रह कराए भाजपा : ममता

पेज 1 का बाकी

चाहती है, कर सकती है। यदि भाजपा में साहस है तो उसे सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'यदि भाजपा व्यापक मत हासिल करने में विफल रहती है तो तब उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए।'

बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली है कि भाजपा अपने कैडरों के लिए टोपियां खरीद रही है जो इन्हें पहनकर एक खास समुदाय की छवि खराब करने के लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं।

बनर्जी ने एकबार फिर दोहराया कि विवादास्पद कानून और प्रस्तावित एनआरसी को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी और वह नागरिकता दस्तावेज 1970 के मांग रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू करने के बावजूद भाजपा सफल नहीं होगी।

दिल्ली में प्रदर्शन, येचुरी व माकन सहित 1200 लोग गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

में शामिल हैं, जिन्हें लाल किले और मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया। लाल किले और मंडी हाउस के अलावा छोटे पैमाने पर राजघाट, जामिया नगर और कश्मीरी गेट सहित विभिन्न इलाकों में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन को लेकर अफवाहें फैलने से रोकने के लिए कुछ समय के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवा भी दिल्ली के कई इलाकों में बंद कर दी गई।

दिल्ली पुलिस ने एहतियातन लाल किला, सुनहरी मस्जिद के अलावा उत्तरी-पूर्वी जिले के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर रखी थी। हालांकि सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले के पास पहुंच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने यहां पहुंचने वाले लोगों को जानकारी दी कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है लिहाजा विरोध-प्रदर्शन नहीं करें अपने घर लौट जाएं। यदि उनके पास कोई ज्ञापन है तो वह पुलिस को दे दें। पर प्रदर्शनकारी नहीं माने और वहीं डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर बसों से सूरजमल स्टेडियम और बवाना गई, जहां सभी को कई घंटे तक हिरासत में रखा गया।

दिल्ली पुलिस के निर्देश पर राजधानी के कई क्षेत्र में एअरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो सहित दूरसंचार कंपनियों की इंटरनेट, वायस और संदेश सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। उत्तरी और मध्य दिल्ली के पुराने इलाकों सहित मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, जामिया नगर, शाहीन बाग और बवाना में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी तरह की संचार सेवाओं वॉयस, एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं को सुबह नौ बजे से एक बजे तक बाधित कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पिछले कई दिनों से राजधानी के कई इलाकों में विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन राजधानी के कुछ इलाकों में धारा 144 लगाई गई थी। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों को प्रदर्शनस्थल पर तैनात किया गया था। लाल किले और सुनहरी मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। इसके साथ ही मंडी हाउस, आइटीओ, जंतर-मंतर, जामिया, शाहीन बाग और जाफराबाद, सीलमपुर के अलावा उत्तरी-पूर्वी जिले के कई इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

मंगलुरु में पुलिस की गोली से दो की मौत

पेज 1 का बाकी

ने पुष्टि की कि दो लोग पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान जलील कुदरोली (49) और नौशीन (23) के तौर पर की गई है। वहीं संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान इतिहासकार रामचंद्र गुहा समेत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में लिया। बाद में रामचंद्र गुहा को रिहा कर दिया गया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 21 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बंगलुरु के अलावा कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें हैं। इसके अलावा हैदराबाद और चेन्नई में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है।

कर्नाटक के हुबली, कलबुर्गी, हासन, मैसूरू और बेल्लारी सहित राज्य के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन हुए। पुलिस ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया। बंगलुरु के टाउन हॉल में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित अन्य लोगों को पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया। हिरासत से रिहा किए जाने के बाद गुहा ने कहा कि यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है कि पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, जबकि यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है। पुलिसकर्मी गुहा को अपने साथ पास में ही खड़े वाहन तक ले कर गए। बायोकॉन की चेयरपर्सन व प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने पुलिस की कार्रवाई पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, 'यह बेहद आश्चर्यजनक है और दिखाता है कि उन्हें मतभेद प्रकट करने की मौलिक आजादी की कोई समझ नहीं है... शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, 'मैं अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इस कानून का आपके ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं होगा, आपके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कृपया सहयोग करें, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखें।' येदियुरप्पा ने सुबह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासन ने बुधवार से ही बंगलुरु सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में धारा 144 लगाई है। यह 21 दिसंबर तक के लिए प्रभावी है। वहीं चेन्नई में अभिनेता व मक्कल निधि मैयम प्रमुख कमल हासन ने गुहा और स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव को हिरासत में लिए जाने की कटु आलोचना की। हासन ने ट्वीट किया 'मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। भारत आपके साथ है।'

नई दिल्ली

www.readwhere.com

इंजन के अंदर ही चालक को मिलेगा ट्रेन रोकने-चलाने का सिग्नल

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

रेलवे में अब चालक को लोको केबिन में (इंजन के अंदर) ही ट्रेन के रूकने व चलने का सिग्नल मिल सकेगा। मंत्रालय ने रेलवे के बेहतर संचालन व हादसों में कमी लाने के लिए यह तकनीक तैयार की है। इसके लिए रेलवे ने पॉयलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। यह सिस्टम दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर तैयार किया गया है।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि रेल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस योजना पर काम किया जा रहा है। पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे 150-150 किलोमीटर के प्रमुख कॉरिडोर चिह्नित किए हैं। इन मार्गो पर स्क्रीन व सिस्टम स्थापित करने का काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मेट्रो की तर्ज पर शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट
650 करोड़ की लागत से सुधारा जाएगा नेटवर्क

मंत्रालय के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत चालक के लिए इंजन के अंदर ही एक स्क्रीन उपलब्ध होगी। ट्रेन का चालक इस स्क्रीन पर सभी संदेश व सिग्नल देख सकेगा। यह सिग्नल करीब एक से डेढ़ किलोमीटर पहले ही चालक को मिल जाएगी। इससे कोहरे के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकेगी।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत झांसी- बीना, येरगुंटला-रेणिगुंटा, विजयनगरम-बांद्रा के बीच काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट सफल होने के बाद 65000 किलोमीटर के नेटवर्क को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। कै ब सिग्नल प्रोजेक्ट को इसरो व आइआइटी की मदद से विकसित किया गया है जो उपग्रह की मदद से गाड़ी को ट्रेक करेगा। फिलहाल रेलवे के पास केवल गतिमान में ही ऐसा सिस्टम प्रयोग किया जाता है। अब मंत्रालय इससे भी अत्याधुनिक तकनीक को लाने की तैयारी कर रहा है।

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में
और
एन के माइक्रो प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्रापर्टी नंबर 112, स्वायर वन मॉल, डिस्ट्रिक्ट सैंटर, साकेत, दिल्ली 110017 में है, के मामले में
...याचिकाकर्ता
आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 09.12.2019, को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की सम्भावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा **क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003** के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:
एन के माइक्रो प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U74899DL1994PTC062260)
प्रापर्टी नंबर 112, स्वायर वन मॉल, डिस्ट्रिक्ट सैंटर, साकेत, दिल्ली 110017
ई मेल : nkmicro@gmail.com
मोबाइल नं : 0129-4058820
कृते एन के माइक्रो प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 09/12/2019 सुशील नागपाल
स्थान - नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 01775392
पता : हाउस नंबर 1219, सेक्टर -14, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

FORM NO. INC-25A
Before the Hon'ble Regional Director
Ministry of Corporate Affairs, Northern Region
AND
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 as amended upto date
AND
In the matter of Ujala Healthcare Services Limited
having its registered office at 1101, 11th Floor, Antriksh Bhawan 22, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi 110001
(CIN: U85100DL2017PLC317134 .... Petitioner/Applicant

NOTICE

Notice is hereby given to the general public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a "Private Limited Company" in terms of the special resolution passed at its Extra-Ordinary General Meeting held on 09th December, 2019 to enable the company to give effect for such conversion.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region (B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003), within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office situated at 1101, 11th Floor, Antriksh Bhawan 22, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place New Delhi-110001.

For and on behalf of the Applicant
Ujala Healthcare Services Limited
Sd/-
Anil kumar Varshneya,
Director
DIN: 07995313
Place: New Delhi
Date: 19th December, 2019

भारत-बर्मिंघम मिलकर तैयार करेंगे नई पीढ़ी की गाड़ियां

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

यात्रियों के लिए नई पीढ़ी की गाड़ियां तैयार करने के लिए मंत्रालय बर्मिंघम विश्वविद्यालय की मदद लेगा। गुरुवार को इस करार पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव और शोध विभाग के अध्यक्ष प्रो क्लिव राबर्ट ने हस्ताक्षर किए। यह भविष्य में परिवहन सेवाओं के लिए एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय रेल परिवहन इंस्टीट्यूट (एनआरटीआई) स्थापित करने में मदद करेगा।

रेल मंत्रालय इस केंद्र में संस्थापक सदस्य होगा और अध्ययन के लिए तमाम तकनीकी व अन्य सहयोग देगा। इस केंद्र में छात्रों को इस क्षेत्र में अध्ययन करने का भी मौका मिलेगा। इस केंद्र को विकसित करने के लिए अन्य विशेषज्ञ संगठनों की भी मदद ली जाएगी। भारत व बर्मिंघम मिलकर रेल व रेल परियोजनाओं को तैयार करने में मदद करेंगे। अनुबंध के मुताबिक बर्मिंघम रेल शोध व अध्ययन की विशेष टीम और रेलवे मिलकर रेलवे क्षेत्र में सिग्नल, नेटवर्क, उपकरण रखरखाव व सुरक्षा जैसे क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। इसकी मदद से भविष्य में रेल सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी।

फॉर्म संख्या आई एन सी-26
सार्वजनिक सूचना
कम्पनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के तहत केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के उपधारा (4) तथा कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (ए)
तथा
जूही फोम प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 307-308, सैक्टर-6, आई.एम.टी., मानेसर, हरियाणा-122050, इंडिया
.....याचिकाकर्ता
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने 16 दिसम्बर, 2019 को आयोजित अतिरिक्त सामान्य आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने तथा कम्पनी के एसोसिएशन के ज्ञापन की परिवर्तन की पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन के दिनांक के चौदह दिनों के भीतर अपने विरोध का कारण और हित की प्रकृति जो शपथ-पत्र द्वारा समर्थित हो वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरें या रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को साथ में एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जो ऊपर विवरणित है पर भेजें।
प्लॉट नं. 307-308, सैक्टर 6, आई.एम.टी., मानेसर, हरियाणा-122050, इंडिया
के लिए और उनकी ओर से
जूही फोम प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(प्रद्युम्न कुमार गुप्ता)
दिनांक : 19.12.2019 निदेशक
स्थान : दिल्ली डिन : 01208069

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवम् वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।
ओ.ए. नं.619/2018/डीआरटी-3 के मामले में
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .... आवेदक
बनाम
श्रीमती शालिनी गर्ग एवं अन्य .... प्रतिवादी
सेवा में, (डी-3) मैसर्स शुभकामना बिल्डटेक प्रा. लि.
इसके प्राधिकृत अधिकारी/निदेशक के माध्यम से
श्री हरीष कुमार पुत्र श्री घनश्याम दत्त,
इसका पंजीकृत कार्यालय: 197-ई, पॉकेट-4, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-91
चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला शुरू किया है और चूंकि, इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नहीं है। अतः इस विज्ञापन के जरिये आपको निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है कि आप 20.02.2020 को पूर्वा. 10:30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों। इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर निर्धारित दिन पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित न होने की स्थिति में, इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।
29 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।
न्यायालय की मुहर
अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवम् वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।
ओ.ए. नं.272/2019/डीआरटी-3 के मामले में
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .... आवेदक
बनाम
श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं अन्य .... प्रतिवादी
सेवा में,
(डी-2) मैसर्स शुभकामना बिल्डटेक प्रा. लि.
इसका पंजीकृत कार्यालय: 197-ई, पॉकेट-4, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-91
चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला शुरू किया है और चूंकि, इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नहीं है। अतः इस विज्ञापन के जरिये आपको निर्देश देते हुए यह सूचना दी जाती है कि आप 23.12.2019 को पूर्वा. 10:30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।
इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर निर्धारित दिन पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित न होने की स्थिति में, इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।
28 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।
न्यायालय की मुहर
अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
अंचल कार्यालय: विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत 'ई-नीलामी' द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना
EMD प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27-01-2020 सांय 5 बजें तक
नीलामी की तिथि व समय : 28-01-2020 पूर्वाहन 11-30 से अपराहन 12-30 बजे तक
ऋणी व जमानतकर्ता को विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा बंधक /प्रभारित अचल सम्पत्ति का कैनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रलक्षित (Constructive)/भौतिक कब्जा लिया गया है। बंधक सम्पत्ति की बिक्री (जो है,जहाँ है,जैसी है एवं जैसी भी स्थिति में है) के आधार पर दिनांक 28-01-2020 को की जायेगी।

लॉट सं. (1)	ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम एवं पता (2)	सम्पत्ति का विवरण (3)	कुल देनदारियां / धरोहर राशि का खाता विवरण (4)	आरक्षित मूल्य (रु) (5) / धरोहर राशि जमा (EMD)	व्यक्ति से सम्पर्क के लिए मोबाईल नं0
(1)	1. श्रीमती बिलकिश बेगम पत्नी अशफाक अहमद, 5, एजाज नगर गौटिया दो मीनार मस्जिद के सामने बरेली 2. श्री अशफाक अहमद पुत्र नत्थू बक्श, 5, एजाज नगर गौटिया दो मीनार मस्जिद के सामने बरेली 3. श्री रिफाकत अली पुत्र शेर मौहम्मद केजेएन जरी आर्ट एजाज नगर गौटिया जगतपुर लाला बेगम दो मीनार मस्जिद के पास बरेली	आवासीय मकान स्थित खसरा नंबर 37 का हिस्सा, जगतपुर लाला बेगम, बरेली श्रीमती बिलकिश बेगम पत्नी श्री अशफाक अहमद के नाम क्षेत्रफल 79.43 वर्गमीटर सीमायें:-पूर्व: रास्ता, पश्चिम: सिद्दीक का मकान, उत्तर: श्री दुलारे मियां की भूमि, दक्षिण: हशमत का मकान	रू 1016694.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 04.08.2018 से A/c No 5119296000001, IFSC Code: CNRB0005119	रू 1425000.00 रू 142500.00	प्रबंधक केनरा बैंक, राजेन्द्रनगर, बरेली शाखा फोन: 0581-2301455 मो0 संख्या
(2)	1. मैसर्स टयूबा ब्रुशवेयर द्वारा प्रोपराइटर – श्री दिलशाद आलम मौहल्ला हुसैनपुर धामपुर, जिला-बिजनौर 2. श्री दिलशाद आलम पुत्र श्री फकरुद्दीन मौहल्ला हुसैनपुर धामपुर, जिला-बिजनौर	आवासीय मकान स्थित ग्राम हुसैनपुर धामपुर, जिला-बिजनौर श्री दिलशाद आलम पुत्र श्री फकरुद्दीन के नाम, क्षेत्रफल 167.48 वर्गमीटर सीमायें:-पूर्व: महमूद का मकान, पश्चिम: रास्ता 25' चौड़ा, उत्तर: दिलशाद आलम का मकान, दक्षिण: रास्ता 13' चौड़ा	रू 4390631.50 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.04.2019 से A/c No 2165296000001 & IFSC Code: CNRB0002165	रू 2157000.00 रू 215700.00	प्रबंधक केनरा बैंक, धामपुर शाखा फोन: 01344-234028 मो0 संख्या 9456591014
(3)	1. मैसर्स ब्रिजवासी इलेक्ट्रॉनिक्स, द्वारा प्रोप्राइटर- श्री धर्मेंद्र शर्मा निवासी मौहल्ला जलाल नगर, अवंतिका नगर, सलेमपुर बाईपास रोड शनि मंदिर के पास गजरौला, तहसील धनौरा, जिला अमरोहा 2. श्री धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भगवान दास शर्मा निवासी मौहल्ला जलाल नगर, अवंतिका नगर, सलेमपुर बाईपास रोड शनि मंदिर के पास गजरौला, तहसील धनौरा, जिला अमरोहा	आवासीय मकान संपत्ति गाटा संख्या 155, मौहल्ला जलाल नगर, अवंतिका नगर सलेमपुर बाईपास रोड, शनि मंदिर के पास, गजरौला तहसील धनौरा जिला अमरोहा संपत्ति श्री धर्मेंद्र शर्मा के नाम। क्षेत्रफल 79.23 वर्गमीटर सीमायें:-पूर्व: रास्ता, पश्चिम: जिला पंचायत की संपत्ति, उत्तर: मंदिर, दक्षिण: जिला पचायत की संपत्ति	रू 1712530.50 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.03.2018 से A/c No 3443296000001 IFSC Code: CNRB0003443	रू 1831000.00 रू 183100.00	प्रबंधक केनरा बैंक, गजरौला शाखा फोन: 05924-254070 मो0 संख्या 8755907411
(4)	1. मैसर्स अरशद हैंडलूम (प्रो. मौहम्मद अरशद) मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील-धामपुर जिला बिजनौर 2. मौ. अरशद पुत्र मौहम्मद अख्तर मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील -धामपुर जिला बिजनौर 3. मौहम्मद अकबर पुत्र श्री अख्तर हुसैन मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील -धामपुर जिला बिजनौर 4. मौ अनवर पुत्र श्री अख्तर हुसैन मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील -धामपुर जिला बिजनौर	आवासीय मकान स्थित ग्राम पिथापुर, परगना-स्योहारा, तहसील धामपुर जिला बिजनौर, मौहम्मद अरशद पुत्र मौ. अख्तर के नाम क्षेत्रफल 90.23 वर्गमीटर सीमायें-पूर्व: भूरे मिस्त्री की भूमि, पश्चिम: विक्रेता की भूमि, उत्तर: एकत सुलताना की भूमि, दक्षिण: पब्लिक रोड	रू 1637887.50 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.06.2019 से A/c No 2930296000001 IFSC Code: CNRB0002930	रू 1948000.00 रू 194800.00	प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा फोन: 01344-278078 मो0 संख्या 9058455945
(5)	1. मैसर्स अरशद हैंडलूम (प्रो. मौहम्मद अरशद) मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहरा, तहसील-धामपुर जिला बिजनौर 2. मौ अरशद पुत्र मौहम्मद अख्तर मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील -धामपुर जिला बिजनौर 3. मौहम्मद अकबर पुत्र श्री अख्तर हुसैन मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील-धामपुर जिला बिजनौर 4. मौहम्मद अनवर पुत्र श्री अख्तर हुसैन मौहल्ला इस्लाम नगर स्योहारा, तहसील -धामपुर जिला बिजनौर	आवासीय मकान स्थित मौहल्ला इस्लाम नगर, स्योहरा, तहसील धामपुर जिला बिजनौर, मौहम्मद अकबर पुत्र श्री अख्तर हुसैन के नाम, क्षेत्रफल 41.96 वर्ग मीटर सीमायें-पूर्व: अख्तर हुसैन की भूमि, पश्चिम:सराजुदीन का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: बाबू राम का मकान	रू 1637887.50 + ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.06.2019 से A/c No 2930296000001 IFSC Code: CNRB0002930	रू 594000.00 रू 59400.00	प्रबंधक केनरा बैंक, सहसपुर शाखा फोन: 01344-278078 मो0 संख्या 9058455945

बिक्री के नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी कैनरा बैंक की वैबसाईट (www.canara bank.com) पर उपलब्ध है अथवा उपर्युक्त शाखा के द्वारा शाखा प्रबंधक से किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय मे सम्पर्क करें।
दिनांक :- 19.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आइएलपी लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में मंजूर

शिलांग, 19 दिसंबर (भाषा)।

मेघालय विधानसभा ने गुरुवार को ध्वनिमत से एक प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र सरकार से बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर नियमन, 1873 के तहत राज्य में इनर लाइन परमिट लागू करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने प्रस्ताव रखा और सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के सदस्यों ने पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया। आइएलपी लागू करने के लिए राज्य के मूल निवासियों की मांग के मद्देनजर प्रस्ताव पारित करने के मकसद से एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन हुआ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (नियम 8 (6) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्राविधान के अंतर्गत)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6)के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी (ओं), व निर्देशकों को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकृत अधिकारी इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया जा चुका है, के द्वारा **"जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"**, के आधार पर निम्नलिखित दिनांक को ऋणी (ओं), बंधककर्ता (ओं) जमानतकर्ता (ओं) व निदेशकों से सम्पत्ति की बिक्री कर निम्नलिखित बकाया धनराशि व भविष्य के ब्याज एवं अन्य खर्चे जो कि इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है। आरक्षित मूल्य व धरोहर धनराशि निम्नलिखित है। ई-नीलामी वेब पोर्टल **www.magicbricks.com** के प्लेटफार्म पर सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/बंधककर्ता/जमानती का नाम व पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस तिथि / कब्जे की तिथि / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बिड गुणक मूल्य	ई-नीलामी की तिथि व समय	खाते का नाम व बिड जमा करने के लिए खाता संख्या एवं एफएससी कोड	निरीक्षण करने की तिथि व समय एवं संपर्क फोन नं0 का विवरण
1.	**शाखा: रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड** **ऋणी/बंधककर्ता:** 1. मैसर्स अशोका इंजीनियरिंग पार्टनर श्री हरजिंदर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी: ग्राम जयनगर, तहसील रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-263153 2. मैसर्स अशोका इंजीनियरिंग पार्टनर श्री विवेक कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी: शिमला बहादुर रामपुरा तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-263153	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड औद्योगिक सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 164 मिन, ग्राम जय नगर, गुरुद्वारा, तहसील रुद्रपुर उधम सिंह नगर, फ्रीहोल्ड एवं पूर्व दिशा की ओर भवन भूतल पर। सीमायें:-उत्तर: विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिण: विक्रेता की सम्पत्ति, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: अन्य की भूमि	मांग नोटिस तिथि 28.02.2017 / कब्जे की तिथि 26.05.2017 / बकाया राशि रू0 29,38,631/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 25,54,000/- / रू0 2,56,000/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 159102000009999 IFSC Code: IOBA0001591 IOB Bid Account रुद्रपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05944-247626, मो. नं. 9027338225 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
2.	**शाखा: हल्द्वानी, बरेली रोड जिला नैनीताल** **ऋणी:** मैसर्स अरोड़ा इंटरप्राइजेज, प्रो. श्री सुभाष अरोड़ा दुकान नं0 E-9, पाल काम्प्लेक्स, मंगल पाराओं, बरेली रोड, हल्द्वानी जिला नैनीताल, पिन-263139 **गारन्टर:** श्री नवतेश अरोड़ा पुत्र श्री सुभाष अरोड़ा, निवासी: 9/13, विष्णुपुरी, रामपुर रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	बंधक सम्पत्ति सर्वेक्षण प्लॉट 7, पुराना खसरा नं0 131 मिन, नया खसरा नं0 3, एवं नवीनतम खसरा नं0 23 Ka मिन (दुकान) माप क्षेत्रफल 225 वर्ग फीट, स्थित ग्राम -हल्द्वानी मल्ली (पाल कॉम्पलेक्स बरेली रोड), परगना- भवर छ खाता तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल। सीमायें-पूर्व: 7 फीट 6 इंच चौड़ा रास्ता, पश्चिम: अन्य व्यक्ति की भूमि, उत्तर: टॉयलेट, दक्षिण: गली	मांग नोटिस तिथि 19.04.2017 / कब्जे की तिथि 25.07.2017 / बकाया राशि रू0 15,91,686/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 20,63,545/- / रू0 2,10,000/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या 146702000002000 IFSC Code: IOBA0001467 IOB Bid Account हल्द्वानी	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05946-251647, 7409787111 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
3.	**शाखा: ढंडेरा रुड़की** **ऋणी/बंधककर्ता:** जे.पी. फ्लोर एंड फूड इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर-ललित मोहन शर्मा -खाता संख्या 174, खसरा नं0 320 का भाग ग्राम-रायपुर परगना-भगवानपुर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार-247667 **ललित मोहन शर्मा** पुत्र स्व0 श्री जयंती प्रसाद शर्मा, निवासी: मकान नं0 145, इन्दरा कालोनी, मुजफ्फर नगर जिला मुजफ्फरनगर, 3090-251001	बंधक सम्पत्ति खाता संख्या 174, खसरा नं0 320 का भाग ग्राम-रायपुर परगना-भगवानपुर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार-247667, सम्पत्ति स्वामी श्री ललित मोहन शर्मा, सीमायें:-उत्तर: रास्ता 22' चौड़ा, दक्षिण: फैक्टरी गायत्री इंटरप्राइजेज, पूर्व: विमल पेट्रोकेम इंडस्ट्री, पश्चिम: रास्ता 21'-6" चौड़ा	मांग नोटिस तिथि 17.10.2014 / कब्जे की तिथि 10.12.2015 / बकाया राशि रू0 1,01,82,101/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 61,20,000/- / रू0 6,12,000/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 254402000001000 IFSC Code:IOBA0002544 IOB Bid Account ढंडेरा रुड़की	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 01332-241050 मो. नं. 979464041 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
4.	**शाखा: ढंडेरा रुड़की** **ऋणी/बंधककर्ता:** मैसर्स मारवाड़ी ट्रेडर्स प्रोपराइटर श्री शिव कुमार अग्रवाल निवासी-3 बनिया बाजार, लाल कुर्ती, रुड़की, जिला-हरिद्वार, 2. श्रीमति प्रिति अग्रवाल (ऋणी) पत्नि श्री शिव कुमार अग्रवाल, निवासी- 3 बनिया बाजार, लाल कुर्ती रुड़की, जिला हरिद्वार। **गारन्टर:** 1. श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री राम काला (गारन्टर मैसर्स मारवाड़ी ट्रेडर्स) स्थित अम्बा इलेक्ट्रॉनिक्स नक्सर रोड, देहरादुन, रुड़क 2. श्री अमृत कुमार पुत्री श्री महावीर सिंह चौधरी (गारन्टर मैसर्स मारवाड़ी ट्रेडर्स) निवासी ए-84 अशोक नगर, देहरादुन, रुड़की, जिला-हरिद्वार	एक व्यावसायिक गोदाम क्षेत्रफल पूर्व 78 फीट, पश्चिम- 78 फीट, उत्तर- 13 फीट 8 इंच एवं दक्षिण- 13 फीट 8 इंच, कुल क्षेत्रफल 1065.85 वर्ग फीट अर्थात 99.022 वर्ग मीटर, पिरा क्षेत्रफल 662.66 वर्ग फीट अर्थात 61.585 वर्ग मीटर चकबन्दी आकार पत्र 43, चक संख्या 73, गट्टा नं0 281, खसरा नं0 281 स्थित ग्राम-नगला इमरती, परगना एवं तहसील- रुड़की एवं जिला- हरिद्वार। बाहि नं0 1, जिल्द 1573 पेज 373-408, सि0 नं0 7805 से सम्बन्धित है। सीमायें- पूर्व- श्रीमति सुनीता देवी का प्लॉट, पश्चिम- अन्य व्यक्ति का प्लॉट, उत्तर- 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- श्री धमपाल की भूमि।	मांग नोटिस तिथि 23.06.2014 / कब्जे की तिथि 20.02.2015 / बकाया राशि रू0 8,73,152/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 9,59,000/- / रू0 96,000/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 254402000001000 IFSC Code: IOBA0002544 IOB Bid Account ढंडेरा रुड़की शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 01332-241050 मो. नं. 9794754041 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
5.	**शाखा: काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ता:** 1. श्री साई कास्मेटिक शोरूम, प्रोपराइटर: श्रीमती रामवती पत्नी गौरधारी लाल, मौहल्ला आवास विकास, काशीपुर उधम सिंह नगर- 244713 2. श्रीमती रामवती पत्नी गौरधारी लाल, सी 432, वार्ड नं0 3, आवास विकास, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713	बंधक भूमि एवं भवन स्थित मौहल्ला आवास विकास, काशीपुर उधम सिंह नगर- 244713 सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती रामवती पत्नी गीरधारी लाल। सीमायें:- उत्तर: मुकेश जी का मकान, दक्षिण 5.50 मीटर चौड़ा रास्ता, पूर्व: शर्मा जी का मकान, पश्चिम: त्यागी जी का मकान।	मांग नोटिस तिथि 20.06.2019 / कब्जे की तिथि 29.11.2019 / बकाया राशि रू0 15,01,915.08/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 18,32,175/- / रू0 1,83,218/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947-272219 मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
6.	**शाखा: काशीपुर (2217)** **ऋणी/बंधककर्ता:** 1. मैसर्स अनंत इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री गुरदयाल सिंह पुत्र करनैल सिंह, ग्राम-खड़कपुर, देवीपुरा, तहसील- काशीपुर, उधम सिंह नगर-244713 2. गुरदयाल सिंह पुत्र करनैल सिंह, गौतमी हाइट होटल के पिछे, केशवपुरम काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, 3. श्री करनैल सिंह पुत्र श्री जोड़ा सिंह, गौतमी हाइट होटल के पिछे, केशवपुरम, काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713	बंधक भूमि एवं भवन स्थित ग्राम- खड़कपुर देवीपुरा, तहसील- काशीपुर, उधम सिंह नगर- 244713, सम्पत्ति स्वामी श्री करनैल सिंह पुत्र श्री जोड़ा सिंह। सीमायें:- उत्तर: अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, दक्षिण: 16 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, पूर्व: अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, पश्चिम: शारदा देवी का मकान।	मांग नोटिस तिथि 20.06.2019 / कब्जे की तिथि 29.11.2019 / बकाया राशि रू0 8,02,760.80/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 13,43,255/- / रू0 1,34,325.50/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 221702000002217 IFSC Code: IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 05947-272219 मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
7.	**शाखा: भानियावाला (2503)** **ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर:** 1. श्री बीरेन्द्र सिंह रावत **ऋणी:** श्री धीरेन्द्र सिंह रावत पुत्र गंगा, 163, ग्राम- रानी पोखरी, देहरादून- 248140, 2. श्री धीरेन्द्र सिंह रावत पुत्र गंगा, 163, ग्राम- रानीपोखरी, देहरादून- 248140, 3. श्रीमती बसंती रावत पत्नी श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, 163, ग्राम- रानी पोखरी, देहरादून- 248140	बंधक भूमि एवं भवन स्थित खाता नं0 246, खसरा नं0 297, मौजा रानीपोखरी, परगना परवादून, तहसील- ऋषिकेश, जिला- देहरादून, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती बसंती रावत पत्नी बीरेन्द्र सिंह रावत। सीमायें:- उत्तर: श्री सुशील तिवारी की सम्पत्ति, दक्षिण: 12 फीट चौड़ा रास्ता, पूर्व: श्री दयाल सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम: विक्रेता की सम्पत्ति।	मांग नोटिस तिथि 29.04.2019 / कब्जे की तिथि 07.12.2019 / बकाया राशि रू0 13,37,873.20/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 24,75,900/- / रू0 2,47,590/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 250302000002000 IFSC Code: IOBA0002503 IOB Bid Account भनियावाला शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 0135-2412988 मो. नं. 8279989329 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
8.	**शाखा: भानियावाला (2503)** **ऋणी/बंधककर्ता:** 1. श्री टेक बहादुर थाले पुत्र सी0बी0 थाले, ग्राम- रायपुर लुनवाला रोड, निकट हाथीखाना, रायपुर, देहरादून- 240048 2. श्री टेक बहादुर थाले पुत्र सी0बी0 थाले, ग्राम- रायपुर लुनवाला रोड, निकट हाथीखाना, रायपुर, देहरादून- 240048	बंधक भूमि एवं भवन स्थित खाता नं0 246, खसरा नं0 804/2, मौजा- रायपुर, परगना परवादून, जिला: देहरादून, सम्पत्ति स्वामी श्री टेक बहादुर थाले पुत्र सी0बी0 थाले। सीमायें:- उत्तर: श्री सुमेर सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: श्री हरि राम की भूमि, पश्चिम: श्री सुमेर सिंह एवं ओम प्रकाश की सम्पत्ति।	मांग नोटिस तिथि 17.01.2019 / कब्जे की तिथि 07.12.2019 / बकाया राशि रू0 10,05,660.08/- + प्रभावी ब्याज व अन्य खर्चे	रू0 20,46,000/- / रू0 2,04,600.00/- / रू0 10,000/-	21.01.2020 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 250302000002000 IFSC Code: IOBA0002503 IOB Bid Account भनियावाला शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं0 0135-2412988 मो. नं. 8279989329 पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।

जानकारी अगर कोई हो तो, बैंक की जानकारी के अनुसार कोई भार नहीं, बकाया देय राशि समावेश नहीं, लोकल निजि सरकारी (सम्पत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली का बिल इत्यादी) ज्ञात नहीं
बोली के लिए ईएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि: 22.12.2019 से
बोली के लिए ईएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि: 20.01.2019, सायं 5.00 बजे तक (कार्यदिवस के समय तक)
प्रत्याशित बोलीदाता सम्पत्ति के निरीक्षण/ई-नीलामी से सम्बन्धित जानकारी के लिए **क्र0सं0 1 के लिए:**- शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रूद्रपुर शाखा अपर ग्राउन्ड फ्लोर, एसजीएडी कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, रूद्रपुर-263153, फोन नं0: 05944-247626, 9027338225 एवं **क्र0 सं0 2 के लिए:**- शाखा प्रबन्धक, हल्द्वानी, होटल कांता, मंगल पाराओं, बरेली रोड, फोन नं0: 05946-251647, मो0 नं0: 7409787111, ई-मेल: iob1467@iob पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर एवं **क्र0सं0 3 से 4 के लिए:**-शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ढंडेरा शाखा पी0ओ0, ग्राम ढंडेरा, रुड़की हरिद्वार, उत्तराखंड-247667, फोन नं0: 01332-241050, 2544, 9794754041 पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर **क्र0सं0 5 से 6 के लिए:**- शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, काशीपुर शाखा चामुंडा कॉम्प्लेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पिन नं0- 244713, फोन नं0: 05947-272219,9654389470/8178809606 पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर अथवा **क्र0सं0 7 से 8 के लिए:**- शाखा प्रबन्धक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भानियावाला शाखा दुर्गा चौक, पोस्ट- डोईवाला, भानियावाला, देहरादून, उत्तराखण्ड, फोन नं0: 0135-2412988, 8279989329 पर कार्यदिवस के दौरान कार्यालय पर अथवा बैंक द्वारा सर्विस प्रदाता magic brick सर्विस लिमिटेड- हेल्प लाइन नं0 9212346000 मोहित शर्मा मो0: 9837778407, ई-मेल: auction@magicbricks.com एवं mohit.sharma@magicbricks.com पर सम्पर्क करें।
विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (वेब पोर्टल) www.magicbricks.com पर देखें
दिनांक: 19.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

खबर कोना

लंदन के वेस्टमिंस्टर में गुरुवार को संसद सत्र शुरू होने से पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ।

अमेरिका के शॉपिंग सेंटर में हमलावर ने लोगों को चाकू मारा, एक की मौत

बेवर्टन, 19 दिसंबर (एपी)।

उपनगरीय पोर्टलैंड में एक शॉपिंग सेंटर में और निकटवर्ती क्षेत्र में एक हमलावर ने कई लोगों को चाकू मार और कार चुरा कर भागने की कोशिश की। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेवर्टन शहर की पुलिस ने बताया कि वेल्स फार्गो बैंक में दो लोगों को और उसके निकट स्थित एक जिम में एक व्यक्ति को हमलावर ने चाकू मार दिया। पुलिस ने बताया कि चाकू मारने के बाद हमलावार ने एक व्यक्ति की कार चुरा ली और उपनगरीय क्षेत्र टिगार्ड पहुंच गया। यहां उसने एक अन्य महिला की कार चुरा ली और उसे चाकू मार दिया। बाद में वह कार से निकला और अधिकारियों से भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। इस पूरे घटनाक्रम में बैंक में चाकू लगने से एक महिला की मौत हो गई और दूसरी महिला गंभीर रूप से जख्मी है। इसके अलावा हमलावर ने जिन दो लोगों की कार चुराई, वह भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। बैंक और सैलॉन शॉपिंग सेंटर का ही हिस्सा हैं।

नागरिकता कानून पर भारत में मजबूत बहस हुई : पोम्पियो

वाशिंगटन, 19 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि वह भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं क्योंकि नागरिकता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर वहां दमदार तरीके से चर्चा और बहस हुई। भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 'टू प्लस टू' वार्ता के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में पोम्पिओ ने कहा, 'हम अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक अधिकारों का बेहद खयाल रखते हैं और हर जगह उनकी रक्षा करेंगे। हम भारत के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं क्योंकि आप ने जो मुद्दा उठाया है, उस पर वहां मजबूत चर्चा और बहस हुई है।' अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भारत के अपने समकक्षों विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में बुधवार को मेजबानी की। पोम्पिओ संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या नागरिकता के लिए लोकतंत्र में धर्म को आधार बनाना उचित है?

भारत-अमेरिका रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ करने, रक्षा व्यापार बढ़ाने, शांतिपूर्ण हिंद- प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान जैसे समान समझ वाले देशों के साथ समन्वय बढ़ाने और आंतकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए सहमत हो गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 'टू प्लस टू' वार्ता वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में अमेरिकी समयानुसार बुधवार को हुई।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भारत के अपने समकक्षों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, की फॉगी बॉटम मुख्यालय में मेजबानी की। भारत और अमेरिका के बीच दूसरी 'टू प्लस टू' वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया, 'वार्ता में पूरे साल हुई प्रगति की समीक्षा की गई। हमने अंतरिक्ष में खोज, रक्षा तथा औद्योगिक समन्वय जैसे क्षेत्रों में नए समझौते किए हैं।' विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के सांसदों के लिए एक नया एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के नवोन्मेषियों के लिए इंटर्नशिप में मदद करने की खातिर नई पहल होगी।

'टू प्लस टू' वार्ता

"हमने बताया कि पाक नेताओं द्वारा भारत विरोधी उग्र बयानबाजी शांति के अनुकूल नहीं है। हमारी सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ा है और हमारे सैन्य अभ्यास आकार और विस्तार में बढ़े हैं।'

इस वार्ता में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय चुनौतियों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, 'अफगानिस्तान का भविष्य दोनों देशों के लिए महत्त्वपूर्ण है और हम अफगानिस्तान की जनता के अधिक सुरक्षित, समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए मिल कर काम कर रहे हैं। हम अफगानास्तिान में भारत के योगदान की सराहना करते हैं और उस मुद्दे पर गहन बातचीत जारी रखने की मंशा रखते हैं।' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गतिशीलता बनाए रखने के संदर्भ में 'टू प्लस टू' वार्ता को 'सार्थक और सफल' करार दिया।

'सजा से पहले मुशर्रफ की मौत हो तो शव को सेंट्रल स्क्वायर पर तीन दिन लटकाएं'

इस्लामाबाद, 19 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को एक विस्तृत फैसले में मौत की सजा सुनाने वाली पाकिस्तान की विशेष अदालत ने गुरुवार को कहा कि यदि मुशर्रफ को फांसी दिए जाने से पहले उनकी मौत हो जाती है तो उनके शव को इस्लामाबाद के सेंट्रल स्क्वायर पर खींचकर लाया जाए और तीन दिन तक लटकाया जाए।

मंगलवार को मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाली तीन सदस्यीय पीठ के प्रमुख और पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ ने 167 पन्नों का विस्तृत फैसला लिखा है। उन्होंने लिखा कि फांसी दिए जाने से पहले मुशर्रफ की मौत होने पर भी पूर्व राष्ट्रपति को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए।

फैसले के अनुसार, 'हम कानून प्रवर्तन एजंसियों को निर्देश देते हैं कि भगोड़े/दोषी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाए और सुनिश्चित करें कि कानून के हिसाब से सजा दी जाए। अगर वह मृत मिलते हैं तो उनकी लाश को इस्लामाबाद के डी चौक तक खींचकर लाया जाए और तीन दिन तक लटकाया जाए।'

फैसले से नाराज पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह न्यायाधिकरण के मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रमुख को हटाने के लिए उच्चतम न्यायिक परिषद का रूख करेगी। कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि फैसला दिखाता है कि न्यायमूर्ति सेठ 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' हैं। उन्होंने कहा कि अगर पहले मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो उनके शव को फांसी पर लटकाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी सजा पाकिस्तान के किसी भी कानून के खिलाफ है।

नसीम ने कहा, 'संघीय सरकार ने उच्चतम न्यायिक परिषद में जाने का फैसला किया है क्योंकि सरकार का मानना है कि ऐसे व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हो सकते। अगर ऐसे न्यायाधीश फैसला देते हैं तो ऐसे न्यायाधीश मानसिक रूप से अस्वस्थ और अक्षम हैं।' पाकिस्तान में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायिक परिषद ही एकमात्र संस्था है।

फैसले से नाराज पाक सरकार

पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि फैसला दिखाता है कि न्यायमूर्ति सेठ 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' हैं। ऐसी सजा किसी भी कानून के खिलाफ है। मंत्री ने कहा कि न्यायाधिकरण के मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रमुख को हटाने के लिए उच्चतम न्यायिक परिषद का रूख करेगी।

'सजा बदले पर आधारित'

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मौत की सजा 'निजी प्रतिशोध' पर आधारित है। उनकी पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो में मुशर्रफ ने कहा, 'इस तरह के फैसले का कोई और उदाहरण नहीं है जब न तो प्रतिवादी को और न ही उसके वकील को अपनी बात रखने का मौका दिया गया हो।'

पाक सामान्य पड़ोसी की तरह व्यवहार करे : भारत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

संशोधित नागरिकता कानून पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान को सिरे से खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इस्लामाबाद को एक सामान्य पड़ोसी की तरह व्यवहार करते हुए दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे अपने भीतर झांकना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'हम बार बार कह रहे हैं कि उन्हें (पाक) अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्हें पड़ोसी देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को एक सामान्य पड़ोसी जैसा व्यवहार करना चाहिए।' पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में जो हो रहा है, वह आंतरिक मामला है। हमारा लोकतंत्र और अन्य संस्थाएं किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से परिपूर्ण हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि उन्हें (पाक) अपने भीतर झांकना चाहिए।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि इस्लामाबाद सारे वैश्विक मंचों पर नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा उठाएगा तथा यह कानून मोदी सरकार की 'हिंदुत्व' विचारधारा को बेनकाब करता है ।

इससे पहले पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति किए जा रहे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार व उत्पीड़न से ध्यान हटाने का एक निष्फल प्रयास है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने की बजाय गंभीर रूप से आत्मनिरीक्षण करें।

बांग्लादेश के साथ कुछ द्विपक्षीय बैठकें स्थगित होने सहित हाल के घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'बांग्लादेश के साथ बैठकों को पुनर्निर्धारित करने के अधिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए।' उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच बैठकें रद्द होने के बारे में कुछ बयान सामने आए हैं लेकिन यह समझने की जरूरत है कि दोनों देशों के बीच संवाद के 75 वार्ता तंत्र हैं और इस संबंध में आपसी सहमति के आधार पर तिथि तय की जाती है।

अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वहां की वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों का अपने संविधान के अनुसार ख्याल रखा है। पूर्व की मुजाहिदीन और तालिबान प्रशासन के दौरान अल्पसंख्यकों के समस्या का सामना करना पड़ा था।

एच-1बी वीजाधारकों के अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान को सराहा

वाशिंगटन, 19 दिसंबर (भाषा)।

भारत ने अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एच-1बी वीजा धारकों के योगदान की सराहना की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को यहां भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने में लोगों के आवागमन का महत्त्वपूर्ण योगदान रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच उचित और भेदभाव रहित तरीके से लोगों की आवाजाही होने से संबंधों को मजबूती देने में मदद मिली है।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि लोगों के बीच आपसी रिश्तों का दोनों देशों की दोस्ती में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी उपस्थित थे।

जयशंकर ने कहा, 'हमें अमेरिका में भारतीयों और भारतीय अमेरिकियों की उपलब्धियों, उनके अमेरिकी समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में किए गए योगदान को लेकर गर्व होता है।' उन्होंने कहा, 'लोगों का उचित और बिना किसी पक्षपातपूर्ण तरीके से आवागमन करने सहित व्यापार और सेवाओं का रिश्तों को और मजबूत बनाने में अहम योगदान रहा है।'

जयशंकर ने कहा कि इन संबंधों को आगे बढ़ाने और बेहतर बनाए रखने के लिए भारत अमेरिका के साथ काम करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समझ और जागरूकता बनाए रखने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई है।

उन्होंने इस अवसर पर चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए अमेरिका का समर्थन दिए जाने को लेकर पोम्पियो की सराहना भी की।

जामिया के छात्रों को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान यहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिंसा की पड़ताल के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दंडात्मक कार्रवाई से छात्रों को संरक्षण प्रदान करने समेत कोई अंतरिम निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी। पीठ के कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करने और सुनवाई खत्म करने के बाद याचियों की ओर से पेश वकील 'शेम शेम' कहते नजर और अदालत में मौजूद दूसरे वकीलों ने भी उनका अनुसरण किया।

ये याचिकाएं जामिया के छात्रों, ओखला जहां पर विश्वविद्यालय स्थित है वहां के निवासियों, वकीलों और संसद भवन के सामने स्थित जामा मस्जिद के इमाम ने दायर की हैं। इन छह याचिकाओं में छात्रों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने और मुआवजा देने और उपचार कराने की मांग की गई। याचिका में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने सहित उपयुक्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।

नए साल में रसोईघर का बजट और बिगाड़ेगी महंगाई

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

प्याज की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर लोगों ने बगैर प्याज की सब्जी खाने की आदत भले डाल ली हो लेकिन इस कंजूसी से उनके घर का बजट नहीं संभलने वाला क्योंकि केवल प्याज ही नहीं, आम आदमी की रसोई में इस्तेमाल में लाई जानी वाली करीब दो दर्जन वस्तुओं की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। दूसरी ओर प्याज, आलू, दाल, गन्ना आदि की पैदावार करने वाले राज्यों में बाढ़ व भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के मद्देनजर रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की कीमतों में नए साल में भी तेजी बने रहने के आसार हैं।

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि उत्पादन कम होने की वजह से प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार प्याज का निर्यात बंद करने और विभिन्न देशों से आयात करने जैसे कदम उठाने के अलावा विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर इस समस्या के निपटने के लिये ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से प्याज के उत्पादन को लेकर जो अनुमान दिया गया था, उससे कम पैदावार हुई है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन सवाल केवल प्याज की कीमतों का ही नहीं हैं, आलू की कीमतें भी बढ़ी हैं, दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है और अब चीनी की कीमतें भी बढ़ रही हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नए साल तक चीनी की कीमतों में 10 से 20 फीसद तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

शीतकालीन सत्र के दौरान ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों का विवरण लोकसभा में पेश किया। इसमें जनवरी से दिसंबर, 2019 तक के आंकड़े दिए गए। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई किस कदर पूरे साल आम आदमी की जेब पर असर करती रही। अरहर की जो दाल जनवरी, 2019 में 72.84 रुपए प्रति किलो बिकी थी, उसकी कीमत दिसंबर तक आते-आते 88.5 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इसी प्रकार उड़द दाल 71.83 रुपए प्रति किलो से 95.25 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इसी प्रकार चाहे सरसो, सूरजमुखी, सोया आदि तेलों की कीमतों से लेकर दूध, चीनी और चायपत्ती से लेकर नमक की कीमतों तक में इजाफा हुआ।

सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में देश में चीनी की कीमतों में 10 से 20 फीसद तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले साल पड़े सूखे, मानसून में देरी और महाराष्ट्र व कर्नाटक सरीखे गन्ना उत्पादक राज्यों में बाढ़ की विभीषिका से हुए नुकसान के कारण चीनी के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है।

नागरिकता कानून पर प्रदर्शनों के बीच सोनिया ने की वरिष्ठ नेताओं संग बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर गुरुवार को दिल्ली सहित देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आवास पर बैठक कर राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थिति पर चर्चा की गई। विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बाधित किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र की राजग सरकार की तीखी आलोचना की।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा आदि मौजूद थे। इस मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आप ताकत के दम पर जनता की आवाज नहीं दबा सकते।

भाजपा विधायकों ने नागरिकता कानून को लेकर संदेह दूर करने को कहा

गुवाहाटी, 19 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा विधायकों के एक समूह ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और उनसे संशोधित नागरिकता अधिनियम के संबंध में लोगों के बीच भय और संदेहों को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

भाजपा विधायक पद्मा हजारिका ने मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि भाजपा के लगभग 14 विधायकों ने सोनोवाल को बताया कि वह संशोधित नागरिकता कानून की वजह से लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून के कारण भाजपा और उनके नेताओं में अविश्वास है और इसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।

हजारिका ने कहा कि कुछ विधायकों द्वारा दिए गए बयानों के कारण भाजपा विधायकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है, हालांकि उन्होंने उनका नाम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'हमने मुख्यमंत्री से भाषा, संस्कृति और लोगों की सुरक्षा के बारे में मजबूत कदम उठाने और इन मामलों में संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।'

राज्यों से नए कार्ड बनाने को कहा केंद्र ने | **एक देश एक कार्ड** | छह राज्यों में प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर अमल

राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है। राज्यों से कहा गया है कि नया राशन कार्ड जारी करते हुए वे इसी प्रारूप को अपनाएं। पूरे देश में एक जैसे राशन कार्ड जारी करने की पहल के तहत वर्तमान में छह राज्यों में परीक्षण योजना के तौर पर इस पर अमल किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस योजना को एक जून, 2020 से पूरे देश में लागू करना चाहती है।

'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना के पूरे देश में लागू होने के बाद कोई भी कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेगा। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी राशन कार्ड जारी करें वे सभी एक मानक प्रारूप में हों। इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन जारी करने के लिए मानक प्रारूप जारी किया गया है।' अधिकारी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में जो भी राशन कार्ड जारी किए जा रहे थे उन सभी के तौर तरीकों को प्रारूप को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वह जब भी नया राशन कार्ड जारी करें इसे नए प्रारूप के अनुरूप ही जारी करें। इस बारे में कुछ और बताते हुए अधिकारी ने कहा कि मानक राशन कार्ड में राशन कार्डधारक का जरूरी ब्योरा शामिल किया गया है और राज्य चाहें तो इसमें अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ और जोड़ सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि वह मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी करें। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें। इससे राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को अमल में लाने में मदद मिलेगी। राज्यों से कहा गया है कि वह दस अंकों वाला राशन कार्ड जारी करें जिसमें पहले दो अंक राज्य कोड होगा और अगले अंक राशन कार्ड संख्या के अनुरूप होंगे। इसमें अगले दो अंक राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य की पहचान के तौर पर शामिल होंगे।

मानक कार्ड दो भाषाओं में

राज्यों से कहा गया है कि वह मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी करें। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें। इससे राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को अमल में लाने में मदद मिलेगी। राज्यों से कहा गया है कि वह दस अंकों वाला राशन कार्ड जारी करें जिसमें पहले दो अंक राज्य कोड होगा और अगले अंक राशन कार्ड संख्या के अनुरूप होंगे। इसमें अगले दो अंक राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य की पहचान के तौर पर शामिल होंगे।

लगातार तीसरे दिन सूचकांक ने बनाया रेकार्ड

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) का पूंजी प्रवाह जारी रहने के साथ-साथ ईंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और वाहन कंपनियों के शेयरों में चमक से शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन प्रमुख सूचकांकों ने ऊंचाई के नए रेकॉर्ड बनाए।

बीएसई का प्रमुख 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 115.35 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 41,673.92 अंक के अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह एक समय 41,719.29 अंक तक चला गया था जो इससे अब तक की उच्चतम चढ़ाई है। एनएसई का निफ्टी भी 38.05 अंक यानी 0.31 फीसद की तेजी के साथ रेकार्ड 12,259.70 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में येस बैंक 6.74 फीसद उछाल पर रहा। टीसीएस, टाटा मोटर्स, भारती एअरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लाभ में रहे। वेदांता, एचडीएफसी, सन फार्मा और इंडसइंड बैंक में 2.26 फीसद तक की गिरावट आई।

कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव द्वारा अभियोग शुरू करने की खबरों से शुरू में निवेशक सतर्कता बरत रहे थे। बाद में यह देख कर कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की लिवाली का सिलसिला बना हुआ है, बाजार में चुनिंदा निवेश से तेजी का क्रम जारी रहा।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख (विनोद नायर) ने कहा कि आर्थिक सुधारों के जारी रखे जाने के विश्वास के चलते विदेशी निवेशकों की लगातार लिवाली बनी हुई है। इससे शेयर बाजार नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। आम बजट के बाजार के लिए महत्त्वपूर्ण रहने की संभावना है। बजट में निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन निवेशक यह भी सोच कर चल रहे हैं कि कर संग्रह में धीमी वृद्धि को देखते हुए राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य से ज्यादा हो सकता है।'

बीएसई के समूहों में दूरसंचार, ईंधन, वाहन, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल एवं गैस, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और एफएमसीजी में 1.98 फीसद तक की तेजी रही। हालांकि वित्त, पूंजीगत वस्तुओं, रियल्टी, यूटिलिटीज और बैंकिंग समूहों में 0.31 फीसद तक की गिरावट रही। बीएसई का मिडकैप और स्मॉलकैप 0.17 फीसद तक की तेजी में रहा।अस्थायी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को एफपीआइ ने घरेलू शेयर बाजारों से 1,836.81 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,267.57 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख रहा। यूरोपीय बाजार शुरुआती कारोबार में गिरावट में चल रहे थे। इस बीच रुपया दिन में 17 पैसे गिरकर 71.15 रुपये प्रति डॉलर पर चल रहा था।

पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनः गडकरी

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अवागमन का भविष्य हैं और जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता कम करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

सार्वजनिक सूचना
फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
नैना कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U72900DL2006PTC153330
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एल-125, जीएफ आर/5, महीपालपुर विलेज रंगपुरी रोड, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली-110037, इंडिया
ई मेल : mgmt@iiservz.com
केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
नैना कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एल-125, जीएफ आर/5, महीपालपुर विलेज रंगपुरी रोड, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली-110037, इंडिया में स्थित है के मामले में
.....आवेदक कर्ता
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का **रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 13 सितम्बर, 2019 को ~~वार्षिक आम बैठक~~/आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा:
एल-125, जीएफ आर/5, महीपालपुर विलेज रंगपुरी रोड, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली-110037, इंडिया
आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
नैना कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
तिथि : 20.12.2019 सत्यजीत पाढ़े
स्थान : नई दिल्ली डीआइएन : (02358698)
निदेशक
सी-179 एनआरआई सिटी ओमेगा-2 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर 201307 यूपी इन

सार्वजनिक सूचना
फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
इंटीग्रेटेड इंफोर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U72300DL2009PTC194388
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एल-125ए, गली नं-5, ओल्ड रंगपुरी रोड, महीपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110037, इंडिया
ई मेल : accounts@iiservz.com
केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
इंटीग्रेटेड इंफोर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एल-125ए, गली नं-5, ओल्ड रंगपुरी रोड, महीपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110037, इंडिया में स्थित है के मामले में
.....याचिकाकर्ता
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का **रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 13 सितम्बर, 2019 को ~~वार्षिक आम बैठक~~/आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा:
एल-125ए, गली नं-5, ओल्ड रंगपुरी रोड, महीपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110037, इंडिया
आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
इंटीग्रेटेड इंफोर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
तिथि : 20.12.2019 सत्यजीत पाढ़े
स्थान : नई दिल्ली डीआइएन : (02358698)
निदेशक
सी-179 एनआरआई सिटी ओमेगा-2 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर 201307 उत्तर प्रदेश इंडिया

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
IDFC FIRST Bank
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । **फैक्स** : +91 44 4564 4022.
अधिकृत प्राधिकारी - श्री रोहित दुदेजा । सम्पर्क नम्बर : 7838324723

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना।
एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व की कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, सुशील कुमार केजरीवाल, सुप्रा एन्टरप्राइजेज, पुष्पा देवी केजरीवाल, उमंग केजरीवाल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) का 10 मई, 2019 तक के बकाये की राशि रु. 50237447/- की वसूली के लिए 07.01.2020 को ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य रु. 4,66,00,000/- तथा जमा धरोहर राशि रु. 46,60,000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण
भूतल, प्लॉट सं. 4, बीपी-4, मथुरा रोड, जंगपुरा-ए, नई दिल्ली के सामने का भाग।
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirstbank.com देखें।
अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।
ह./
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक: 18.12.2019 (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

नौ बड़े राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति दोगुनी होकर 70,000 करोड़ तक पहुंच सकती है : इक्रा

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

जीएसटी के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और केरल सहित नौ प्रमुख राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति का भुगतान 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है जो एक साल पहले की तुलना में दुगुना होगा। इक्रा की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भुगतान में विलंब से इन राज्यों के नकदी प्रवाह पर असर पड़ सकता है। इन नौ राज्यों में कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं।

इक्रा की इस रिपोर्ट में इस बात को लेकर भी आशंका जताई गई है कि 2019–20 में इन राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा 59,500 करोड़ रुपए से लेकर 77,000 करोड़ रुपए रह सकता है। यह राशि भारत सरकार द्वारा बजट में लगाए गए अनुमान से कम है। यह भी राज्यों के लिए राजस्व के मामले में जोखिम खड़ा हो सकता है। इस लिहाज से चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजी खर्च वर्ष के बजट में रखे गए अनुमान से कम रह सकता है। कमजोर आर्थिक वृद्धि और जीएसटी दरों में कटौती के कारण चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर 2019 की अवधि में जीएसटी संग्रह में 3.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि रही है।

इक्रा का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य जीएसटी संग्रह काफी कम रह सकता है।

ग्रामीण विकास जरूरी : तोमर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 दिसंबर।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि अगर देश के गांवों को नजरअंदाज किया गया तो पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। देश में ग्रामीण विकास योजनाओं में अभूतपूर्व योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में तोमर ने कहा कि प्रत्येक गांव में शहरों की तरह ही मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए।

हम दूरसंचार उद्योग को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं जो हितकारी नहीं : मित्तल

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

दूरसंचार उद्योग के दिग्गज सुनील मित्तल ने कहा है कि भारतीय दूरसंचार सेवा उद्योग शुल्क की दरें अत्यधिक नीचे गिरने और सेवा–उपभोग ऊंचा होने की मिले–जुले असर से खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और निवेशकों तथा उपभोक्ताओं के हित में संतुलन बिठाना चाहिए। मित्तल ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कंपनी जगत के लोगों की बजट पूर्व परामर्श–बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मेरा मानना है कि निवेश और उपभोक्ता की जरूरत के बीच संतुलन बैठाया जाना चाहिए।'

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
एस-12, ग्रीन पार्क एक्स्टें., शाखा, नई दिल्ली-110016
टेली.: 011-26564471, 26963168, फैक्स:011-26568582
RTGS/IFSC: Synb0009048 ईमेल: Br.9048@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 9048/ जीपीई/आरईसी/सरकैइस/बिकाश/एचएल/2019 रेफ. नं.: 04.12.2019
ऋणधारकों:
1. **श्री बिकास कुमार सिंह देव** (पूर्व में बिकास कुमार साहू के नाम से विदित) ई-91, भू तल, ई-ब्लॉक, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017
2. **श्री बिकास कुमार सिंह देव** (पूर्व में बिकास कुमार साहू के नाम से विदित) एफ-1ए, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017
3. **श्री बिकास कुमार सिंह देव** (पूर्व में बिकास कुमार साहू के नाम से विदित) मै. अदिवा हॉस्पीटल्स प्राईवेट लिमिटेड सी-1/सी ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, ख.नं. 68, ग्राम युसुफ सराय की राजस्व सम्पदा, नई दिल्ली-110016
4. **श्रीमती निखिला जोसफ** ई-91, भू तल, ई-ब्लॉक, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017
5. **श्रीमती निखिला जोसफ** एफ-1ए, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017
6. **श्रीमती निखिला जोसफ** मै. अदिवा हॉस्पीटल प्राईवेट लिमिटेड सी-1/सी ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, ख.नं. 68, ग्राम युसुफ सराय की राजस्व सम्पदा, नई दिल्ली-110016

प्रिय महोदय/महोदया
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना
1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 30,60,0000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	सिंड निवास 90489730000049	रु. 3,06,00000.00/-	रु. 3,09,08,079.40	30.11.2019
	कुल	रु. 3,06,00000.00/-	रु. 3,09,08,079.40	

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त तिथि को आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
3. ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.12.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 30908079.40 (रुपए तीन करोड़ नौ लाख आठ हजार उन्यासी एवं पैसे चालिस मात्र) की राशि बकाया है।
4. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
5. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न सीमाऐं अधोलिखित परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत परिसम्पत्तियों) द्वारा प्रतिभूत हैः
i) श्री बिकास कुमार सिंहदेव (पूर्व में श्री बिकास कुमार साहू विदित) तथा श्रीमती निखिला जोसफ के स्वामित्व में ले आउट 10017 में स्थित आवासीय भूखंड नं. 91, ब्लॉक ई में, माप 200 वर्ग याईस तथा चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 92, दक्षिणः प्लॉट नं. 90, पूर्वः रोड 30, पश्चिमः सर्विस लेन 15
6. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल हैः क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना, ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।
तिथि: 4.12.2019 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान: ग्रीन पार्क, नई दिल्ली सिंडिकेट बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
राज नगर शाखा (डीबीजीएजेडआई), गाजियाबाद
नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, राज नगर (डीबीजीएजेडआई), गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **श्रीमती रश्मि चौहान और गारंटर श्री राजू सिंह और श्री रंजीत सिंह को मांग सूचना दिनांक 04.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 12,26,393.00/- (रु. बारह लाख छब्बीस हजार तीन सौ तिरान्वे मात्र) दिनांक 04.07.2019 तक और दिनांक 06.07.2019 से ब्याज और आकस्मिक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **13.12.2019** को लिया है।
विशेष रूप से ऋण धारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, राज नगर (डीबीजीएजेडआई), गाजियाबाद के प्रभार वास्ते रू 12,26,393.00/- (रु. बारह लाख छब्बीस हजार तीन सौ तिरान्वे मात्र) दिनांक 04.07.2019 तक और दिनांक 06.07.2019 से ब्याज और आकस्मिक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल संपत्ति का विवरण
साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ईडब्ल्यूएस फ्लैट नं. 103सी, तृतीय तल, न्याय खंड-।।।, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी.-201014 में स्थित, क्षेत्रफल 19.51 वर्ग मी. चौहद्दी : परिचम में – फ्लैट नं. 104सी, पश्चिम में – फ्लैट नं. 106सी, दक्षिण में – ब्लॉक, उत्तर में – फ्लैट नं. 102सी
दिनांक : 13.12.2019, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम) **ई-नीलामी सूचना**
जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स की प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 07.01.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूप में होगी।

कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि / धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
श्रीमती नासिरा बेगम पत्नी मोह. कामिल, मोहम्मद कामिल पुत्र श्री ग्यासुद्दीन और श्री मोह. मोहसिन पुत्र मोह. कामिल (सभी कर्जदार)	फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 12, ब्लॉक 205ए, जिसे अब 98 कहते हैं, बाबर रोड, बंगाली प्लेस, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती नसरा बेगम के नाम पर है। (जिसे नसीरा बेगम भी कहते हैं) क्षेत्रफल 972.84 वर्ग गज	₹ 54.50 करोड़ / ₹ 5.45 करोड़ / ₹ 5.00 लाख	07-01-2020 को अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक	12-03-2019 / रु. 46.76 करोड़ दिनांक 01-03-2019 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 / खाता नं. और IFSC कोड 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')
	धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 06-01-2020 / सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय 03-01-2020 को पूर्वा 11.00 बजे अपराह्न 04.00 बजे तक				
श्रीमती नासिरा बेगम पत्नी मोह. कामिल, मोहम्मद कामिल पुत्र श्री ग्यासुद्दीन और श्री मोह. मोहसिन पुत्र मोह. कामिल (सभी कर्जदार)	फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 136-136ए, ब्लॉक 205-सी, जिसे अब 9 कहते हैं, बाबर रोड, बंगाली प्लेस, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती नासीरा बेगम, मोह. मोहसिन और मोह. कामिल के नाम पर है। भूमि क्षेत्रफल 575 वर्ग गज	₹ 28.10 करोड़ / ₹ 2.81 करोड़ / ₹ 5.00 लाख	07-01-2020 को अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक	12-03-2019 / रु. 28.39 करोड़ दिनांक 01-03-2019 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482 / खाता नं. और IFSC कोड 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')
	धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 06-01-2020 / सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय 03-01-2020 को पूर्वा 11.00 बजे अपराह्न 04.00 बजे तक				

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी
1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करें। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाऐ।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेंट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 06.01.2020) को अपरा. 05.00 बजे तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 06.01.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते हैं। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल - delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net श्री निशिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हेल्प लाइन ईमेल support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए वैबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।
कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना
कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।
दिनांक : 19.12.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पंजाब नैशनल बैंक
मण्डल कार्यालयः रामगंगा विहार, निकट सेल्स टैक्स ऑफिस, मुरादाबाद E-mail: combdsamd@pnb.co.in
सीलबंद निविदा के माध्यक से वाहन की विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
पंजाब नेशनल बैंक, निम्नलिखित वाहन की खरीद के लिये इच्छुक बोलीदाताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है, निविदा बंद होने की तिथि 30.12.2019 (सोमवार) को सायं 04:00 बजे से पहले पैनकार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित शाखा पंजाब नेशनल बैंक (जैसा कि उल्लेख किया गया है) में पहुंचना चाहिए। यहां उल्लेखित आरक्षित मूल्य से नीचे की बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। ईएमडी के बिना बोली/ईएमडी के साथ लेकिन ईएमडी की कम राशि जो यहां निर्धारित की गई है, स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्र. सं.	नाम एवं खाता सं.	वाहन का विवरण मॉडल एवं पंजीयन	ऋण का बकाया (रु. लाख में)	शाखा का नाम एवं मो.नं.	आरक्षित मूल्य राशि (रु. लाख में)	ईएमडी (रु. में)
01.	हुसमा मुनव्वर पुत्री मुनव्वर अली खाता सं. 183400NG00001804	निसान डस्टन गो आरसी नं. UK07BG5799 चेसिस नं. MDHZBAAD0E6009993 इंजन नं. 748414A निर्माण का वर्ष 2014	4.66	नजीबाबाद केडीआर 8171801195	0.87	0.09
02.	तहाजुद्दीन पुत्र श्री बन्दू खान खाता सं. 080500NG00000783	महेन्द्रा जाईलो डी2 आरसी नं. UP20AJ7760 चेसिस नं. 18318 इंजन नं. 85825 निर्माण का वर्ष 2014	6.73	नूरपुर 07033592066	3.15	0.32
03.	अब्दुल कादिर पुत्र मोह. याकूल खाता सं. 392800JT00000035	टाटा मोटर ऐस जिप CX/2015/ खुली बॉडी आरसी नं. UP21 BN 2890 इंजन नं. G600WIIIS5J8467129 निर्माण का वर्ष 2015	2.35	लाजपत नगर मुरादाबाद 8171997869	1.12	0.11
04.	खूब सिंह पुत्र कल्लू सिंह खाता सं. 224200AU00001825	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा LTD/275DI/2010/ट्रैक्टर बॉडी आरसी नं. UP20W0727 इंजन नं. RCS10203 निर्माण का वर्ष 2010	2.15	जलालाबाद 9889085632	1.2	0.12
05.	मुर्स्रत जहां पत्नी शुजात अली खाता सं. 732700NG00000521	महेन्द्रा एक्सयूवी 500 FWD आरसी नं. UK04 S0961 इंजन नं. HJE4G12019 निर्माण का वर्ष 2014	9.16	शाहबाद 9808251779	3.28	0.33
06.	शान मोहम्मद पुत्र ए. एज़ीम खाता सं. 177500JT00000202	टाटा मोटर लि. / सुपर ऐस/2019 आरसी नं. UP23T5420 इंजन नं. 2493 निर्माण का वर्ष 2016	6.26	गजरौला आई.ए. 8171589938	2.91	0.29
07.	मगन पुत्र साहन खाता सं. 294400JK00000024	जेएसए 1360 DII, थ्री व्हीलर आरसी नं. UP20T6093 इंजन नं. 8265753 निर्माण का वर्ष 2014	2.43	फीना 8449745591	0.75	0.08

नीलामी की तिथि व समय : 31.12.2019 को प्रातः 11.00 बजे
विक्रय की नियम व शर्तें : 1. प्राप्त मुहरबंद लिफाफे 'वाहन की खरीद के लिए उद्धरण' के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए, जिसे दिनांक 31.12.2019 को प्रातः 11:00 बजे संबंधित शाखा में खोला जाएगा। 2. पंजाब नेशनल बैंक किसी भी तरह से बेचे जा रहे वाहन की फिटनेस, गुणवत्ता या उपयोगिता की वारंटी नहीं करता है। वाहन की नीलामी 'जैसा है जहां है' एवं 'जो है जैसी है' के आधार पर किया जा रहा है। 3. शाखा प्रमुख की पूर्व अनुमति से 20.12.2019 से 30.12.2019 तक समय सुबह 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस पर अपने स्वयं के खर्च पर इच्छुक खरीददार वाहन का निरीक्षण कर सकते है। 4. उच्चतम बोली वाले सफल बोलीदाता को 'जैसा है जहां है' एवं 'जो है जैसी है' के आधार पर उसी स्थान से वाहन डिलीवरी लेनी होगी। आरक्षित मूल्य से नीचे पेशकश की गई बोली को विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा। 5. सभी वाहन के लिए केवल रुपये 5000/– के गुणांकों में बोली सुधार किया जा सकता है। 6. सफल बोलीदाताओं को 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित जो पूर्व में जमा है) बोली गई राशि नगद/डिमांड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS/ट्रांसफर खाता संख्या 4070002500000039 IFSC CODE PUNB0407000, शाखा कांठ रोड, मुरादाबाद पर दिनांक 01.01.2020 को (सायं 04.00 बजे तक) जमा करायें। शेष राशि (75%) को उसी दिन अथवा 08.01.2020 से पहले /NEFT/RTGS/ट्रांसफर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराएं। 7. स्वामित्व के हस्तांतरण की लागत और वैधानिक देय/राशि, शुल्क यदि कोई हो तो बोलीदाता द्वारा वहन किया जाना है लागू जीएसटी को सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाना है। 8. पंजाब नेशनल बैंक उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कारण बताए बिना किसी भी समय अपने विवेक से उपरोक्त वाहन की नीलामी बिक्री को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 9. इस सार्वजनिक सूचना को उपरोक्त ऋण खातों के उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकों के लिए सूचना के रूप में माना जाएगा। उन्हें नियत तारीख पर या उससे पहले बैंक का बकाया चुकाने की सलाह दी जाती है, जिसमें विफल होने पर वाहन को नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा और शेष राशि यदि कोई हो तो ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ उनसे वसूल किया जायेगा।
दिनांक: 19.12.2019 स्थानः मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी/पंजाब नेशनल बैंक

www.readwhere.com

दो आइपीएस अधिकारियों सहित छह के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी मांगी

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

सीबीआइ ने दो आइपीएस अधिकारियों सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। इन लोगों पर यह मुकदमा आइ-मोनेटरी एडवाइजरी (आइएमए) और उसके सहयोगी प्रतिष्ठानों द्वारा निवेश के इस्लामिक तरीकों से आम लोगों को ऊंचा लाभ दिलाने का वादा कर करोड़ों की पोंजी स्कीम के जरिए चूना लगाने के सिलसिले में चलाया जाएगा।

सीबीआइ ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर 1998 बैच के आइपीएस हेमंत निंबाल्कर और 2008 बैच के आइपीएस अजय हिलोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। सीबीआइ ने इससे पहले दोनों अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की थी। उस दौरान निंबाल्कर आर्थिक अपराध शाखा में महानिरीक्षक थे जबकि हिलोरी बेंगलुरु पूर्व के पुलिस उपायुक्त थे।इन दोनों के अलावा सीबीआइ ने पुलिस सीआइडी के तत्कालीन उपायुक्त ईबी श्रीधर, कॉमर्शियल स्ट्रीट थाने के इंस्पेक्टर और प्रभारी एम रमेश और एसआई पी गौरीशंकर, उत्तरी बंगलुरु के तत्कालीन सहायक आयुक्त एलसी नागराजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी अनुमति मांगी है। सीबीआइ इस सिलसिले में निदेशकों, सीए, बिचौलियों और कंपनी सहित 22 आरोपियों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है।

गोवा सरकार 2022 तक राज्य को कचरा मुक्त बनाएगी

पणजी, 19 दिसंबर। गोवा के अपशिष्ट प्रबंधन मंत्री माइकल लोबो ने गुरुवार को कहा कि सरकार राज्य को 2022 तक कचरा मुक्त बनाएगी। लोबो ने यहां मापुसा शहर में गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कचरे का निपटान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार गोवा को 2022 तक कचरा मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत प्रभावी तरीके से कचरे को इकट्ठा कर उसका निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। **(भाषा)**

पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल प्रायोगिक परीक्षण

बालासोर, 19 दिसंबर (भाषा)।

भारत के स्वदेश निर्मित पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का गुरुवार को ओड़ीशा के तट से सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया गया, जिससे सेना की युद्धक क्षमता में इजाफा होगा। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मल्टी बैरल रॉकेट लांच प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है जिसका प्रक्षेपण गुरुवार दोपहर यहां पास के चांदीपुर में प्रूफ एवं प्रयोगात्मक स्थापना टेस्ट रेंज से किया गया।

डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि इस शस्त्र प्रणाली को टेट्रा ट्रक पर रखा गया था जो अत्याधुनिक गाइडेंस किट से लैस है जिसमें उन्नत नौवहन और नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं। इससे पहले मार्च में पिनाक गाइडेड प्रणाली का राजस्थान में पोकरण टेस्ट रेंज से तीन बार सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। स्वदेश निर्मित गाइडेड पिनाक प्रणाली से सटीक निशाने के लिए सेना की युद्धक क्षमता में बहुत इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि दिन में परीक्षण के दौरान शस्त्र प्रणाली ने सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षण के दौरान मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हुए। परिष्कृत प्रणाली में मार्क-के की अधिकतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर है जबकि मार्क-केके के लिए 75 किलोमीटर है और यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है।

सीके लाइफस्टाइल एलएलपी
एलपी-आईएन : एएएफ-3616
पंजी. कार्यालय : एच-1, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065
प्रपत्र सं. यूआरसी-2

परिच्छेद XXI के भाग 1 के अधीन पंजीकरण के बारे में सूचना संबंधी विज्ञापन
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेन्टर, कार्पोरेट मंत्रालय के समक्ष एक आवेदन आज की तिथि से 15 दिन पश्चात किन्तु 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है कि **सीके लाइफस्टाइल एलएलपी**, एक एलएलपी, का पंजीकरण कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अनुमोदितानुसार **सीके लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड** कम्पनी अधिनियम, 2013 के परिच्छेद XXI के भाग 1 के अधीन एक शेयरों द्वारा लिमिटेड कम्पनी के नाम में किया जाए।
2. कम्पनी के प्रधान उद्देश्य निम्नानुसार हैं : मॉड्युलर किचेन की बिक्री, आपूर्ति और फिक्सिंग तथा सभी प्रकार की सम्पत्तियों के साथ संबंधित अन्य सभी प्रकार के इंटीरियर कार्य।
3. प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों की प्रति कम्पनी के एच-1, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन के विषय में आपत्तिधारक कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति की सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार को सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेन्टर (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8 सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 050 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिन के भीतर दे सकता है, जिसकी एक प्रति फर्म को इसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18-12-2019

वास्ते सीके लाइफस्टाइल एलएलपी
हस्ता./- चांदनी नाथ, नामित पार्टनर (डीआईएन : 00594703) आवेदक
हस्ता./- करण इसरानी, नामित पार्टनर (डीआईएन : 03459609) आवेदक

ANUGRAH NARAYAN SINGH COLLEGE BARH (PATNA) - 803213
(A Constituent Unit of Patliputra University, Patna)
Tel: 06132-243053, Website: www.anscollege.org, e-mail : principalanscbarh@yahoo.co.in

INVITING SHORT TENDER NOTICE

Invited Sealed Short Tenders from the eligible Constractors of appropriate class of the Magadh University for the work listed under.

Sl. No.	Name of Work	Completion Time	Amount of Bank Receipt for cost of tender Documents	Amount of Earnest Money 2% for issue of tender form
1.	Repairing, Painting & Renovation, Preparation of play grounds etc work several buildings BOQ No.: (1 to 19) Different Building Work.	30 Days	₹5,000.00	2% Tender Amount

Time Schedule: (a) Last date for purchase of tender documents from Accounts Section of the college on all working days during office hours 2 PM-**23.12.2019.** (b) Submission of tender upto 5 PM by Registered Post only-**03.01.2020.** (c) Opening of tender by Committee of the College and all related contractors may be present at this time-**04.01.2020.** **Conditions of Contract:** (1) Tender is open only to the eligible and experienced Contractors/Firms of Appropriate Class I,II, Registered with Magadh University. (2) The intending tenders/contractors should apply in writing for issue of tender documents, the application would invariably be signed by the contractor himself/herself the tender. (3) Undersigned has every right to cancel the tender without assigning any reason.

Principal A.N.S. College, Barh (Patna)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
खुरेजी खास शाखा, नई दिल्ली

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा, खुरेजी खास, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स राज फैब्रिक्स इसके प्रोप. श्री राज कुमार पुत्र श्री गंगा राम और कानूनी उत्तराधिकारी गारंटर सह बंधककर्ता राज कुमार पुत्र श्री गंगाराम, श्रीमती वीणा रानी पत्नी श्री राज कुमार और गारंटर श्रीमती वीणा रानी पत्नी श्री राजकुमार को मांग सूचना दिनांक 07.01.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 62,94,317/- (रु. बासठ लाख चौरान्वे हजार तीन सौ सत्रह मात्र) दिनांक 07.01.2019 तक और दिनांक 08.01.2019 से ब्याज और आकस्मिक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने से असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **17.12.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, खुरेजी खास, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते रू 62,94,317/- (रु. बासठ लाख चौरान्वे हजार तीन सौ सत्रह मात्र) दिनांक 07.01.2019 तक और दिनांक 08.01.2019 से ब्याज और आकस्मिक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 58ए, खसरा नं. 188, 189 और 190, किला नं. 85/467, किला नं. 10/19, 40, 44, 43/4, सिलवर पार्क, गाँव खुरेजी खास, दिल्ली-110031 में स्थित, क्षेत्रफल 55.18 वर्ग मी., चौहद्दी : पश्चिम में - प्लॉट नं. 20फीट रोड, पूरब में - अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में - चौड़ी गली नं. 10, उत्तर में - अन्य की सम्पत्ति

दिनांक : 17.12.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
शाखाः राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, डीएमआर-I
ईमेलः pusaro@bankofbaroda.com

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1))

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.09.2019 जारी कर श्री मधुमान सिंह (ऋणधारक) श्रीमती जसविन्दर कौर (गारन्टर), दोनो निवासीः जी-603, साई बाबा अपार्टमेन्ट, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली तथा श्री कुलविन्दर सिंह (गान्टर), निवासीः मकान सं. 6, मुहल्ला फिरनई रोड, सुनामी संगरुर, पंजाब को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना तिथि 21.09.2019 में वर्णित राशि 21.09.2019 को रु. 5,46,532.17 (रुपये पांच लाख छियालिस हजार पांच सौ बत्तीस एवं पैसे सत्तरह मात्र) तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गान्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 18 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अन्य लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ 21.09.2019 को रु. 5,46,532.17 (रुपये पांच लाख छियालिस हजार पांच सौ बत्तीस एवं पैसे सत्तरह मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, पूसा रोड शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती जसविन्दर कौर के नाम में गली नं. 6, बेडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित व्यवसायिक सम्पत्ति, म्यूनिसिपल नं. 2556 (नया), वार्ड नं. XVI, खसरा नं. 277, 278 एवं 279, भूमि क्षेत्रफल माप 37.00 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग एवं हिस्सा।
उत्तर : गली, दक्षिण : गली
पूर्वः अन्य सम्पत्ति (खसरा नं. 903), पश्चिमः सम्पत्ति सं. XVI/2557 (खसरा नं. 901)

तिथिः 18.12.2019, स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) (A govt. of India Undertaking)
आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली - 110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर सह रिवर्स नीलामी के माध्यम से)

कॉनकोर ने "आईसीडी/ओखला, नई दिल्ली में एनएमई यार्ड में सड़क के निर्माण" के काम के लिए दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन ओपन ई-निविदा द्वारा आमंत्रित किया है। बोली दस्तावेज ऑनलाइन द्वारा ₹ 1000/- के भुगतान पर ही वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा सं.	कॉन/उ.क्षे./अभि./ओखला/रोड/2018
अनुमानित लागत	₹ 123.62 लाख (सभी सहित)
अनुबंध की अवधि	स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख के बाद 15वें दिन से 06 महीने तक
धरोहर जमा राशि	₹ 2,11,810/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज का मूल्य	₹1,000/- सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	₹ 5,310/-सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई-भुगतान के माध्यम से (अप्रतिदेय)
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	20.12.2019 को, 11:00 बजे से 09.01.2020 को 17:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि और समय	10.01.2020 को 15:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय	13.01.2020 को 15:30 बजे

योग्यता अर्हतायें तथा अन्य मापदंडों हेतु कृपया **www.concorindia.com** या **eprocure.gov.in** अथवा **www.tenderwizard.com/CCIL** पर लॉग-ऑन करें। निविदा दाताओं से वेबसाइट नियमित रूप से देखने का अनुरोध है। कॉनकोर बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

समूह महाप्रबंधक/टैक/उत्तरी क्षेत्र

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]
हाई विंग्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**हाई विंग्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	19.04.2019
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का	U62200DL2019 PTC348843
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बी 304, रणजीत विहार-2, प्लॉट नं. 16, सेक्टर 23, द्वारका, दिल्ली, पश्चिम दिल्ली-110075 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	16.12.2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	विजय कुमार शर्मा, पताः ए-52, निम्न भू तल, निर्माण विहार, दिल्ली-110092, आईबीबीआई पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00035/2016-17/10074, vijay@vsassociate.com, 9910792221
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	16.1.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है मै. हाई विंग्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड ने 16 दिसम्बर, 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।
एतद्द्वारा मै. हाई विंग्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 16 जनवरी 2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्टेकधारक व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 18.12.2019
स्थानः दिल्ली
हस्ता./- **विजय कुमार शर्मा**, **हाई विंग्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में परिसमापक**, **IBBI/IPA-002/IP-N00035/2016-17/10074**

फार्म नं. आइएनसी-25ए
सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 और कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14 के विषय में
और
तपस्या प्रोजैक्ट्स लिमिटेड (CIN: U45102UP2001PLC025860) जिसका पंजीकृत कार्यालय 120/500(10) लाजपत नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208005 के विषय में ....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करने की इच्छुक है तथा इस बदलाव को लागू करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 09 **दिसंबर, 2019** को **आयोजित असाधारण सामान्य बैठक** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को प्राईवेट लिमिटेड में बदलने की इच्छुक है।
कंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली**-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजें या डिलीवर करें और इसकी प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 120/500(10) लाजपत नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208005 पर भेजें।

हिते एवं कृते आवेदक **तपस्या प्रोजैक्ट्स लिमिटेड**, हस्ता./- **प्रवीण कुमार अरोड़ा**, निदेशक
दिनांकः 18.12.2019, स्थानः कानपुर, **(DIN: 00162283)**

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन,
मैसर्स थ्री सी यूनिवर्सल डेवेलपमेंट प्रा.लि. के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**थ्री सी यूनिवर्सल डेवेलपमेंट प्रा.लि.**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02.03.2007
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45200DL2007PTC160055
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव पार्ट-1, नई दिल्ली-110048
6.	कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	17.12.2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	14.06.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम, और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : राकेश कुमार गुप्ता, रजिस्ट्रेशन नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00833/2017-18/11418
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु बोर्ड में पंजीकृत पता और ई-मेल	राकेश कुमार गुप्ता, पताः पार्म एंड एसएमआरएन, 701, विक्रांत टॉवर 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, ई-मेलः rkg.delhi.ca@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु पता और ई-मेल	राकेश कुमार गुप्ता, पताः पार्म एंड एसोसिएट एलएलपी, 701, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, ई-मेलः cirp.3cuniversal@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**31.12.2019**
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	रियल एस्टेट निवेशक
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. सुश्री माया गुप्ता (IBBI/IPA-002/IP-N00363/2017-18/11061) पताः 3685/7, नारंग कॉलोनी, त्री नगर, नई दिल्ली-110035, ई-मेलः fcsmayagupta@gmail.com 2. श्री पवन कुमार गोयल (IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-2018/11473, पताः पी.के. गोयल एंड एसोसिएटस, 304, डी.आर. चैम्बर, 12/56, डी.बी. रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005, ई-मेल : ca.pawangoyal@gmail.com 3. श्री संयम गोयल (IBBI/IPA-002/IP-N00138/2017-18/10397) पताः यूनिट नं. 110, प्रथम तल, जेएमडी, पेसिफिक स्क्वायर, सेक्टर 15, पार्ट 2, गुरूग्राम-122001
14.	संबंधित प्रपत्र और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है :	प्रपत्र निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध हैः www.ibbi.gov.in/downloadformhtml एआर का विवरण उल्लेखित पते पर उपलब्ध है उपरोक्त आइटम नंबर 9 के तहत।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने **दिनांक 17.12.2019** को **मैसर्स थ्री सी यूनिवर्सल डेवेलोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सी.पी. नं. IB-2582/ND/2019**, के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
मैसर्स थ्री सी यूनिवर्सल डेवेलोपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **31.12.2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते तथा ई-मेल पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

तिथि : 19.12.2019, स्थान : नई दिल्ली
राकेश कुमार गुप्ता, **अंतरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल**, रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00833/2017-18/11418

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
महेंद्रगढ़ (हरियाणा) - 123031

जनशक्ति और सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ में जनशक्ति और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.01.2020 को अपराह्न 02:30 बजे तक है। इस संबंध में कोई भी परिशिष्ट/निरस्तीकरण/शुद्धिपत्र/सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

सहायक कुलसचिव (संपदा और सामान्य अनुभाग)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

निविदा आमंत्रण सूचना
निविदा संख्या : AAI/RHQ/NR/CNS/UPS/2019

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से महा प्रबन्धक (सीएनएस-एनआर) द्वारा **"उत्तरी क्षेत्र विमानपत्तनों/स्टेशन पर कन्वेंशनल ऑनलाइन यूपीएस के एसआईटीसी"** के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी आनुमानित लागत **₹32,84,980/-** ई-निविदा बोली आमंत्रण संख्याः **2019_AAI_32873_1** है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **02.01.2020** है। अन्य विवरणों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें **https://etenders.gov.in/eprocure/app**

संयुक्त महाप्रबंधक (सीएनएस) उत्तरी क्षेत्र

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK
विश्वास की परंपरा — A tradition of trust
प्रधान कार्यालय : प्रथम तल, 14 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700001
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय

निविदा सूचना

आरएफपी संदर्भ संख्या प्रका/डीआईटी/एचएसएम/2019-20/148 दिनांक: 18.12.2019
इलाहाबाद बैंक पात्र बोली लगानेवालों से "सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सहित नेटवर्क हार्डवेयर सिक्यूरिटी मॉड्यूल (नेटवर्क एचएसएम) की खरीद" के लिए बोलियाँ आमंत्रित करता है।
अतिरिक्त विवरण हेतु कृपया बैंक की अधिकारिक वेबसाइट **www.allahabadbank.in** एवं ई-टेंडर वेबसाइट **www.tenderwizard.com/abbank** देखें।
इस आरएफपी से संबंधित परिशिष्ट, यदि कोई हो, के लिए कृपया ऊपर उल्लिखित वेबसाइट देखें।

मुख्य प्रबंधक (सूप्रौ)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
वृहत कॉर्पोरेट शाखा, यू एंड आई बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, सेक्टर 29, गुड़गांव-122002
टेलीः (0124) 4908531-9 फैक्सः 4908550-51, ईमेलः bo4615@pnb.co.in
ऋणधारक/गारन्टर (रों) के लिये कारण बताओ सूचना
पंजीकृत डाक/स्पीड डाक — अक्टू. 09, 2019

सेवा में, मै. रिद्धि सिद्धि एण्टरप्राईजेज (ऋणधारक) पंजीकृत कार्यालयः एच. नं. 1705 पी, सेक.10 ए, गुड़गांव, हरियाणा-122018 मोबाईल नं.: 9310070043	सेवा में, श्रीमती सुमन यादव, मै. रिद्धि सिद्धि एण्टरप्राईजेज के प्रॉपराइटर, एच. नं. 1705 पी, सेक.10 ए, गुड़गांव, हरियाणा-122018 मोबाईल नं.: 9310070043
सेवा में, श्री समय सिंह पुत्र श्री धरम पाल सिंह, प्रॉपराइटर- केशव स्टोन क्रशिंग क., गारन्टर- मै. रिद्धि सिद्धि एण्टरप्राईजेज एच. नं. 1705 पी, सेक.10 ए, गुड़गांव, हरियाणा-122018 मोबाईल नं.: 9310070043	सेवा में, मै. केशव स्टोन क्रशिंग क. (गारन्टर) मुस्तिल नं. 23, किल्ला नं. 20, ग्राम गंगुटना, तह. नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा-123023 मोबाईल नं.: 9310070043

प्रिय महोदय/महोदया,
विषयः बैंक में मै. रिद्धि सिद्ध एण्टरप्राईज की ऋण खाता में "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में डिफॉल्ट की पहचान-तदनुसार, "विलफुल डिफॉल्टर्स" के रूप में आपके नाम का उदघाटन तथा प्रकाशन कृपया, हमारी सूचना तिथि 26.06.2019 देखें जिसके माध्यम से हमने ऋण खाता विलफुल डिफॉल्ट की घटना(ओं) का उल्लेख किया था। इस मामले में हम आपको सूचित करते हैं कि मुझे आपकी ओर से विलफुल डिफॉल्ट की घटना(ओं) पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मामले के तथ्यों को विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति के समक्ष रखा गया जिसने मामले के तथ्यों, अभिलेख पर साक्ष्य तथा आपके द्वारा की गई प्रतिनिधित्व के अध्ययन के उपरान्त यह पाया है कि आपके द्वारा इस मामले में जानबूझकर डिफॉल्ट की गई है। तदनुसार, बैंक द्वारा स्थापित "विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति" ने अन्य बातों के अलावे निम्न कारणों से आप (ऋणधारक) एवं निदेशकों/ पार्टनरों/ आदि को **"विलफुल डिफॉल्टर"** के रूप में वर्गीकृत करने के लिये विलफुल के रूप में डिफॉल्ट की पहचान की है।
1. **निधियों का डायवर्जनः**
2. **निधियों का साइफनिंगः**
यदि "विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति" के निष्कर्ष से आप स्वयं को आहत महसूस कर रहे हों तो यदि आप चाहें, "विलफुल डिफॉल्टर्स पर समिति" के पास अपना स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं तथा यह कारण बता सकते हैं कि क्यों न आपको "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत किया जाय। आपका स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाना चाहिये तथा उसे ऊपर वर्णित शाखा के डाक के पते अथवा उप महा प्रबंधक एसएएसटीआरए प्रभाग, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, द्वारका, सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075 के पास भेजा जा सकता है।
यदि हमें आपका स्पष्टीकरण/प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपनी प्रतिरक्षा में ("विलफुल डिफॉल्टर्स" पर समिति के निष्कर्ष के विरुद्ध) कुछ नहीं कहना है तथा बैंक जो भी उपयुक्त समझे अपनी सम्प्रभु स्वेच्छा से उस प्रक्रिया तथा उस माध्यम से भा.रि.बैं./ सीआईबीआईएल/ अन्य साख सूचना कम्पनियों के लिये आपकी कम्पनी/ फर्म/ यूनिट तथा आपके निदेशक/कों/ पार्टनर/रों/ प्रॉपराइटर का नाम "विलफुल डिफॉल्टर्स" के रूप में प्रकाशित करेगा।

आपका विश्वासभाजन, पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य प्रबंधक

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
अधिशासी अभियंता (परियोजना) सिविल लाइंस क्षेत्र का कार्यालय
सिंघोरा कलां, शक्ति नगर, नई दिल्ली-110052, फोन: 011-23654558
सं.: ई.ई. परि./टीसी/सीएलजेड/2019-20/09 — दिनांक: 18.12.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र.सं	उत्तरी दिल्ली नगर निगम चरण	प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि
1.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध	23.12.2019	17:30 बजे से
2.	निविदा दस्तावेज जारी करना	23.12.2019	17:31 बजे से
3.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध	01.01.2020	17:00 बजे तक
4.	निविदा दस्तावेज जारी करना	01.01.2020	17:30 बजे तक
5.	निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	03.01.2020	14:00 बजे
6.	लागत खोलने की तिथि एवं समय	03.01.2020	14:15 बजे

आयुक्त, उत्तरी दि.न.नि. की ओर से अधिशासी अभियंता (परि.)/सीएलजेड निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु (सामान्य विंग) के साथ पंजीकृत तथा अनुमोदित एवं पात्र ठेकेदारों से और क्रम सं. 4 हेतु विद्यालय भवन के पुनर्वास कार्य के निष्पादन हेतु विशेषज्ञ एजेंसियों (खुली श्रेणी भी) से वेबसाइट **http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** पर केवल ऑनलाइन मुहरबंद मद दर/प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित करता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	लेखा शीर्ष	निविदा राशि	धरोहर राशि
1.	सी-281/सीएलजेड में आरबीआईपीएमटी अस्पताल में प्रशासनिक सह अकादमिक ब्लॉक का निर्माण। उपशीर्षः चारदीवारी, गार्ड रूम का निर्माण तथा अन्य विविध कार्य। **एफटीसी सं.:** 19/43/XL-IX-A-V/PC-354	XL-IX-A-V	रु.75,68,403/-	रु.1,51,400/-
2.	वार्ड नं. 23एन/सीएलजेड में दुख भंजन मंदिर गली, बादली को यादवपुर में डेंस कार्पेटिंग उपलब्ध कराकर सड़कों का निर्माण/सुधार। उपशीर्षः नाले का निर्माण। **एफटीसी सं.:** 19/66/XL-VIII-S(d)/PC-066	XL-VIII-S(d)	रु.59,24,882/-	रु.1,18,500/-
3.	वार्ड नं. 23एन/सीएलजेड में बादली में यादवपुर के गली नं. 1 एवं 2 में आरएमसी उपलब्ध कराकर सड़कों तथा नालों का निर्माण/सुधार। **एफटीसी सं.:** 19/66/XL-VIII-S(d)/PC-066	XL-VIII-S(d)	रु.1,36,18,746/-	रु.2,72,400/-
4.	सी-8एन/सीएलजेड में एम.सी. प्राथमिक विद्यालय जगतपुर में रेट्रो-फिटिंग द्वारा बाहरी स्तम्भों का नवीनीकरण/मजबूतीकरण, छज्जों का निर्माण तथा छत चबूतरा का सुधार। **एफटीसी सं.:** 19/24/XL-VII-Edu./PC-201	XL-VII-Edu.	पार्ट 'ए' रु.18,89,809/- पार्ट 'बी' - मद दर	रु.95,000/-

मद सं. 1 से 3 के लिए निविदा मूल्य रु. 1000/- एवं मद सं. 4 के लिए रु. 500/- है। मद सं. 1, 2 एवं 4 के लिए समापन अवधि 6 महीने है तथा मद सं. 3 के लिए 9 महीने है। सभी मदों के लिए दरों की वैधता छह महीने है।

आर.ओ सं. 192/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 — अधिशासी अभियंता (परि) सीएलजेड

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
जहां सेवा ही जीवन - ध्येय है
आंचलिक कार्यालय दिल्ली-II

प्रिय ग्राहक,
RBI निर्देशानुसार जिन ग्राहकों की आवधिक **KYC** देय है उनसे अनुरोध है कि वे अपने **KYC/PAN/Form 60/61** को मूल शाखा में अपडेट करवाए अन्यथा आपके खाते का लेन-देन बंद कर दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा से संपर्क करें।

ZONAL MANAGER

इण्डियन ओवरसीज बैंक
वनस्थली शाखा, (पंकज प्लाजा कॉर्नर, प्रिंस अपार्टमेंट के पास) आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज दिल्ली-110092 फोन : 011-22235872, 22235906, ईमेलः iob1534@iob.in

बिक्री सूचना
अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) के परंतुक के तहत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परन्तुक 8 (6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना।
एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को सूचना दी जाती है कि **इण्डियन ओवरसीज बैंक** के पास बंधक रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका कब्जा इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे उल्लिखित विवरण को **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम / गारंटरों का नाम	इण्डियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो	कब्जा का प्रकार	सुरक्षित मूल्य / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	संपर्क व्यक्ति और मोबाइल नं.
1.	मैसर्स टैक्सस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड / श्री सत्येन शर्मा, श्री पुनीत सिंह राणा, श्री विजेन्द्र सिंह, श्रीमती प्रज्ञा, श्रीमती मोनिका शर्मा	30-11-2019 तक बकाया रू 12,50,59,192.18 (रुपए बारह करोड़ पचास लाख उनसठ हजार एक सौ ब्यानबे और अठारह पैसा मात्र) प्लस 30-11-2019 तक बकाया रू 30,88,329.00 (तीस लाख अट्ठासी हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) (एलजी) अनुबंध दरों और ब्याज, शुल्क आदि पर आगे ब्याज के साथ	1. **श्री सत्येन शर्मा पुत्र श्री दिलाराम शर्मा** के स्वामित्व में टावर ए "स्पेजएड्ज", सेक्टर 47, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में तीसरे तल पर कॉमर्शियल यूनिट (कार्यालय) नं -306 का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी** : **उत्तर** : ऑफिस यूनिट नं. 305, **दक्षिण** : ऑफिस यूनिट नं. 307, **पूर्व** : खुला, **पश्चिम** : 8 फीट चौड़ा कॉरीडोर	सांकेतिक	रु 138.38 लाख / रु 13.84 लाख	23.01.2020 / 22.01.2020	श्री दीपक कुमार (मो): 9891158011
			2. **श्री पुनीत सिंह राणा पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह राणा एवं श्रीमती प्रज्ञा, पत्नी श्री पुनीत एस. राणा** के स्वामित्व में टावर ए 'स्पेजएड्ज', सेक्टर 47, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में तीसरे तल पर कॉमर्शियल यूनिट (कार्यालय) न-305 का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी** : **उत्तर** : ऑफिस यूनिट नं. 304, **दक्षिण** : ऑफिस यूनिट नं. 306, **पूर्व** : खुला / नीचे आंतरिक सड़क, **पश्चिम** : 8 फीट चौड़ा कॉरीडोर	सांकेतिक	रु 138.38 लाख / रु 13.84 लाख	23.01.2020 / 22.01.2020	
			3. **श्री बिजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री बलबीर सिंह** के स्वामित्व में कॉमर्शियल सम्पत्ति शॉप नं. 15 हुडा मार्केट, सेक्टर-23-23 ए, गुड़गॉव, हरियाणा का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी** : **उत्तर** : शॉप प्लॉट नं. 14, **दक्षिण** : शॉप प्लॉट नं. 16, **पूर्व** : रोड एवं खुला, **पश्चिम** : शॉप प्लॉट नं. 12	सांकेतिक	रु 360.61 लाख / रु 36.07 लाख	23.01.2020 / 22.01.2020	
			4. **श्रीमती मोनिका शर्मा, पत्नी श्री सत्येन शर्मा** के स्वामित्व में प्लॉट नं. 263, सेक्टर-8, इंडस्ट्रियल इस्टेट, आईएमटी मानेसर, गुड़गॉव में औद्योगिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी** : **उत्तर** : प्लॉट नं. 262, **दक्षिण** : प्लॉट 264, **पूर्व** : 5 मीटर चौड़ा रोड **पश्चिम** : प्लॉट न. 260	सांकेतिक	रु 197.98 लाख / रु 19.80 लाख	23.01.2020 / 22.01.2020	
			5. **श्री विजेंदर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह** के स्वामित्व में प्लॉट न. 3, पॉकेट-6 सेक्टर 2, द्वारका, नई दिल्ली में (बेस्ट आर्केड) के नाम से विदित कॉमर्शियल बिल्डिंग में शामिल भू तल पर सम्पत्ति, कॉमर्शियल यूनिट / शॉप प्रा. नं. जी-6 एवं जी-7 का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी** : **उत्तर** : शॉप नं. जी-5, **दक्षिण** : कॉमन कॉरीडोर, **पूर्व**: कॉमन कारीडोर, **पश्चिम** : शॉप न. जी-8	सांकेतिक	रु 185.86 लाख / रु 18.59 लाख	23.01.2020 / 22.01.2020	
			6. **श्री सत्येन शर्मा, पुत्र श्री दिलाराम शर्मा** के स्वामित्व में आवासीय भूमि तथा अ-निर्मित प्लॉट न. 346, ब्लॉक-एस, उप्पल्स साउथ एंड, सेक्टर 48 एवं 49, सोहना रोड, गुड़गॉव, हरियाणा का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी** : **उत्तर** : प्लॉट नं. एस-35, **दक्षिण** : रोड पूर्व-प्लॉट न. एस-345, **पश्चिम** : प्लॉट नं. एस-347	सांकेतिक	रु 353.54 लाख / रु 35.36 लाख	23.01.2020 / 22.01.2020	
			ज्ञात नहीं				

- जहां कहीं लागू है, सुरक्षित मूल्य में आईटी ऐक्ट की धारा 194(आईए) के तहत 1 प्रतिशत कर शामिल है।
- बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः **www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction], https://auctions.magicbricks.com** देखें।
- यह सूचना उक्त ऋण के कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के तहत उपरिवर्णित तिथि को ई-नीलामी के आयोजन के बारे में एक नोटिस भी माना जाए।

स्थान : नई दिल्ली — दिनांक : 19.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

हिरासत में मौत के मामले में

आठ पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने 2014 में 25 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में गुरुवार को एक सत्र अदालत को रेलवे पुलिस के आठ अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एसएस जाधव के खंडपीठ ने निचली अदालत को आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करने) और 295ए (धार्मिक भावनाएं आहत करने) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने कहा, 'पहली नजर में यह हिरासत में हुई मौत का मामला लगता है।' वडाला रेलवे पुलिस से संबद्ध आठ आरोपियों के खिलाफ पहले आइपीसी की धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचना या किसी व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डालना) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज था।

पीठ मृतक एंजलो वल्डारिस के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज करने का अनुरोध किया था। वल्डारिस मामूली चोरी के आरोप में रेलवे पुलिस की हिरासत में था और अप्रैल 2014 में रेल की पटरियों पर मृत मिला था। अभियोजन एजंसी सीबीआइ ने पहले दलील दी थी कि ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिनके आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया जा सके।

मुंबई में प्रदर्शन से शिवसेना ने किया किनारा

गायकवाड़ ने कहा- प्रदर्शन गैरसरकारी संगठनों ने आयोजित किया

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस और राकांपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना गुरुवार को यहां नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ विभिन्न संगठनों के मोर्चे में शामिल नहीं है।

मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ से जब पूछा गया कि शिवसेना 'हम भारत के लोग' नामक मोर्चे का हिस्सा क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन गैरसरकारी संगठनों ने आयोजित किया है, उनकी पार्टी ने नहीं। गायकवाड़ ने कहा, 'नागरिक समूहों ने कांग्रेस, राकांपा और अन्य पार्टियों को प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अगर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन आयोजित किया होता तो हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा का गठबंधन) के सभी साझेदारों को आमंत्रित करते।' शिवसेना ने इससे पहले लोकसभा में विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा में इस पर मतदान के दौरान वह यह कहते हुए वॉकआउट कर गई थी कि विधेयक को लेकर पार्टी के सवालों का जवाब नहीं दिया गया।

'हम भारत के लोग' मोर्चे के सदस्य फिरोज मीटीबोरवाला ने कहा कि उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के लिए नागरिक समूहों को साथ लेकर अखिल भारतीय मंच बनाया है। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना को मंच में शामिल करने को लेकर उसके साथ संपर्क में हैं। उद्धव जी (शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री) ने आज अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के लिए हमारी मदद की है।

लोगों की समस्याओं पर अधिक बहस हो : बिरला

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 19 दिसंबर।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि सदन में जनसमस्याओं को लेकर अधिक से अधिक बहस की जानी चाहिए। बिरला ने कहा कि सदस्यों को सवाल पूछने का समय भी अधिक से अधिक देने की व्यवस्था की जाएगी। ताकि जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सदन में सार्थक बहस हो सके और शासन-प्रशासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। बिरला देहरादून में पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन के समापन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका को लेकर जो कुछ पेचिदिगियां सामने आ रही हैं, उन पर पीठासीन अधिकारियों की बैठक में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
एस-12, ग्रीन पार्क एक्स्टें., शाखा, नई दिल्ली-110016
टेली.: 011-26564471, 26963168, फैक्स:011-26568582
RTGS/IFSC: Synb0009048 ईमेल: Br.9048@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 9048/ जीपीई/ आईसी/ सरफेइस/ विकाश/एचएल/2019 रफ. नं.: 04.12.2019

1. श्री विकास कुमार सिंहदेव
(पूर्व में विकाश कुमार साहू के नाम से विदित)
ई-91, भूतल, ई-ब्लॉक, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017
2. श्री विकास सिंहदेव
(पूर्व में विकाश कुमार साहू के नाम से विदित)
एफ-1 ए, साकेत, दक्षिण दिल्ली-110017
3. श्री विकास सिंहदेव
(पूर्व में विकाश कुमार साहू के नाम से विदित)
अदिवा हॉस्पीटल्स प्राईवेट लिमिटेड
सी-1/सी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ख.न. 68, ग्राम युसुफ सराय की राजस्व सम्पदा, नई दिल्ली-110016

प्रिय महोदय/महोदया

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 11,00,000/- की कुल राशि के लिये ऋणाधारक/ की को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैं:

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार खाता नम्बर	लिमिट	विशिष्ट बकाया	एनपीए की तिथि
1.	सिर्फ वहन 90489790000195	11,00,000/-	रु. 7,99,870.10	30.11.2019
	कुल	11,00,000/-	रु. 7,99,870.10	30.11.2019

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त तिथि को आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
3. ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.12.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 7,99,870.10 (रुपए सात लाख निन्यानवे हजार आठ सौ सत्तर एवं पैसे दस मात्र) की राशि बकाया है।
4. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
5. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न सीमाएँ अधोलिखित परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत परिसम्पत्तियों) द्वारा प्रतिभूत है:
i) टू व्हीलर हार्ली डेविसन एक्सएल 1200 कस्टम, वेलोसिटी रेड संगली, चैसिस नं. MEG1CT3N3HN422595 तथा इंजिन नं. CT3H422595
6. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल है:
क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइनमेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणाधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना,
ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइनमेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप से किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई आनुषंगिक खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग भुगतान की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ प्रतिभूत लेनदार के बकाया के भुगतान में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडिटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो यह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सूचना सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उसी तरह देय ब्याज तथा लागतों के साथ उससे कम किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप से किये जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

तिथि: 4.12.2019 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान: ग्रीन पार्क, नई दिल्ली सिंडिकेट बैंक

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(This is a public announcement for information purposes only and is not an offer document and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly outside India.)

Arvind FASHIONS

ARVIND FASHIONS LIMITED

Our Company was incorporated as *'Arvind J&M Limited'* on January 5, 2016, as a public limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, at Ahmedabad, Gujarat (the **"RoC"**). Pursuant to a resolution of our Shareholders dated September 26, 2016, the name of our Company was changed to *'Arvind Fashions Limited'* and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on October 14, 2016. For details, including reasons for changes in the name and registered office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 122 of the Draft Letter of Offer dated December 17, 2019 (**"DLoF"**).

Registered Office: Main Building, Arvind Limited Premises, Naroda Road, Ahmedabad – 380 025, Gujarat, India.
Telephone: +91-79-30138000;
Corporate Office: 8th Floor, Du Parc Trinity, 17, M G Road, Bengaluru – 560 001, Karnataka, India.
Telephone: +91-80-41550650;
Contact Person: B S Vijay Kumar, Company Secretary and Compliance Officer
Email: investor.relations@arvindbrands.co.in | **Website:** www.arvindfashions.com
Corporate Identity Number: L52399GJ2016PLC085595

PROMOTERS OF OUR COMPANY

AURA SECURITIES PRIVATE LIMITED, AURA BUSINESS VENTURES LLP, SANJAYBHAI SHRENIKBHAI LALBHAI, JAYSHREEBEN SANJAYBHAI LALBHAI, PUNIT SANJAY LALBHAI, KULIN SANJAY LALBHAI, POORVA PUNIT LALBHAI, JAINA KULIN LALBHAI, ISHAAN PUNIT LALBHAI, ANANYAA KULIN LALBHAI AND RUHANI PUNIT LALBHAI

ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 4 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO ₹ 300 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY [•] FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [•] (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 288 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

This public announcement is being made pursuant to Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the **"SEBI ICDR Regulations"**), to inform the public that our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Equity Shares to eligible equity shareholders on rights basis. Pursuant to Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the Company has filed the DLoF with Securities and Exchange Board of India, Western Regional Office (**"SEBI"**), BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) (**"BSE"** and **"NSE"**, collectively, referred as **"Stock Exchanges"**) on December 18, 2019 and is open to public for comments, if any, for a period of 21 (twenty one) days from the date of such filing. The DLoF is hosted on the website of the SEBI www.sebi.gov.in, website of designated stock exchange, i.e., BSE at www.bseindia.com, website of NSE at www.nseindia.com, and website of the Lead Manager i.e. Vivro Financial Services Private Limited at www.vivro.net. We invite the public to give comments on the DLoF filed with the SEBI. The public are requested to send a copy of their comments to SEBI, the Company Secretary and Compliance Officer and/or the Lead Manager at their respective addresses on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the date of filing the DLoF with the SEBI.

Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and the Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares being offered in the Issue have not been recommended or approved by the SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DLoF. **Specific attention of the investors is invited to the statement of *"Risk Factors"* on page 21 of the DLoF before making an investment in the Issue.**

For details of the share capital and capital structure of the Company, see *"Capital Structure"* on page 54 of the DLoF. The liability of the members of the Company is limited. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 122 of the DLoF.

The existing Equity Shares are listed on the BSE and the NSE.

Note: Capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DLoF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
VIVRO **Vivro Financial Services Private Limited** Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp Suvidha Shopping Center, Paldi, Ahmedabad – 380 007, Gujarat, India. **Telephone:** +91-79-4040 4242 **Email:** afl@vivro.net | **Website:** www.vivro.net **Investor Grievance Email:** investors@vivro.net **Contact Person:** Mili Khamar / Vatsal Shah **SEBI Registration Number:** INM000010122	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India. **Telephone:** +91-22-49186200 **E-mail:** afl.rights@linkintime.co.in **Investor grievance E-mail:** afl.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Sumeet Deshpande **SEBI Registration No.:** INR000004058

For and on behalf of **ARVIND FASHIONS LIMITED**
Sd/-
Place: Bengaluru **B S Vijay Kumar**
Date: December 19, 2019 Company Secretary and Compliance Officer

***Disclaimer: Arvind Fashions Limited** is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, a rights issue of its equity shares and has filed a Draft Letter of Offer with Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**). The Draft Letter of Offer is available on the websites of SEBI and Vivro Financial Services Private Limited at www.sebi.gov.in and www.vivro.net, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Draft Letter of Offer, including the section titled "Risk Factors" on page 21 of the DLoF.*

Raka

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.
THIS IS NOT AN ADVERTISEMENT UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) REGULATIONS, 1996 AND IS NOT INTENDED TO INFLUENCE INVESTMENT DECISIONS OF ANY CURRENT OR PROSPECTIVE INVESTORS OF THE SCHEMES OF UTI MUTUAL FUND.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

uti
UTI Mutual Fund

UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

UTI Asset Management Company Limited (Our **"Company"**) was incorporated as 'UTI Asset Management Company Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated November 14, 2002 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai (the **"RoC"**). Subsequently, pursuant to a special resolution approved at the Annual General Meeting on September 18, 2007, our Company was converted to a public limited company and consequently the name of our Company was changed to 'UTI Asset Management Company Limited' and a fresh certificate of incorporation dated November 14, 2007 was issued by the RoC. For details in relation to changes in the name and the registered office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 159 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 18, 2019 (**"DRHP"**) filed with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**).

Registered and Corporate Office: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra, India. **Tel:** +91 22 6678 6666
Contact Person: Arvind Patkar, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** cs@uti.co.in; **Website:** https://www.utimf.com; **Corporate Identity Number:** U65991MH2002PLC137867

OUR COMPANY IS A PROFESSIONALLY MANAGED COMPANY AND DOES NOT HAVE AN IDENTIFIABLE PROMOTER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 38,987,081 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (OUR "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") THROUGH AN OFFER FOR SALE OF UP TO 10,459,949 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY STATE BANK OF INDIA ("SBI"), UP TO 10,459,949 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA ("LIC"), UP TO 10,459,949 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY BANK OF BARODA ("BOB"), UP TO 3,803,617 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY PUNJAB NATIONAL BANK ("PNB") AND UP TO 3,803,617 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD ("TRP" AND TOGETHER WITH SBI, LIC, BOB AND PNB, THE "SELLING SHAREHOLDERS"). THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 200,000 EQUITY SHARES (CONSTITUTING UP TO [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR PURCHASE BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WOULD CONSTITUTE AT LEAST 30.75% AND 30.59% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL, RESPECTIVELY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS (THE "BRLMS") AND WILL EITHER BE INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS OR WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER), AND THE MUMBAI EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED MARATHI NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days following such revision of the Price Band, provided that the Bid/Offer Period shall not exceed 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a public notice, and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Self Certified Syndicate Banks (the **"SCSBs"**), other Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the **"SCRR"**) read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the **"SEBI ICDR Regulations"**). This Offer is being made through the Book Building Process and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**, the **"QIB Portion"**), provided that our Company and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the **"Anchor Investor Portion"**), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. Further, 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders (**"RIBs"**) in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process, providing details of their respective bank accounts (including UPI ID in case of RIBs) in which the Bid Amount will be blocked by the SCSBs or the sponsor Bank, as the case may be, to participate in the Offer. Anchor investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see **"Offer Procedure"** beginning on page 360 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated December 18, 2019 with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) on December 19, 2019 in relation to the Offer. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com, respectively and the websites of the BRLMs i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Axis Capital Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, DSP Merrill Lynch Limited, ICICI Securities Limited, JM Financial Limited and SBI Capital Markets Limited at www.investmentbank.kotak.com, www.axiscapital.co.in, www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm, www.ml-india.com, www.icicisecurities.com, www.jmfl.com and www.sbicaps.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* beginning on page 22 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

kotak Investment Banking	AXIS CAPITAL	citi	BofA SECURITIES
Kotak Mahindra Capital Company Limited 1st Floor, 27 BKC, Plot No. 27, 'G' Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4336 0000 **E-mail:** utiamc.ipo@kotak.com **Investor Grievance E-mail:** kmccredressal@kotak.com **Contact Person:** Ganesh Rane **Website:** www.investmentbank.kotak.com **SEBI Registration Number:** INM000008704	**Axis Capital Limited** 1st Floor, Axis House, C-2, Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4325 2183 **E-mail:** utiamc.ipo@axiscap.in **Investor Grievance E-mail:** complaints@axiscap.in **Contact Person:** Mayuri Arya **Website:** www.axiscapital.co.in **SEBI Registration Number:** INM000012029	**Citigroup Global Markets India Private Limited** 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, C54 & 55, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 098 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6175 9999 **E-mail:** uti.ipo@citi.com **Investor Grievance E-mail:** investors.cgmib@citi.com **Contact Person:** Archit Khemka **Website:** www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm **SEBI Registration Number:** INM000010718	**DSP Merrill Lynch Limited** Ground Floor, "A" Wing, One BKC, "G" Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6632 8000 **E-mail:** dg.utiamc_ipo@bofa.com **Investor Grievance E-mail:** dg.india_merchantbanking@bofa.com **Contact Person:** Ahmed Kotsawala **Website:** www.ml-india.com **SEBI Registration Number:** INM000011625

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
ICICI Securities	JM FINANCIAL	SBI Capital Markets Limited	KFINTECH
ICICI Securities Limited ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate Mumbai 400 020, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2288 2460 **E-mail:** UTIAMC.ipo@icicisecurities.com **Investor Grievance E-mail:** customercare@icicisecurities.com **Contact Person:** Sameer Purohit / Anurag Byas **Website:** www.icicisecurities.com **SEBI Registration Number:** INM000011179	**JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6630 3030 **E-mail:** UTIAMC.IPO@jmfl.com **Investor Grievance E-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **Website:** www.jmfl.com **SEBI Registration Number:** INM000010361	**SBI Capital Markets Limited*** 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2217 8300 **E-mail:** uti.ipo@sbicaps.com **Investor Grievance E-mail:** investor.relations@sbicaps.com **Website:** www.sbicaps.com **Contact Person:** Janardhan Wagle / Karan Savardekar **SEBI Registration Number:** INM000003531	**KFin Technologies Private Limited** (formerly known as "Karvy Fintech Private Limited") Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad 500 032, Telangana, India **Tel:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** utiamc.ipo@kfintech.com **Investor Grievance E-mail:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** M Murali Krishna **SEBI Registration Number:** INR000000221

SBI is proposing to participate as a Selling Shareholder in the Offer for Sale. SBI Capital Markets Limited ("SBICAP"**) has signed the due diligence certificate and has been disclosed as a BRLM for the Offer. SBI and SBICAP are associates in terms of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, as amended (**"SEBI Merchant Bankers Regulations"**). Accordingly, in compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Bankers Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, SBICAP would be involved only in the marketing of the Offer.*

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Place: Mumbai
Date: December 19, 2019
Company Secretary and Compliance Officer

UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on December 19, 2019. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs at Kotak Mahindra Capital Company Limited, Axis Capital Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, DSP Merrill Lynch Limited, ICICI Securities Limited, JM Financial Limited and SBI Capital Markets Limited at www.investmentbank.kotak.com, www.axiscapital.co.in, www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm, www.ml-india.com, www.icicisecurities.com, www.jmfl.com and www.sbicaps.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled *"Risk Factors"* on page 22 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP for making any investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration. There will be no public offering of securities to be issued pursuant to the Offer in the United States. The Equity Shares offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**) or any other applicable law of the United States, and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act (**"Regulation S"**)) (**"U.S. Persons"**) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable United States state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only (a) to persons in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, in each case that are both "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act (**"Rule 144A"**)) and "qualified purchasers" (as defined under the U.S. Investment Company Act) in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act in reliance on Rule 144A and of the U.S. Investment Company Act in reliance on Section 3(c)(7) of the U.S. Investment Company Act; and (b) outside the United States to investors that are not U.S. Persons nor persons acquiring for the account or benefit of U.S. Persons in "offshore transactions" (as defined in Regulation S) in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

AdFactors 381

खबर कोना

मुंबई में गुरुवार को अपनी पुस्तक 'माइंड मास्टर: विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ' के लोकार्पण के दौरान विश्वनाथन आनंद।

आनंद ने कहा, मेरे लिए 2019 निराशाजनक रहा

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय शतरंज दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने गुरुवार को माना कि नतीजों के हिसाब से उनके लिए साल 2019 बेहद ही खराब रहा। पांच बार के इस विश्व चैंपियन के लिए 2019 में अच्छे नतीजे नहीं हैं। वह 81वें टाटा स्टील मास्टर्स में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अजरबैजान के शमकिर में खेले गए गाशिमोव स्मारक शतरंज टूर्नामेंट में भी इसी पायदान पर हैं। आनंद ने कहा कि केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन के मामले में ही नहीं बल्कि देश के दृष्टिकोण से भी 2019 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं रहा। आनंद ने यहां कहा कि शतरंज के दृष्टिकोण से बात करूं तो 2019 मेरे लिए और शायद भारत के लिए भी निराशाजनक रहा। हमारे पास शानदार खिलाड़ी होते हुए भी कोई भी कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका। निजी तौर पर मुझे लगता है कि आखिरी क्षणों में मैंने लचर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कई टूर्नामेंटों में आधे सफर तक मैं अच्छी स्थिति में था लेकिन उसके बाद मैंने बार-बार एक ही तरह की गलती दोहराई।

फीफा रैंकिंग में 108वें नंबर पर भारत

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा की गुरुवार को जारी साल की आखिरी रैंकिंग में 108वें नंबर पर बनी हुई है। भारतीय टीम हालांकि पूरे वर्ष भर में 11 पायदान नीचे खिसकी। भारत के 1187 अंक हैं और वह एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। जापान इस सूची में शीर्ष पर है लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में वह 28वें स्थान पर है। पिछले साल दिसंबर में फीफा रैंकिंग में भारत 97वें स्थान पर था। इस साल टीम की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 101 थी जो उसने अप्रैल और जून में हासिल की थी। एशियाई रैंकिंग में जापान के बाद ईरान (33), कोरिया (40), आस्ट्रेलिया (42) और महाद्वीपीय चैंपियन कतर (55) का नंबर आता है। विश्व कप 2018 का उप विजेता बेल्जियम लगातार दूसरे साल के आखिर में शीर्ष पर रहा। उसकी टीम 2015 और 2018 के आखिर में भी शीर्ष पर रही थी। विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इंग्लैंड एक पायदान ऊपर चौथे और उरुग्वे पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इनके बाद क्रोएशिया, पुर्तगाल, स्पेन, अर्जेंटीना और कोलंबिया का नंबर आता है।

जल्द वापसी करेंगी सिंधू : गोपीचंद

मुंबई, 19 दिसंबर (भाषा)।

भारत के राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने गुरुवार को कहा कि पीवी सिंधू बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और वह अपने खेल में कुछ बदलाव करके तोक्यो ओलंपिक से पहले दमदार वापसी करेंगी। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधू अगस्त में विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद फ्रेंच ओपन को छोड़कर बाकी सभी टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में बाहर हो गई थीं। गोपीचंद ने कहा कि वह (सिंधू) बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। हमें उनके खेल में कुछ बदलाव करने होंगे और उम्मीद है कि वह जल्द ही अच्छी वापसी करेंगी।

आइपीएल नीलामी में भारतीय युवा खिलाड़ियों का भी दबदबा

हरफनमौलाओं पर दिल खोलकर लुटाए पैसे

कोलकाता, 19 दिसंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे अधिक कीमत पर बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए। दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन पर 15.50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम से जोड़ा। कमिंस को टीम के साथ जोड़ने के लिए लिए दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बुंगलुरु के बीच होड़ दिखी। उन्होंने आइपीएल के 25 मैचों में अब तक 32 विकेट लिए हैं जहां उन्होंने प्रति ओवर लगभग छह रन दिए थे।

नीलामी में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा। ग्लेन मैक्सवेल के लिए दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब ने खासी दिलचस्पी दिखाई। अत में पंजाब की टीम ने उन्हें 10.75 करोड़ रुपए की बोली लगा कर टीम में शामिल किया। किंग्स इलेवन पंजाब इस आइपीएल में नीलामी में 42.70 करोड़ रुपए की सबसे अधिक राशि के साथ शामिल हुआ।

इस नीलामी में बड़ी रकम पाने वालों में दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मौरिस भी शामिल रहे जिनके लिए आरसीबी ने 10 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेलडन कोटरेल की मूल कीमत 50 लाख रुपए थी लेकिन पंजाब ने उनके लिए दिल खोलकर खर्च किया और साढ़े आठ करोड़ रुपए में टीम के साथ जोड़ा।

आस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच को बंगलुरु ने 4.4 करोड़ रुपए में खरीदा। क्रिस लिन को मुंबई इंडियंस ने मूल कीमत दो रुपए में खरीदा। इंग्लैंड के इयोन मोर्गन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5.25 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बोली लगाई। तेज गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल को मुंबई ने आठ करोड़ रुपए में टीम से जोड़ा। वहीं आस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज अलेक्स कैरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.40 करोड़ रुपए में खरीदा।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को आइपीएल के पहले सत्र के विजेता राजस्थान रॉयल्स ने तीन करोड़ रुपए में खरीदा। वह इस नीलामी में डेढ़ करोड़ रुपए की मूल कीमत के साथ शामिल हुए थे। केकेआर ने उन्हें पिछले सत्र के बार रिलीज कर दिया था।

भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को राजस्थान रॉयल्य ने सिर्फ तीन करोड़ रुपए में खरीदा। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके पीयूष चावला को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6.75 करोड़ रुपए में खरीदा।

पैट कमिंस

वरुण चक्रवर्ती को चार करोड़

आइपीएल फ्रेंचाइजियों ने युवा खिलाड़ियों के लिए भी खजाने खोल दिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने झारखंड के बल्लेबाज विराट सिंह और भारतीय अंडर-19 टीम के मौजूदा कप्तान प्रियम गर्ग को एक समान 1.90 करोड़ रुपए में खरीदा। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता नाइट राइडर्स ने चार करोड़ रुपए में टीम से जोड़ा। भारतीय अंडर-19 टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ रुपए में खरीदा। जायसवाल कभी पानी पूरी बेचा करते थे। राजस्थान के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को किंग्स इलेवन ने चार करोड़ में अपनी टीम से जोड़ा। उनकी मूल कीमत 20 लाख रुपए थी। इस बोली प्रक्रिया में कुल 338 खिलाड़ी शामिल हैं।

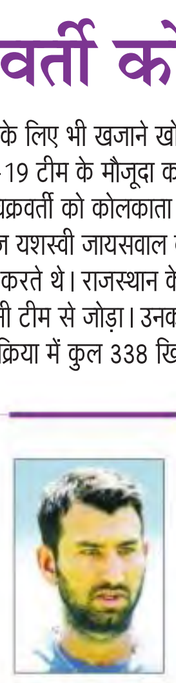

इस नीलामी में भारतीय टैस्ट विशेषज्ञों चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी को निराशा हाथ लगी जिनके लिए किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन को भी कोई खरीदार नहीं मिला।

4.4 करोड़ रुपए में खरीदा बंगलुरु ने आरोन फिंच को

ग्लेन मैक्सवेल

वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेलडन कोटरेल की मूल कीमत 50 लाख रुपए थी लेकिन पंजाब ने उनके लिए दिल खोलकर खर्च किया और साढ़े आठ करोड़ रुपए में टीम के साथ जोड़ा।

"मोर्गन पिछले कुछ समय से फॉर्म में हैं। मोर्गन टीम के नेतृत्व समूह में हमें मजबूती प्रदान करेंगे। कमिंस के स्तर का खिलाड़ी, वह गेंद और बल्ले से टीम को काफी कुछ दे सकते हैं। – **अभिषेक नायर**, केकेआर के सहायक कोच।

"हम मैक्सवेल को टीम में शामिल करना चाहते थे। हमारे लिए मध्यक्रम में थोड़ी चिंताएं थीं और यह परेशानी पहले भी रही है। वह टीम के बारे में अच्छे से जानते हैं। – **सतीश मेनन**, किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

नीलामी में बिके खिलाड़ी

पैट कमिंस	कोलकाता	15.5 करोड़
ग्लेन मैक्सवेल	पंजाब	10.75 करोड़
शेल्डन कॉटरेल	पंजाब	8.5 करोड़
कूल्टर नाइल	मुंबई	8 करोड़
शिमरोन हेटमायर	दिल्ली	7.75 करोड़
पीयूष चावला	चेन्नई	6.75 करोड़
सैम कुरेन	चेन्नई	5.5 करोड़
एलेक्स कैरी	दिल्ली	2.4 करोड़
जैसन रॉय	दिल्ली	1.5 करोड़
क्रिस वोक्स	दिल्ली	1.5 करोड़
रवि बिश्नोई	पंजाब	2 करोड़
दीपक हुड्डा	पंजाब	50 लाख
इशान पोरेल	पंजाब	20 लाख
इयोन मॉर्गन	कोलकाता	5.25 करोड़
वरुण चक्रवर्ती	कोलकाता	4 करोड़
राहुल त्रिपाठी	कोलकाता	60 लाख
एम सिद्धार्थ	कोलकाता	20 लाख
क्रिस लिन	मुंबई	2 करोड़
सौरभ तिवारी	मुंबई	50 लाख
रॉबिन उथप्पा	राजस्थान	3 करोड़
जयदेव उनादकट	राजस्थान	3 करोड़
यशस्वी जायसवाल	राजस्थान	2.4 करोड़
कार्तिक त्यागी	राजस्थान	1.3 करोड़
अनुज रावत	राजस्थान	80 लाख
आकाश सिंह	राजस्थान	20 लाख
क्रिस मॉरिस	आरसीबी	10 करोड़
आरोन फिंच	आरसीबी	4.4 करोड़
प्रियम गर्ग	हैदराबाद	1.9 करोड़
विराट सिंह	हैदराबाद	1.9 करोड़
जोश हेजलवुड	चेन्नई	2 करोड़
जेम्स नीशम	पंजाब	50 लाख
डेविड मिलर	राजस्थान	75 लाख
आकाश सिंह	राजस्थान	20 लाख
क्रिस ग्रीन	कोलकाता	20 लाख
मोहसिन खान	मुंबई	20 लाख
जोशुआ फिलिप	आरसीबी	20 लाख
फैबियन एलन	हैदराबाद	50 लाख
संदीप बावनका	हैदराबाद	20 लाख
क्रिस जॉर्डन	पंजाब	3 करोड़
टॉम बैंटन	कोलकाता	1 करोड़
आर साई किशोर	चेन्नई	20 लाख
मार्कस स्टोइनिस	दिल्ली	4.8 करोड़
मोहित शर्मा	दिल्ली	50 लाख
तुषार देशपांडे	दिल्ली	20 लाख
प्रभसिमरन सिंह	पंजाब	55 लाख
तेजिंदर ढिल्लन	पंजाब	20 लाख
प्रवीण तांबे	कोलकाता	20 लाख
दिग्विजय देशमुख	मुंबई	20 लाख
प्रिंस बलवंत	मुंबई	20 लाख
ओशेन थॉमस	राजस्थान	50 लाख
अशोक जोशी	राजस्थान	20 लाख
आकाश सिंह	मुंबई	20 लाख
केन रिचर्डसन	आरसीबी	4 करोड़
डेल स्टेन	आरसीबी	2 करोड़
इसुरु उदाना	आरसीबी	50 लाख
शाहबाज अहमद	आरसीबी	20 लाख
मिशेल मार्श	हैदराबाद	2 करोड़
संजय यादव	हैदराबाद	20 लाख
अब्दुल समद	हैदराबाद	20 लाख
निखिल शंकर	कोलकाता	20 लाख

बांबे को हराकर गुजरात फाइनल में

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघल की अगुआई में गुजरात जाएंट्स ने गुरुवार को बांबे बुलेट्स को 4-1 से हराकर बिग बाउट के फाइनल में प्रवेश किया। गुजरात की तरफ से चिराग और स्कॉट फोरेस्ट ने भी चमक बिखेरी। चिराग ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में बांबे के कविंदर बिष्ट को हराया। वहीं स्कॉट ने पुरुषों के 91 किलोग्राम भारवर्ग में इमामैनुएल रेयास को पराजित किया।

बिष्ट ने पहले राउंड में शानदार खेल भी दिखाया लेकिन चिराग ने बाकी के दो राउंड में दमदार वापसी करते हुए 4-1 से जीत हासिल की।

इसी तरह स्कॉट भी पहले दो राउंड में तो थोड़ा पीछे रहे थे लेकिन तीसरे राउंड में उन्होंने स्पेन के मुक्केबाज को अच्छी टक्कर दी और करीबी जीत हासिल की। गुजरात के कप्तान पंघल दो मैचों के आराम के बाद रिंग में उतरे थे। उन्होंने उम्मीद के मुताबिक पुरुषों के 52 किलोग्राम भारवर्ग में बांबे के अनंच चोपाड़े को हराया। अनंत ने हालांकि एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को कड़ी चुनौती दी। दिन के पहले मैच में गुजरात को हार मिली लेकिन आशीष कुल्हारिया ने अपना मुकाबला जीत गुजरात की वापसी करा दी। बांबे बुलेट्स की कप्तान इंग्रीट लोरेना वालेंसिया ने पहले मैच में गुजरात की राजेश नरवाल को हराया। इसके बाद आशीष ने सिद्धार्थ वर्मा को पराजित किया। दूसरा सेमी फाइनल शुक्रवार को नार्थ ईस्ट राइनोज और पंजाब पैंथर्स के बीच खेला जाएगा।

विंडीज के खिलाफ हैट्रिक मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन : कुलदीप

विशाखापत्तनम, 19 दिसंबर (भाषा)।

कुलदीप यादव ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैट्रिक को अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करार दिया है। 2017 से 2019 तक टीम का अभिन्न अंग रहे कुलदीप पिछले आइपीएल से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। विश्व कप में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह चार महीने तक टीम से बाहर रहे।

कुलदीप बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। उन्होंने भारत की 107 रन से जीत के बाद कहा कि पिछले दस महीने काफी कठिन थे। लगातार अच्छा खेलने के बाद ऐसा दौर आता है जब विकेट नहीं मिलते और आप अपनी गेंदबाजी को लेकर सोच में पड़ जाते हैं। विश्व कप के बाद मैं टीम से बाहर रहा। उसके बाद चार महीने काफी मेहनत की।

उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुंबई में टी-20 मैच पिछले चार साल में भारत का पहला मैच था। मैं नर्वस था क्योंकि काफी समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला था। यह हैट्रिक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मुझ पर काफी दबाव था। हैट्रिक गेंद से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था, यह पूछने पर कुलदीप ने कहा कि वह दुविधा में थे कि अलजारी जोसेफ को कौन सी गेंद डाले।

सना को राजनीति से दूर रखें : गांगुली

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता अधिनियम पर निशाना साधती सना गांगुली की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सौरव गांगुली उनके बचाव में उतर गए हैं। बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि उनकी बेटी को किसी भी तरह की राजनीति से अलग रखना चाहिए। भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि इंस्टाग्राम पोस्ट 'सच नहीं' है।

उन्होंने ट्वीट किया,'कृपया सना को इन सब मामलों से दूर रखें। वह पोस्ट सच नहीं है। वह बहुत छोटी है और राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती।' सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है जो सना के नाम से है। इसमें खुशवंत सिंह के उपन्यास 'द एंड ऑफ इंडिया' से कुछ पंक्तियां डाली हुई हैं। इसमें कहा गया है,'नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया गया आंदोलन लगातार भय और संघर्ष का माहौल बनाकर ही जीवित रह सकता है। जो यह सोचते हैं कि मुसलमान या ईसाई नहीं होने की वजह से वे सुरक्षित हैं तो वे मूर्खों की दुनिया में जी रहे हैं।'

मुदित दानी युगल सेमी फाइनल में

फोर्ट वर्थ (अमेरिका), 19 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय पैडलर मुदित दानी ने यूएस ओपन चैंपियनशिप के युगल सेमी फाइनल में जगह बनाकर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आइटीटीएफ) के सीनियर स्तर पर अपना पहला पदक पक्का किया। मुदित ने कनाडा के मार्को मेदजुगोरैक के साथ मिलकर क्वार्टर फाइनल में तियान ये और सी झियागो की जोड़ी को हराया। सेमी फाइनल में उनका मुकाबला जापान के हिरोमित्सु कासाहारा और फुजिमुरा तोमोया से होगा।

तीसरे एकदिवसीय से बाहर हुए चोटिल चाहर

कटक, 19 दिसंबर (भाषा)।

चोटिल भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर है और दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो का मैच है।

बीसीसीआइ की ओर से जारी बयान में गुरुवार को कहा गया कि दीपक चाहर ने बुधवार को खेले गए दूसरे एक दिवसीय के बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत की। बीसीसीआइ के चिकित्सक ने उन्हें देखने के बाद पूरी तरह से ठीक होने के लिए आराम की सलाह दी। बयान में कहा गया कि वह आखिरी एकदिवसीय से बाहर हो गए हैं।

चाहर हाल ही में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे। उन्होंने आइपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दो सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई।

सैनी ने भी अपने अंतरराष्ट्रीय करिअर का आगाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार तरीके से किया था। उन्होंने इस साल की शुरुआत में अमेरिका में खेले गए तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले (फ्लोरिडा) और अपने पदार्पण मैच में 17 रन देकर तीन विकेट लिए थे। दिल्ली के इस तेज गेंदबाज को दूसरे टी-20 में कोई सफलता नहीं मिली जबकि उन्होंने तीसरे टी-20 में 34 रन देकर दो विकेट लिए थे। भारतीय टीम ने यह श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की थी। भारत को उम्मीद होगी की 27 साल के इस गेंदबाज को अगर अंतिम एकादश में जगह मिली तो वह ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे।

कटक पहुंचीं भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें

भुवनेश्वर, 19 दिसंबर (भाषा)।

भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए गुरुवार को यहां पहुंची। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और प्रबंधन सदस्यों को सशस्त्र पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा में यहां की एक होटल में ले जाया गया।

राज्य पुलिस ने इस मुकाबले के लिए भुवनेश्वर और कटक में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है।

राज्य पुलिस ने इस मुकाबले के लिए भुवनेश्वर और कटक में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। दोनों टीमों के खिलाड़ी भुवनेश्वर के होटल में रह रहे हैं जबकि अभ्यास और मैच के लिए वे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यहां से कटक जाएंगे। वेस्ट इंडीज टीम शुक्रवार को अभ्यास सत्र में भाग लेगी जबकि भारतीय टीम होटल से एक बजे अभ्यास के लिए रवाना हुई।

पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस बल के कम से कम 63 प्लाटून (एक प्लाटून में 30 कर्मी होते हैं) के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के लगभग 300 जवानों को तैनात किया गया है।

टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी।

बर्खास्तगी के बाद डीडीसीए पर भड़के वासन

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा)।

सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन ने दिल्ली जिला और क्रिकेट संघ पर जमकर भड़ास निकाली। 51 बरस के वासन को बुधवार को आनन-फानन में बनाई गई क्रिकेट सलाहकार समिति ने पद से हटा दिया। उनकी जगह दिल्ली के पूर्व खिलाड़ी बंटू सिंह को नियुक्त किया गया है।

यह कदम डीडीसीए के लोकपाल जस्टिस (रिटायर्ड) बादर दुरेज अहमद के उस निर्देश के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि सत्र पूरा होने तक किसी चयनकर्ता को हटाया नहीं जा सकता।

वासन ने ट्वीट किया,''दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रूक्स एसोसिएशन' ने फिर ऐसा किया। एक सांसद सारे नियमों को ताक पर रखकर यह कर रहा है। एक सत्र पहले मैंने जिस कठपुतली को बाहर किया, वह अपने आका के आदेश पर चयनकर्ताओं को हटा रहा है।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 33, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।
कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com